48वीं
वार्षिक प्रतिवेदन
2017 - 2018

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का उद्यम)

मिशन / ध्येय

गुणवत्ता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक अग्रणी अद्योपांत परियोजना निष्पादन कम्पनी बनाना, जो सतत् रूप से स्टेकहोल्डरों के मूल्य का वर्धन कर रही है।

उद्देश्य

1. नए कारबार क्षेत्रों में विस्तार करते हुए अपने सर्वाधिक लाभदायक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कारबार का अनुरक्षण करना।
2. मूल्य सृजन पर अनवरत ध्यान केंद्रित करते हुए अपवादित ग्राहक सेवा का परिदान करना।
3. गुणवत्ता और मार्जिन पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रचालन उत्कृष्टता का अनुसरण करना।

विषय–सूची

	पृष्ठ संख्या
संदर्भ सूचना	2
निदेशक बोर्ड	3
गत 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति	4
अध्यक्ष का उद्‌बोधन	5
सूचना	8
निदेशकों की रिपोर्ट एवं उपाबंध	15
• प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	28
• निगम शासन पर रिपोर्ट	35
• निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता रिपोर्ट	56
• संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई विशिष्टियों/ इन्तजामों का प्रकटन – (एओसी–2)	60
• वार्षिक विवरणी का सार (एमजीटी–9)	61
• सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट	69
एकल वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	74
एकल वित्तीय विवरणियां	87
समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	122
समेकित वित्तीय विवरणियां	130
एकल वित्तीय विवरणियों पर भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां एवं कंपनी के प्रत्युत्तर	172
समेकित वित्तीय विवरणियों पर भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां एवं कंपनी के प्रत्युत्तर	175

संदर्भ सूचना

(31 मार्च 2018 के अनुसार)

पंजीकृत कार्यालय

कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
फोन नं : 91–11–24361666
फैक्स : 91–11–24363426
ई.मेलः epico@engineeringprojects.com
वेबसाइट: www.engineeringprojects.com

क्षेत्रीय कार्यालय

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय – कोलकाता

50, चौरंगी रोड, (8वीं और 9वीं मंजिल),
कोलकाता–700 071
फोन : 91–33–22824426–27–29
फैक्स : 91–33–22824428
ई–मेल : ero@engineeringprojects.com

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय–मुंबई

''बख्तावर'', 6ए, 6वां मंजिल,
नरीमन पांईट, मुंबई . 400 021
फोन : 91–22–22027585, 22026347
फैक्स : 91–22–22882177
ई–मेलः wromumbai@engineering projects.com

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली

कोर– 3, दूसरा तल, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
फोन : 91–11–24361666
फैक्स : 91–11–24368293
ई– मेलः nro@engineeringprojects.com

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय –चैन्नई

3 डी, ईस्ट कोस्ट चैम्बर्स,
92, जी.एन, चेट्टी रोड,
टी नगर, चैन्नई–600 017
फोन : 91–44–28156886, 28156421
फैक्स : 91–44–28156629
ई–मेलः sro@engineeringprojects.com

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय

4 मंजिल, हिंदुस्तान टॉवर,
ब्लॉक–ए, जवाहर नगर, राष्ट्रीय
राजमार्ग संख्या 37, बेलटाला
गुवाहाटी–781022 (असम)
फोनः 91–8486653300
ई– मेलः neroguwahati@rediffmail.com
& neroguwahati@gmil.com

शिविर कार्यालय मस्कट

इंजीनियर– 3 परियोजना
सी/ओ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया)
लिमिटेड –ओमान, पोस्ट बॉक्स सं. 3251
डाक कोड : 112 आरयूडब्ल्यूआई
ओमान सल्तनत
ई–मेल आईडीः
vk.pandey@engineeringprojects.com
फोन : +96899430701

श्रीलंका परियोजना

पाइप्स /वी / 10
49/38 सी, ऑफ टैम्पल रोड
कुरूमानकडू, वावुनिया, उत्तरी प्रांत श्रीलंका
पिन कोड : 43000
फोनः +94–24–2227423

सउदी अरेबिया कार्यालय

पी. ओ. बॉक्स–69983, रियाद–11557
किंगडम ऑफ सउदी अरेबिया (केएसए)
फोन : +966–11–4884394
फैक्स : +966–11–4884394–एक्स–9
ई–मेल आईडीः
feroz.rehman@engineeringprojects.com
(यह कार्यालय बंद होने के अंतिम चरण में है)

लेखा परीक्षक :

कानूनी लेखा परीक्षक
मैसर्स केजी.सोमानी एण्ड कम्पनी,
लेखा परीक्षक
3/15, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली–110002

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स योगानंद एण्ड राम एलएलपी
लेखा परीक्षक
जी –1, श्री विष्णु अपार्टमेंट
12, बारहवां क्रॉस स्ट्रीट, दंडीश्वरम नगर
वेलाचेरी, चैन्नई–600 042

मैसर्स एम रघुनाथ एण्ड कम्पनी
लेखा परीक्षक
अशोका चैम्बर्स, प्रथम तल, 6, गार्स्टिन प्लेस
कोलकाता–700001

मैसर्स एएसएल एण्ड कम्पनी
लेखा परीक्षक
302, ईकोस्पेस, ऑफ ओल्ड, नगरदास रोड़
मोगरा विलेज, अंधेरी (ई)
मुम्बई–69

मैसर्स अय्यर एण्ड कम्पनी
लेखा परीक्षक
607, आकाशदीप 26–ए,
बाराखम्बा रोड नई दिल्ली–110001

विदेशी शाखा लेखापरीक्षक

शाखा लेखापरीक्षक श्रीलंका
मैसर्स रानावीरा एसोसिएट्स
लेखा परीक्षक, 58/10बी, 4 लेन, डीएम
कोलंबेज, मवाथा, कोलंबो–05

शाखा लेखापरीक्षक ओमान
मैसर्स एच.सी. एण्ड शाह
लेखा परीक्षक, पी.ओ. बॉक्स . 2508,
रूवी, पी. सी.–112,
ओमान सल्तनत

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स ए.जी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार
IIबी/76, ऊषा विला, वैशाली,
गाजियाबाद, उ.प्र.–201010

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स विशाल अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
39/2068, नाईवाला, 315, डाखा चैम्बर्स,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

बैंकर्स

इलाहाबाद बैंक
ऐक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ोदा
बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
कॉर्पोरेशन बैंक
देना बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
इंडसइंड बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

निदेशक बोर्ड

श्री एस. एस. रावत
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार)*
[15.09.2018 से]

श्री एन. शिवानंद
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार)*
[14.09.2018 तक]

श्री लेख राज
निदेशक (वित्त)

श्री वीनू गोपाल
निदेशक (परियोजनाएं)
[30.06.2018 तक]

श्री विश्वजीत सहाय
अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्रीमती नीलम एस. कुमार
अंशकालिक शासकीय निदेशक
[23.08.2018 से]

श्री सिया शरन
अंशकालिक शासकीय निदेशक
[07.08.2018 तक]

डॉ. अनिता चौधरी
स्वतंत्र निदेशक

श्री सुशांत बालिगा
स्वतंत्र निदेशक

* निगम शासन पर रिपोर्ट के बिन्दु 2(ख) का संदर्भ टिप्पण

गत 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति

(रुपये लाख में)

विशिष्टियां / वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
क. परिचालन संबंधी सांख्यिकीय					
टर्नओवर (प्रचालन आय)	85516.72	103128.21	129546.44	162145.42	160740.79
अन्य आय	3534.00	2789.27	2772.96	3397.72	1526.79
कुल आय(क)	89050.72	105917.48	132319.40	165543.14	162267.78
कुल व्यय (ख)	85398.78	100991.01	127805.15	164373.57	161456.08
समग्र मार्जिन (क–ख)	3651.94	4926.47	4514.25	1169.57	811.70
ब्याज	942.11	706.15	580.93	614.25	485.70
अवक्षयण	99.30	99.62	114.15	143.58	154.68
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	2610.53	4120.70	3819.17	411.73	171.32
आय कर	911.09	1412.08	1364.55	142.28	157.78
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	1699.44	2708.62	2454.63	269.45	13.54
अतिशेष आरक्षतियों पर संक्रमणकालीन अवक्षयण का प्रभाव	–	4.37	–	–	–
संदत्त लाभांश	708.45	708.45	1081.55	–	–
संदत्त लाभांश संवितरण कर	120.40	144.22	220.18	–	–
आरक्षति एवं अधिक्य को अग्रणीत अधिशेष	862.73	1851.58	1152.90	269.45	13.54
कर्मचारियों की संख्या	437	436	400	372	363
10/– रुपए प्रत्येक के साम्या शेयरों की संख्या	35422688	35422688	35422688	35422688	35422688
ख. वित्तीय प्रास्थिति					
शेयर पूंजी	3542.27	3542.27	3542.27	3542.27	3542.27
आरक्षति एवं अधिक्य (मुक्त आरक्षति)	16237.10	18088.67	19241.57	19511.03	19524.56
सीएसआर आरक्षति	7.86	–	–	–	–
निवल मूल्य (शेयरधारकों की निधियां)	19779.37	21630.94	22783.84	23053.30	23066.83
नियोजित पूंजी	19779.37	21630.94	22783.84	23053.30	23066.83
ग. वित्तीय अनुपात					
प्रति कर्मचारी टर्नओवर (लाख रुपए में)	195.69	236.53	323.87	435.87	442.81
समग्र मार्जिन/टर्नओवर (%)	4.27	4.78	3.48	0.72	0.50
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/टर्नओवर (%)	3.05	4.00	2.95	0.25	0.11
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/शुद्ध मूल्य (%)	13.20	19.05	16.76	1.79	0.74
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)/शुद्ध मूल्य (%)	8.59	12.52	10.77	1.17	0.06
संदत्त लाभांश/कर पूर्व लाभांश(%)	27.14	17.19	28.32	–	–
संदत्त लाभांश/कर पश्चात लाभांश (%)	41.69	26.16	44.06	–	–
आधारिक और तनुकृत ईपीएस (रुपए में)	4.80	7.65	6.93	0.76	0.04
10/–रुपए अंकित मूल्य के प्रति शेयर की एनएवी	55.84	61.07	64.32	65.08	65.12

अध्यक्ष का उद्‌बोधन

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 48वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2017–18 की 48वीं वार्षिक रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्रबंध चर्चा उपाबंध और विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता पर रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे (एकल और समेकित), स्वतंत्र और सचिवालय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सम्मिलित है से मिलकर बनी है, आपके सामने रखी गई है।

औद्योगिक परिदृश्यः

संनिर्माण उद्योग विकास का एक महत्वपूर्ण द्योतक है क्योंकि यह विभिन्न संबंधित सेक्टरों में विनिधान के अवसर सृजित करता है। संनिर्माण उद्योग अनेक दशकों से राष्ट्रीय जीडीपी में 8% से 10% तक का अंशदान कर रहा है। बीएमआई अनुसंधान के अनुसार, भारत का संनिर्माण उद्योग वर्ष 2018 में 6.1% वृद्धि करेगा–यह वर्ष 2017 में हुई वृद्धि में 5% की बढ़ोतरी है। वर्ष 2018 और वर्ष 2027 के बीच वास्तविक वृद्धि 6.2% के औसत से होगी। अवसंरचना विकास को राज्य से काफी प्रोत्साहन मिला है।

यह कहा जा सकता है कि राजमार्गों, सड़कों, भू संपदा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों को अगले 5 वर्ष के दौरान परिवर्तित करने के लिए सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर के विनिधान की योजना के साथ तैयार है, इससे संनिर्माण उद्योग के लिए संभावनाएं काफी सकारात्मक हैं।

कारबार के अवसरः

सरकार आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए और एशिया तथा उससे परे अपने सामरिक हित को पूरा करने के लिए प्रादेशिक और वैश्विक संपर्कता मैं सुधार करने की योजना बना रही है। भारत म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे, सिटवे पतन का विकास और आईएनएसटीसी या अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण व्यापार कारीडोर जैसी परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है।

विपणन पहलें:

आपकी कंपनी संपूर्ण भारत में विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में जलापूर्ति और संबंधित परियोजनाओं को कर रही है। इन के अंतर्गत जल उपचार संयंत्र, जलापूर्ति के लिए पाइप लाइनों को बिछाना, ओवरहेड स्टोरेज टैंक आदि सम्मिलित हैं। इसने राजमार्गों/ सड़कों, बांधों/ सुरंग परियोजनाओं/ सिंचाई/ नहर परियोजना, सीमा प्रबंधन और सर्वेक्षण कार्य, पर्यावरण परियोजनाओं और विदेशों में परियोजनाओं की बल दिए जाने वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की है। सरकारी क्रेडिट सुविधा अर्थात सरकार और अन्य देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार नए कारबार क्षेत्रों में विस्तार करते हुए अपने सर्वाधिक लाभ देने वाले क्षेत्रों में कार्य पर ध्यान रखना और उसे बनाए रखना जारी रखा है।

कार्य–निष्पादन की विशेषताएं:

वर्ष 2017–18 के दौरान आपकी कंपनी में 1,60,741 लाख रुपए का परिचालन टर्नओवर हासिल किया। वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी की कुल आय 1,62,268 लाख रुपए है। आपकी कंपनी ने पूर्व वर्ष में 4514 लाख रुपए के समग्र मार्जिन के मुकाबले 812 लाख रुपए का मार्जिन हासिल किया। कंपनी का शुद्ध मूल्य 23,053 लाख रुपए से बढ़ कर 23,067 लाख रुपए हो गया जो पूरे वर्ष पर 0.06% की वृद्धि है।

वर्ष 2017– 18 के दौरान आपकी कंपनी ने 230.31 करोड रुपए की परियोजनाएं हासिल कीं। औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र, सामग्री हस्तालन, वैद्युत और सीमा प्रबंधन परियोजना खंड कंपनी के कुल टर्नओवर में अधिकतम अंशदान (57.82%) करने वाले थे जिसके उपरांत आवास एवं भवन संकर्म जिसके अंतर्गत अस्पताल परियोजनाएं हैं, जिनका प्रतिशत शेयर 36.53% है।

अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उद्यम/शाखा कार्यालय

अनुषंगी कंपनी अपने प्रचालन से ही कार्य नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी की विरचना का समर्थन नहीं किया, आपकी कंपनी ने ईपीआईयूआईडीएल के स्वैच्छिक रूप से परीसमापन/स्वैच्छिक रूप से समाप्न के प्रस्ताव को शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अध्ययन रहते हुए अनुमोदित कर दिया और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि तारीख 20 दिसंबर 2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की वार्षिक साधारण बैठक में परीसमापन के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं हुआ था। ईपीआई का दो अन्य शेयरधारकों को अपने शेयरों का प्रस्ताव सफल नहीं हुआ था। तत्पश्चात संबंधित प्राधिकारियों को ईपीआईयूआईडीएल को तुरंत परिसमाप्त करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की गई है।

2 अगस्त 2017 को ईपीआई– सीएंडसी "संयुक्त उद्यम" (अनिगमित), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा– से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) म्यांमार के चिन राज्य में 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर जिसमें सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 60% हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का 40% हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। किए गए संव्यवहार के ब्यौरों को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

रियाद, किंगडम ऑफ सऊदी, शाखा को बंद करने के संबंध में, सभी अनुज्ञप्तियों को बंद कर दिया गया है और अंतिम/वित्तीय समापन अपने अग्रिम चरण में है।

समझौता ज्ञापन के अधीन कार्यनिष्पादन

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने वर्ष 2016–17 में सरकार के साथ कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधनों में कंपनी के कार्य निष्पादन को, **"अच्छा"** रेटिंग प्रदान की है

लाभांश

आप के निदेशकों ने वर्ष 2017–18 के लिए लाभ की अपर्याप्तता के कारण शून्य लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव किया है।

मानव संसाधन

कंपनी भारत के साथ–साथ विदेशों में परियोजनाएं हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लक्ष्य को हासिल करने को सूकर बनाने के लिए कंपनी का लक्ष्य चालू परियोजनाओं के साथ–साथ नई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर विशेषज्ञ कौशलों के साथ सर्वोत्तम कौशल को अर्जित करने पर है। आपकी कंपनी कर्मचारियों के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का विकास करने के लिए इन हाउस और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाओं का सभी स्तरों पर आयोजन करके सभी प्रयास करती है।

निगम शासन

आपकी कंपनी दृढ़ता से यह विश्वास करती है कि अच्छा निगम प्रशासन प्रभावी और बुद्धिमतापूर्ण प्रबंधन सूकर बनाता है जिससे कंपनी को दीर्घ अवधि में सफलता प्राप्त होती है। कंपनी के पास पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए अनेक मैनुअल हैं। कंपनी लगातार लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

निगम समाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता

आपकी कंपनी पारस्परिक विश्वास और सम्मान के माध्यम से परियोजना स्थल में और उसके चारों ओर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करके सकारात्मक और चिरकालिक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष के दौरान शून्य बजट आवंटित किया गया, इसलिए किन्ही नए कार्यक्रमों को हाथ में नहीं लिया गया। तथापि पूरे वर्ष के दौरान हाथ में लिए गए/ पूरे किए गए कार्यक्रमों पर व्यय किया गया और उसके लिए वर्ष 2017–18 के दौरान भुगतान किया गया। तथापि वर्ष के दौरान कोई नए कार्यक्रम हाथ में नहीं लिए गए।

अभिस्वीकृति

मैं निदेशक बोर्ड और स्वयं की ओर से आपकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किए गए सत्यनिष्ठ प्रयासों की सराहना को अभिलेख पर रखता हूं। मैं धन्यवाद सहित निदेशक बोर्ड, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, कानूनी लेखा परीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा शेयरधारकों से लगातार प्राप्त होने वाले सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद करता हूं। मैं अपने मूल्यवान ग्राहकों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आपकी कंपनी में अपने संपूर्ण विश्वास को बनाए रखा। हमें विश्वास है कि हमें अपने पणधारियों का पूरा सहयोग मिलता रहेगा, चूकि हम भविष्य में और बड़ी सफलताएं हासिल करने के लिए अपने सभी प्रयास करते हैं।

ह0–
(एस.एस. रावत)
बैठक के अध्यक्ष
डीआईएन:07555572

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 26 सितंबर 2018

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन : यू27109डीएल1970जीओआई117585
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003
फोन नं. : 91–11–24361666, ईमेल : epico@engineeringprojects.com
वेबसाईट : www.engineeringprojects.com

सूचना

यह सूचना दी जाती है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 48वीं वार्षिक साधारण बैठक बुधवार दिनांक 26 सितंबर, 2018 को 12.00 अपरहान उसके रजिस्ट्रीकृत और निगम कार्यालय, कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में निम्नलिखित कारबार का संव्यवहार करने के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारबार

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशक बोर्ड और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी की संपरीक्षित वित्तीय विवरणियों (जिसके अंतर्गत समेकित और एकल हैं) को प्राप्त करना, विचार करना और अंगीकृत करना तथा उपांतरणों सहित या उसके बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

   ''यह संकल्प करते हैं कि, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियां (जिसके अंतर्गत समेकित और एकल हैं) और 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा के साथ टिप्पणियां और उपाबंध तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अपने उपबंधों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्रबंध चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट एवं निगम सामाजिक दायित्व और भरणीय रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वार्षिक रिटर्न का सार (एमजीटी–9) प्ररूप, संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/इन्तजामों की विशिष्टियों का प्रकटन के लिए एओसी–1 एवं एओसी–2 जैसाकि बैठक के समक्ष अधिकथित है एतद्द्वारा अनुमोदित तथा अंगीकृत किया जाता हैं।''

2. वित्त वर्ष 2017–18 के लिए साम्या शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना, निदेशक बोर्ड ने 24 अगस्त 2018 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लाभ की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए शून्य लाभांश का प्रस्ताव किया है।

विशेष कारबार

3. 28 मार्च, 2018 को आयोजित निदेशक बोर्ड की 261वीं बैठक में यथा अनुमोदित वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना (लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुशंसित) और इस संबंध में विचार करना तथा उचित पाए जाने पर साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   ''संकल्प करते हैं कि, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में 59,940/–रुपए (उनसठ हजार नौ सौ चालीस रुपए मात्र) धन लागू कर, जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता तथा जेबी व्यय नहीं है, को वास्तविक के आधार

पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुशंसित और निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र से बाहर के भ्रमणों पर मैसर्स ए. जी. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में संदत्त किया जाएगा और इसका एतद्द्वारा अनुसमर्थन तथा पुष्टि की जाती है।'

,

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा
ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव
ईमेल आईडी–v.sudha@engineeringprojects.com

तारीख : 31 अगस्त, 2018
स्थान : नई दिल्ली

टिप्पणियां :

1. बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र कंपनी का कोई सदस्य उसके द्वारा लिखित में सम्यक्तः हस्ताक्षरित प्रॉक्सी को उसके स्थान पर भाग लेने और मत देने के लिए नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी के वैध और प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सम्यक्तः भरा हुआ, स्टैम्प लगाया हुआ और हस्ताक्षरित रूप में बैठक के प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व उसका परिदान कर दिया जाए। प्रॉक्सी का रिक्त प्रारूप उपाबद्ध है।

2. निगमित सदस्यों को बोर्ड के संकल्प की सम्यक्तः अधिप्रमाणित प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है जो बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मतदान देने के लिए उनके प्रतिनिधित्व को प्राधिकृत करे।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) और विशेष कारबार के संबंध में साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक 2 जैसा कि ऊपर दिया गया है, के अनुसरण में सुसंगत स्पष्टीकरण कथन इसके साथ उपाबद्ध है।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति पचास से अनाधिक सदस्यों के निमित प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारण न कर रहे हों। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक को धारण करने वाला कोई सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के लिए या सदस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105)। कोई प्रॉक्सी प्ररूप जिसमें प्रॉक्सी के नाम का कथन नहीं है या तारीख रहित है को विधि मान्य नहीं समझा जाएगा [(साधारण बैठकों के सचिवालयी मानक (एसएस–2)]।

5. दो प्रतियों में नामनिर्देशन प्ररूप इसके साथ उपाबद्ध है। यह अनुरोध किया जाता है कि कंपनी के सभी सदस्य उसे सम्यक्तः भरकर, हस्ताक्षर करके और स्टैम्प लगा कर वापस कर दें (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113)।

6. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक नियत करने के संबंध में यह कथन है कि भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक सरकारी कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के निबधनों में कानूनी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करता है। कानूनी लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के निबधनों में नियत किया जाता है। ईपीआई के शेयरधारकों ने 29 सितंबर 2014 को

आयोजित 44वीं वार्षिक साधारण बैठक में बोर्ड को कानूनी लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को वित्त वर्ष 2013–14 के पश्चात कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के निबधनों में नियत करने के लिए प्राधिकृत किया है। तदनुसार, बोर्ड ने अपनी 261वीं बैठक में जो 28 मार्च 2018 को आयोजित की गई थी 12.77 लाख रुपए (निगम कार्यालय और शाखा कार्यालयों की लेखा परीक्षा के लिए) की कुल फीस वित्त वर्ष 2017–18 के लिए नियत की थी।

7. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी हरित पहल पर परिपत्र संख्या 17/2011 तारीख 21 अप्रैल 2011 और परिपत्र संख्या 18/2011 तारीख 29 अप्रैल 2011 के अनुसरण में भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वह अपने ईमेल पते को कंपनी रजिस्टर एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) के पास रजिस्टर करें। इनमें किन्हीं परिवर्तनों की सूचना समय समय पर हमें भी दी जा सकती है ताकि कंपनी सूचना/दस्तावेजों की ईमेल के माध्यम से शामिल करने में समर्थ हो सके।

8. वार्षिक साधारण बैठक के स्थान को उपदर्शित करते हुए मार्ग का मानचित्र इस सूचना के अंत में दिया गया है।

9. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार से एक दूसरे का नातेदार नहीं है।

10. संलग्न सूचना में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज निरीक्षण के लिए कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर (शनिवार और रविवार को छोड़कर) 11:00 बजे पूर्वाहन से 1:00 बजे अपराहन तक वार्षिक साधारण बैठक से पूर्व उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में मद संख्या 3 के संबंध में स्पष्टीकारक कथन, जैसा कि ऊपर दिया गया है, इस सूचना का एक भाग है।

मद संख्या 3 : लागत लेखाकार के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर मैसर्स ए. जी. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को कंपनी के वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लागत अभिलेखों का लेखा परीक्षण संचालित करने के लिए 59,940/–रुपए (उनसठ हजार नौ सौ चालीस रुपए मात्र) धन लागू कर पर जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ता/मंहगाई भत्ता नहीं है और जेबी व्यय जो दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर वास्तविक भ्रमणों के आधार पर संदत्त किए जाएंगे, नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम 2013 (संपरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में लागत लेखापरीक्षकों को सदत्त पारिश्रमिक का कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना होता है। तदनुसार, सूचना की मद 3 का संकल्प कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन और अनुसमर्थन के लिए साधारण संकल्प के रूप में अधिकथित है।

कोई भी निदेशक या कंपनी का प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार किसी भी रूप में वित्तीय या अन्यथा मद संख्या 3 में अधिकथित संकल्प से संबंधित या अन्यथा हितबद्ध नहीं हैं।

सेवा में

1. ईपीआई के सभी शेयर धारक
2. ईपीआई के लेखा परीक्षक
3. ईपीआई के सभी निदेशक

प्रति :

1. सचिव, भारत सरकार,
   भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय,
   भारी उद्योग विभाग,
   उद्योग भवन, नई दिल्ली–110001

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा

ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव
ईमेल आईडी–v-sudha@engineeringprojects.com

तारीख : 31.08.2018
स्थान : नई दिल्ली

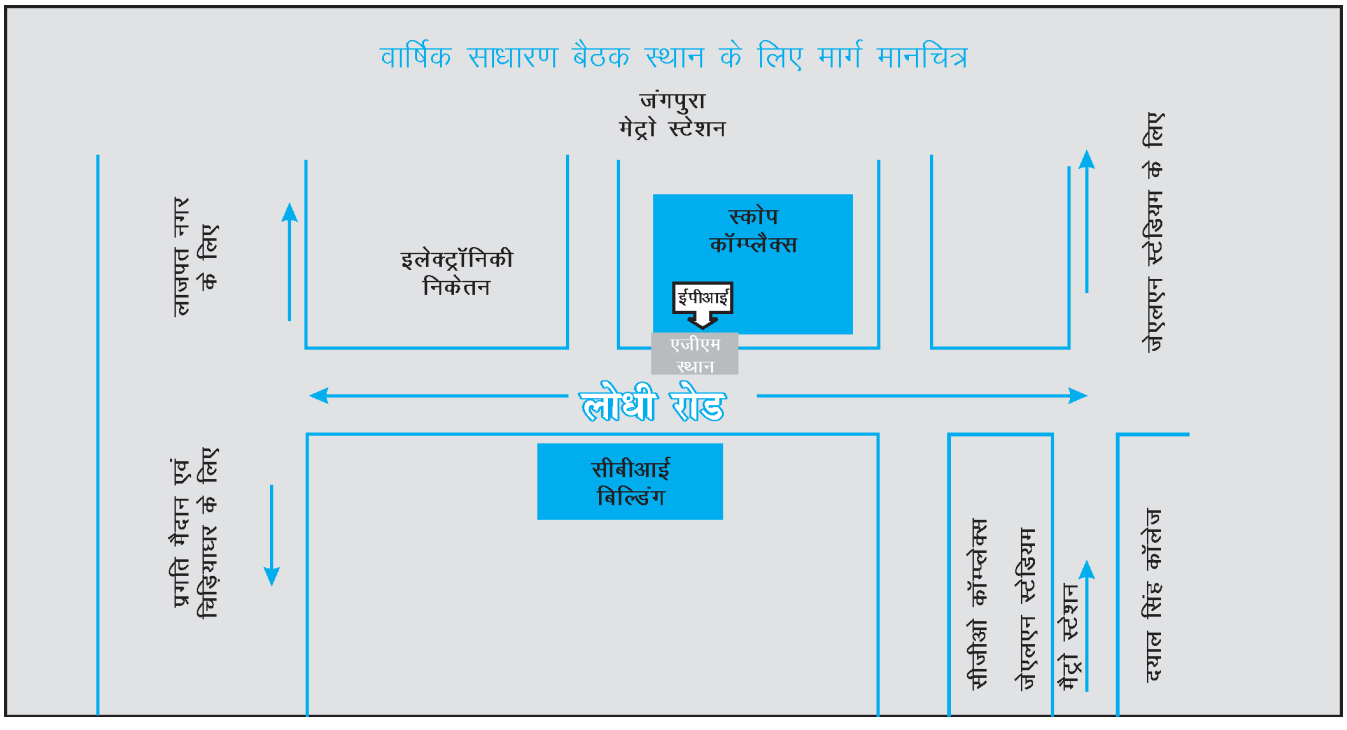

नामनिर्देशन प्ररूप :

सेवा में

कंपनी सचिव,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएन : यू 27109 डीएल 1970 जीओआई 117585,
कोर–3 स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7, लोधी रोड़,
नई दिल्ली –110003

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं श्री/श्रीमती.....

(नाम)

.....

(पदनाम)

को मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए 26 सितम्बर, 2018 को 12 बजे अपराह्न में आयोजित की जाने वाली ईपीआई के शेयरधारकों की 48वीं वार्षिक साधारण बैठक (और उसकी कोई अन्य स्थगित बैठक) में मेरे नामनिर्देशिती के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं।

धन्यवाद,

भवदीय

ह0/–
पदनाम
मुहर और मुद्रा

स्थान :
तारीख :

प्ररूप संख्या एमजीटी – 11 प्रॉक्सी प्ररूप

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में,)

सी आई एन :

कंपनी का नाम :

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :

सदस्य(यों) का नाम	:
रजिस्ट्रीकृत पता	:
ई–मेल आईडी	:
फोलियो संख्या/ग्राहक पहचान	:
डीपी आईडी	:

मैं/हम पूर्वोक्त कंपनी के.....शेयरों के सदस्य होने के नाते निम्नलिखित को नियुक्त करते हैं :

1. नाम : .....
   पता : .....
   ई–मेल आईडी : .....
   हस्ताक्षर : ....., या उनके न होने पर
2. नाम : .....
   पता : .....
   ई–मेल आईडी : .....
   हस्ताक्षर : ....., या उनके न होने पर
3. नाम : .....
   पता : .....
   ई–मेल आईडी : .....
   हस्ताक्षर : .....

को मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में मेरे/हमारे निमित्त भाग लेने के लिए और मत देने के लिए (मतदान होने पर) कंपनी की ..... को ..... बजे .....को आयोजित बैठक में या उसके किसी स्थगन में जिसकी बाबत ऐसे संकल्पों में जैसाकि नीचे उपदर्शित किया गया है, नियुक्त करते हैं :

संकल्प संख्या

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

तारीख : ..... 20..... को हस्ताक्षरित

राजस्व टिकट लगाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर

टिप्पण: इस प्रॉक्सी के प्रभावी होने के लिए उसे सम्यक्ता भरकर कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में बैठक के प्रारंभ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

उपस्थिति पर्ची

48वीं वार्षिक साधारण बैठक, बुधवार, 26 सितम्बर, 2018 को 12.00 बजे अपराह्न

धृत शेयरों का रजिस्ट्रीकृत फोलियो संख्या .....डीपी पहचान.....ग्राहक पहचान/फायदाग्राही खाता संख्या. ..... आयोजित शेयरों की संख्या.....

मैं, प्रमाणित करता हूं कि मैं कंपनी का रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक हूं/कंपनी के रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक की प्रॉक्सी हूं और एतद्द्वारा 48वीं वार्षिक साधारण बैठक, बुधवार, 26 सितम्बर, 2018 को 12.00 बजे अपराह्न, कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, चौथा तल, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में अपने उपस्थिति अभिलिखित करता हूं।

.....

.....

सदस्यों/प्रॉक्सी का स्पष्ट अक्षरों में नाम **सदस्यों/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर**

टिप्पण : कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरें और हॉल के प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों

आपके निदेशकों को वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन पर 48वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी का पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त 1,63,038 लाख रूपए के आवर्त की तुलना में आवर्त 1,60,741 लाख रुपए रहा जो पूर्व वर्ष की तुलना में 1.41% कम है। कर से पूर्व (पीबीटी) अर्जित लाभ इस अवधि के दौरान वर्ष 2016–17 में अर्जित 171 लाख रूपए की तुलना में 412 लाख रुपए रहा।

वर्ष 2017–18 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष में तत्स्थानी आंकडों के साथ आपकी कंपनी (केवल अकेली) की वित्तीय विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2017–18	2016–17
1	प्रचालन आवर्त	1,60,741	1,63,038
2	अन्य आय	1,527	3,384
3	कुल आय	1,62,268	1,66,422
4	समग्र मार्जिन	812	1,170
5	संदत्त ब्याज	486	614
6	अवक्षयण	155	144
7	कर से पूर्व लाभ	171	412
8	कर	157	143
9	कर के पश्चात लाभ	14	269
10	निबल मूल्य	23,067	23,053

आवर्त – घरेलू एवं विदेशी

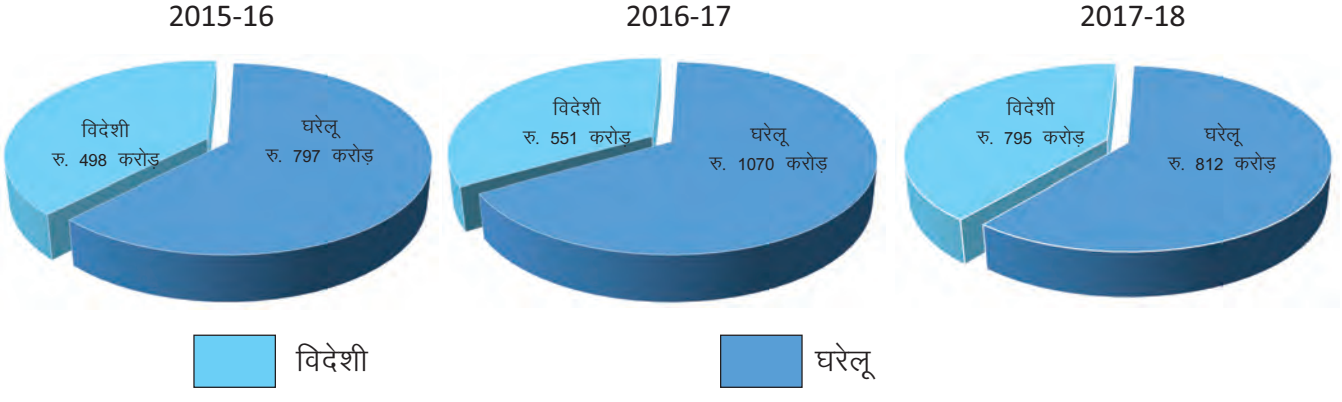

कंपनी का निबल मूल्य 23,053 लाख रुपए से बढ़कर 23,067 लाख रुपए हो गया जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 0.06 प्रतिशत वृद्धि है। वर्ष 2017–18 में नियोजित पूंजी पर रिटर्न वर्ष 2016–17 में 4.45 के मुकाबले वर्ष 2017–18 में 2.85 प्रतिशत है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुसार समान केन्द्री पब्लिक सेक्टर के उपकर्मों के साथ ईपीआई के विलयन द्वारा सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया प्रगति पर है।

2. पूंजी ढ़ांचा

कंपनी की प्राधिकृत और संदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के 909,404,600 साम्या शेयरों में विभाजित किया गया है) और 35.42 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के क्रमशः 35,422,688 साम्या शेयरों में विभाजित किया गया है) है।

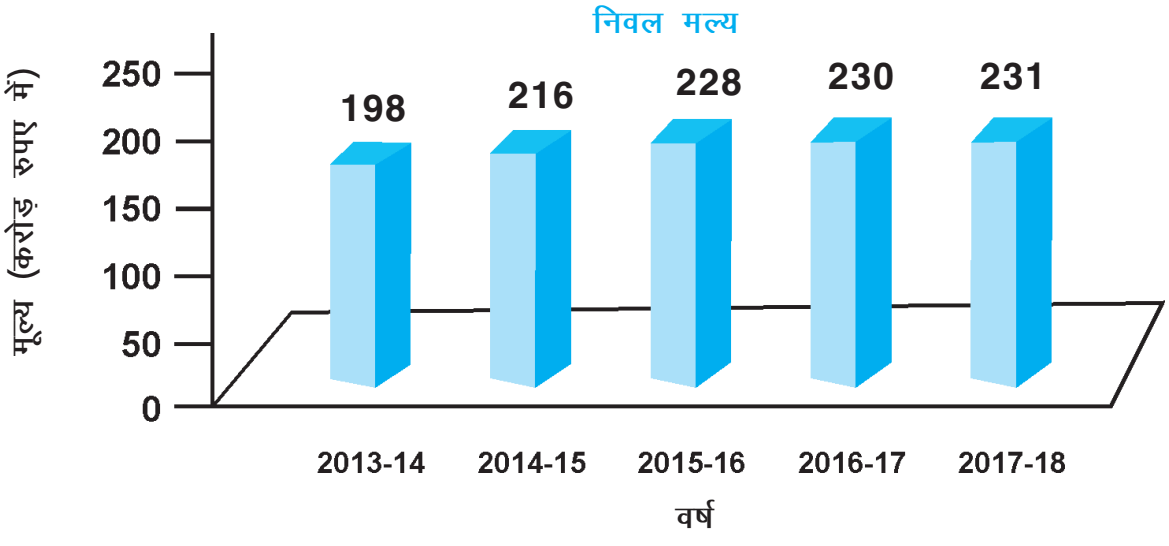

3. लाभांश एवं आरक्षितियां

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2017–2018 के लिए लाभों की अपर्याप्तता के कारण किसी लाभांश (अंतिम/अंतरिम) की सिफारिश नहीं की है।

वित्त वर्ष 2017–18 मैं लाभ की अपर्याप्ता के कारण शून्य लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव है।

तद्नुसार, आरक्षतियों और अधिशेष लेखे में 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार शेष रकम 19,525 लाख रुपए है।

4. विपणन उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी ने 230.31 करोड रुपए के मूल्य की परियोजनाएं प्राप्त की। प्राप्त की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं नीचे दिए अनुसार हैं :

क्रम सं.	परियोजना का नाम और स्थान	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1.	पूर्वोत्तर राज्यों–त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय में विभिन्न स्थानों पर असम राइफल की परियोजनाओं का संनिर्माण	महानिदेशालय असम राइफल्स, शिलांग	120.91
2.	ओडिशा, भुवनेश्वर मैं खंडामाल और गजपति जिले में उन्नयत उच्च विद्यालय का संनिर्माण	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ओडिशा	40.00
3.	गजापति और सुंदरगढ़ जिला, उड़ीसा में उन्नयत प्लस दो महाविद्यालयों का निर्माण	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ओडिशा	22.00
4.	टीएचडीसी के 2x660 मेगावाट खुर्जा एसटीपीपी के कार्यान्वयन के लिए ओनर इंजीनियर सेवाओं के लिए परामर्श	एनटीपीसी लिमिटेड, नोएडा	18.08
5.	चंपुआ क्योंझार जिला, ओडिशा में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का संनिर्माण	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ओडिशा	15.00

भारत तथा विदेश में कार्यान्वयन के अधीन प्रमुख परियोजनाएं

- 470.00 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की ओमान में इंजीनियर्स–3 परियोजना (चरण–II)।
- प्लेटवा से भारत मयांमार सीमा (जोरिनपूरी) मैं राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार मयांमार के चिन राज्य में 109.2 किलोमीटर से आरंभ होकर ईपीसी मोड में 607.20 करोड रुपए मूल्य के दो लेन के मार्ग का संनिर्माण।
- जम्मू केंद्रीय विश्व विद्यालय, जम्मू के परिसर के विकास के लिए 448.50 करोड़ रुपए का परियोजना प्रबंधन परामर्श।
- 550.82 करोड़ रुपए के मूल्य की भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में कच्ची सामग्री प्राप्ति एवं हथालन प्रसुविधाओं का नई ओएचपी, भाग–ख (पीकेजी संख्या 061) के साथ आमेलन।
- 287.81 करोड़ रुपए के मूल्यं के भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में ईंधन एवं फ्लक्स पेराई प्रसुविधाओं (पैकेज संख्या 064) का आमेलन।
- 255.80 करोड़ रुपए के मूल्य की राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चरण–1 में दो संघटक परिसरों का बासार एवं नज़विद, आंध्र प्रदेश में संनिर्माण।
- झारखंड राज्य मैं नए पॉलिटेक्निक संस्थानों/इंजीनियरिंग कॉलेजों का संनिर्माण और विकास, विद्यामान तकनीकी संस्थानों को सुदृढ़ करना और 487.22 करोड रुपए की लागत से अन्य अवसंरचनात्मक विकास सकर्म।
- 100 एमबीबीएस वार्षिक दाखिले वाले आयुर्विज्ञान कॉलेज का संनिर्माण और शासकीय जिला अस्पताल बाड़मेर का 139.00 करोड रुपए की लागत से उन्नयन।
- 161.69 करोड रुपए की लागत से राष्ट्रीय भेषजी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), गुवहाटी के संपूर्ण परिसर का सनिर्माण।
- 113.48 करोड रुपए की की लागत से देहरी, सोन, बिहार में 5.00 एलएलपीडी दुग्ध संयंत्र और 30 एमटीपीडी विद्युत संयंत्र का डिजाइन, संनिर्माण, आपूर्ति, प्रतिष्ठापन और चालू करना।

- सिंगरोली, मध्यप्रदेश में 101. 84 करोड रुपए की लागत से इंटेक कुंए, जल उपचार संयंत्र, वितरण पाइप लाइनों, ओवरहेड टैंक का संनिर्माण एवं गृहस्थों को कनेक्शन प्रदान करना।
- केंद्रपाडा में 110.16 करोड़ रुपए मूल्य के 100 विस्तरों वाले मातृ–शिशु जिला मुख्यालय अस्पताल का निर्माण।
- भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ मिजोरम में 259.06 करोड रुपए की लागत से सीमा सड़क/बाड़ का संनिर्माण।
- भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ मिजोरम राज्य में 181.16 करोड रुपए की लागत से फ्लड लाइटिंग का संनिर्माण।
- सीमा सुरक्षा बल के लिए भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ मिजोरम एवं त्रिपुरा में 357.20 करोड रुपए की लागत से सीमा चौकियों का संनिर्माण।
- जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा में 417.77 करोड रुपए की लागत पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल स्थापित करने के लिए परियोजना प्रबंधन एवं कार्य निष्पादन परामर्श
- खिलपाड़ा, त्रिपुरा में ओटीपीसी के पलाटना, उदयपुर त्रिपुरा में 106.00 करोड रुपए के मूल्य के 2x363.3 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र के लिए नगर का संनिर्माण

भारत में पूरी की गई परियोजनाएं

कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित मुख्य परियोजनाएं पूरी कर ली है:

- चिला एवं पुट्टालम ड्राई जोन अर्बन वॉटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट (श्री लंका) में भूजल विकास।
- उत्तरी 24 परगना में 20 स्थानों और पश्चिम बंगाल, कोलकाता के पूर्वा मेदिनीपुर जिले में 15 स्थानों पर बहु उद्देश्य चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण।
- आरआईडीएफ–XVIII के अधीन पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में अनुषंगी ढांचों के साथ प्रत्येक 5000 मीट्रिक टन क्षमता के आधुनिक खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण।
- उन्नत संगणन विकास केंद्र (सीडैक) पुणे परिसर, पुणे, महाराष्ट्र में आंशिक रूप से निर्मित नवप्रवर्तन पार्क भवन का निर्माण।
- फैक्ट्री में हैंगर, उपयोगिता भावनों और अनुषंगी सुविधाओं का पैकेज–सिविल II (रोटेबल) जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग पूर्व भवन ढांचे (पीईबी) नासिक, महाराष्ट्र के संनिर्माण के लिए सिविल, वैद्युत और उपयोगिता सेवाओं का संनिर्माण।
- त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, अगरतला के लिए विभिन्न भवन परिसनों का संनिर्माण।
- द्वारका, नई दिल्ली में असम राइफल के लिए 32 सं. टाइप II मकानों और 16 सं. टाइप IV मकानों का निर्माण।
- एनआईटी, रायपुर के विद्यमान परिसरों में ए, बी, सी, डी, ई और एफ, छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्धार।
- आइटीबीपी जबलपुर (मध्य प्रदेश) मैं 29 वीं बटालियन के लिए दो नंबर की 120 बैरकों का निर्माण।
- 29 वीं बटालियन जबलपुर (मध्य प्रदेश) के लिए 32 सं. टाइप II मकानों और 16 टाइप III मकानों का संनिर्माण।
- ब्लॉक वॉल, चेन्नई को पुनः प्राप्त करने और संनिर्माण के द्वारा चेन्नई बंदरगाह में विद्यमान नीलामी प्लेटफॉर्म का विस्तार।

5. आदेश पुस्तिका स्थिति

वर्ष 2017–18 की समाप्ति के पश्चात कंपनी ने 7860 करोड़ रुपए के आदेश प्राप्त किए गए हैं, इसके अंतर्गत 1021 करोड रुपए के मूल्य का कार्य है जो, ग्राहक के पास निधियों, कार्य मंच की अनुपलब्धता के कारण रुका हुआ है।

6. समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अधीन कार्यनिष्पादन की रेटिंग

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में कंपनी द्वारा सरकार के साथ वर्ष 2016–17 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अर्थों में कंपनी के कार्यनिष्पादन को **''अच्छा''** रेटिंग प्रदान की है।

7. निगम शासन

ईपीआई विधिक, नैतिक और पारदर्शी रीति में कारबार के संचालन के लिए सुदृढ़ निगम शासन पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी यह विश्वास करती है कि दीर्घावधि में अच्छी निगम शासन पद्धतियां सभी पणधारियों के लिए धन का सृजन करती हैं। ईपीआई लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है और त्रैमासिक तथा वार्षिक आधार पर भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट तथा निगम शासन पर रिपोर्ट इस निदेशकों की रिपोर्ट के साथ क्रमशः **उपाबंध–क** और **उपाबंध–ख** पर उपाबद्ध हैं।

8. क्रेडिट रेटिंग

आईसीआरए की रेटिंग समिति ने प्रत्यय रेखा में आईसीआरए की दीर्घावधि रेटिंग ''आईसीआरए एए–'' की पुनः पुष्टी की है। दीर्घावधि रेटिंग की संभावना 'स्थिर'' है। और कंपनी की गैर–निधि आधारित सीमाओं के लिए आईसीआरए की लघु अवधि रेटिंग '' आईसीआरए ए1+'' की भी पुनः पुष्टी की है।

9. सतर्कता कार्यकलाप

इस उद्देश्य के साथ की संगठन के सारे कृत्य संपूर्ण पारदर्शिता से किए जाएं, सतर्कता प्रभाग ने अनेक कदम उठाए हैं लगभग 90% से अधिक (संकर्म एवं पूर्ति मद) कंपनी के कार्यकलाप सत्यनिष्ठा पैक्ट के अधीन आते हैं। इसके अलावा निविदाओं/बोली को आमंत्रित करने के लिए व्यापक प्रचार हासिल करने के लिए, सूचनाओं के "प्रेस विज्ञापनों" की उपरी सीमा कम कर दिया गया है और ई पेमेंट एवं ई टेंडरिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। "संकर्म प्रदान करने", साइट निरीक्षण और पूर्ति आदि के लिए क्रमवार सुधारों के लिए सुझावों आदि के लिए प्रक्रिया का अनुसरण करने में परियोजनाओं की निरीक्षण रिपोर्टों मे अब, कमियां यदि कोई हो को इंगित किया जाता है। सभी कंपनियों की पूर्ण जांच की जाती है और क्रमवार सुधार के लिए या गलती करने वाले व्यष्टियों के विरुद्ध, यदि कोई हो अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

कंपनी ने अपने विभिन्न कार्यालयों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 30 अक्टूबर 2017 से 4 नवंबर 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस अवसर पर "मेरे संगठन के लिए भ्रष्टाचार रोधी कार्यनीतियां" पर एक निबंध प्रतियोगिता, "भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर चित्र"पर पोस्टर प्रतियोगिता, "भ्रष्टाचार मुक्त भारत" पर एक स्लोगन प्रतियोगिता, ईपीआईएल के कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में 3 नवंबर 2017 को "संविदा एवं संविदा करार में निरोध सतर्कता" पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया था। इस व्याख्यान को श्री आनंद कुमार, सचिव, भारत सरकार, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संबोधित किया गया, इसका आयोजन ईपीआईएल के कर्मचारियों/सलाहकारों/संविदा कर्मचारियों के लिए किया गया था।

वर्ष 2017–18 के दौरान 24 मामलों में से (2 वर्ष के प्रारंभ में और 22 वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए) 20 सतर्कता मामलों का निपटान कर दिया गया है और वर्ष के अंत के दौरान चार मामले लंबित हैं।

10. मानव संसाधन

कंपनी अपने मानव संसाधन के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। परियोजना कार्य निष्पादन जो उसका मुख्य कारबार है, के क्षेत्र में नए उभरते हुए परिक्षेत्रों के साथ गति बनाए रखने के लिए, यह अपनी जनशक्ति को उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षित करती है। कर्मचारियों को आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए के लिए प्रायोजित किया जा रहा है ताकि उनके तकनीकी, संचार और वैयक्तिक कौशल को समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर बढ़ाया जा सके। कंपनी अपने कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक और महिला कर्मचारी भी है और उसने अपनी विद्यमान जनशक्ति को प्रतिधारित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। सेवानिवृत्ती पश्च चिकित्सा फायदा, भविष्य निधि, उपदान, समूह दुर्घटना बीमा और फायदा निधि स्कीम जैसी सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें कंपनी में हैं।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 363 कर्मचारी हैं जिसके अंतर्गत कंपनी में 43 महिला कर्मचारी और तकनीकी और व्यावसायिक रूप से अर्हित 317 कर्मचारी हैं।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिक

कंपनी में 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या 11 है, जिसमें से 10 पुरुष और 1 महिला कर्मचारी है तथा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या 63 है, जिसमें से 60 पुरुष और 03 महिला कर्मचारी हैं।

12. निःशक्त व्यक्ति

कंपनी में 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 02 कर्मचारी निःशक्त थे जो कंपनी की कुल जनशक्ति का 0.55 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निशक्त व्यक्तियों के संबंध में समय–समय पर जारी सभी राष्ट्रपतीय अनदेशों का कंपनी अनुसरण करती है।

13. राजभाषा/हिन्दी का प्रसार

कंपनी में राजभाषा के प्रचार के लिए और उसके प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए "हिंदी शिक्षण योजना "बनाई गई है, जिसके अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन किया जाता है। हिंदी के कार्यान्वयन पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है। राजभाषा नीति के अनुसार कंपनी की वेबसाइट द्विभाषिक प्ररूप के लिए तैयार है। ईपीआई एनएआरएकेएएस (नागर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) का सदस्य है और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर/नवंबर माह में एनआरएकेएएस द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धाओं में नियमित आधार पर नामनिर्देशन भेजे जाते हैं। ईपीआई ने एनएआरएकेएएस के अन्तर्गत प्रतियोगिता भी आयोजित की जिसमें पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के 24 कर्मचारियों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग, भारत सरकार के साथ प्रशासनिक मंत्रालय ने राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों की विशेष सराहना की है।

"हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा समारोह" का प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजन किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए अनेक प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है जैसे लेखन प्रतियोगिता, कविता वाचन, चित्र अभिव्यक्ति, श्रुतलेखन, टिप्पण–प्रारूपण, हस्ताक्षर. वाद विवाद प्रतियोगिता आदि। हिंदी को प्रसार देने के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए "स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह शील्ड" के नाम से एक स्मृति पुरस्कार योजना आरंभ की गई है और

हिंदी भाषा में शासकीय पत्राचार के लिए कर्मचारियों के अंशदान को बढ़ावा देने के लिए उनके बीच उत्साह सृजन के लिए एक नकद पुरस्कार स्कीम भी है। अधिकतम संख्या में पुरस्कारों के विजेता को इस स्कीम के अधीन पुरस्कार/शील्ड प्रदान की जाती है राजभाषा की महता के संबंध में कर्मचारियों के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए त्रैमासिक आधार पर हिंदी कार्यशालाओं का भी संचालन किया जाता है।

14. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अधीन शिकायतों का प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीपड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध और लैंगिक उत्पीड़न का निवारण करने के लिए और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों तथा उससे उपावग या संबंधित विषयों के निपटान के लिए संरक्षण का उपबंध करना है। अधिनियम के उप बंधुओं और उसके अधीन बनाए गए नियमों का कठोरता से अनुपालन किया जाता है।

कंपनी ने लैंगिक उत्पीाड़न की शिकायतों (पीड़िता द्वारा की गई) के निपटान के लिए और ऐसी शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया है।वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई थी।

15. लोकक्रय नीति

लोकक्रय नीति, 2012 प्रतिस्पर्धा के मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो सुदृढ़ क्रय नीतियों और मालों या सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के निष्पाादन के लिए एक प्रणाली के अनुसार जो न्यायोचित, समतुल्य, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी है।

कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की समग्र वृद्धि और साम्या विकास को प्रोत्साहित करने में विश्वास करती है उनकी भागीदारी को निःशुल्क निविदा दस्तावेजों/ईएमडी जमा से छूट देकर, निविदाकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई–उपापन को अंगीकार करके बढ़ाया जा सकता है।

16. निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक नीति

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 75,000–90,000 रुपए (औद्योगिक मंहगाई भत्ता) वेतनमान पर और निदेशकों की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 65,000–75,000 रूपए, औद्योगिक मंहगाई भत्ता, पैटर्न पर की जाती है। उनके निबंधनों और शर्तों को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग द्वारा नियत किया जाता है।

17. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

सरकारी निदेशों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान ईपीआई ने प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता हासिल की।

18. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के ब्यौरे जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया था या जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीईओ), निदेशक (वित्त) (सीएफओ), कृत्यशील निदेशक, और कंपनी सचिव को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) घोषित किया गया है

वर्ष 2017–18 के दौरान नियुक्त निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि
श्री लेख राज, निदेशक (वित्त), ईपीआई	निदेशक (वित्त)#	13.04.2017
श्री एन शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार*	15.06.2017

भारी उद्योग विभाग ने आदेश संख्या 16(6)/2015–टीएसडब्ल्यू तारीख 13 अप्रैल 2017 द्वारा श्री लेख राज को निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त किया है (15 अप्रैल 2017 को डीआईएन आवंटित किया गया)

* अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ए/सी) ईपीआई का अतिरिक्त प्रभार श्री एन शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग को भारी उद्योग विभाग के आदेश द्वारा 15 जून 2017 से सौंपा गया है और नवीनतम आदेश संख्या 12–16/1/2017–टीएसडब्ल्यू (भाग फाइल) तारीख 3 मई 2018 द्वारा भारी उद्योग विभाग ने अध्यक्ष–सह–प्रबंध ईपीआईएल का भाग 15 मार्च 2018 से 6 माह की अवधि के लिए या श्री एस.पी.एस. बक्सी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ईपीआईएल के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने या अग्रिम आदेश होने तक जो भी पूर्वतर हो, सौंपा है।

आदेश सं.12–16/2/2017–टीएसडब्ल्यू (पीटी) दिनांक 29.06.2018 के अनुसार निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार श्री एन शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग एवं अध्यक्ष–सह– प्रबंध निदेशक (ए/सी).ईपीआई को भारी उद्योग विभाग के आदेश द्वारा 1 जुलाई 2018 से श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) के 30 जून 2018 (अपराहन) को सेवानिवृत्त हो जाने पर 3 माह की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, सौंपा है।

वर्ष 2017–18 के दौरान निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), जो पद पर नहीं रहे/जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	के अवधि से
1.	श्री शक्ति मणि, निदेशक (वित्त), सीसीआई	निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार	29 मार्च 2017 से 13 अप्रैल 2017

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के और ब्योरे तथा उनमें वित्त वर्ष के समापन तक पश्चातवर्ती परिवर्तनों को निगम शासन रिपोर्ट तथा एमजीटी–9 (वार्षिक विवरणी का सार) में दिया गया है

19. निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन यथाअपेक्षित आपके निदेशक एतद्द्वारा संपुष्टि करते हैं :

(i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का तात्विक विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ अनुसरण किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो न्यायोचित और बुद्धिमत्तापूर्ण हैं जिससे 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए लाभ का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत किया जा सके;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार कंपनी की आस्तियों के लिए सुरक्षापायों और कपट तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी गई है;

(iv) यह कि सतत आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; और

(v) निदेशकों ने सभी लागू विधियों के उपबंधों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए उचित प्रणालियां बनाई है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक, डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक ने यह घोषणा दी है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में उपबंधित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं।

21. बैठकों की संख्या

वर्ष 2017–18 के दौरान निदेशक बोर्ड की नौ (9) बैठकें आयोजित की गईं, बोर्ड और बोर्ड की उप समिति की बैठकों के ब्योरे इस रिपोर्ट से उपाबद्ध निगम शासन की रिपोर्ट में **उपाबंध–ख** पर दिए गए हैं।

22. अनुषंगी कंपनी/एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम

अनुषंगी कंपनी

19 मई 2016 को 10 लाख रूपए की संदत पूंजी के साथ ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अरबन इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर, (बीयूआईडीपीएल) 39% और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (डीसीपीएल) मुंबई द्वारा 10% के साथ ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी ईपीआई अरबन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को भूमि पार्सलों आदि के विकास के लिए निगमित किया गया है।

अनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पहले निदेशकों से मिलकर बनने वाला अंतरिम बोर्ड का अनुमोदन है, को सरकार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसी बीच सरकार ने ईपीआई के सामरिक अविनिधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी कंपनी की विरचना का समर्थन नहीं किया, ईपीआई ने (ईपीआईयूआईडीएल) के समापन के लिए स्वैच्छिक समापन/परीसमापन के लिए ईपीआईयूआईडीएल के शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन रहते हुए मंजूरी दे दी और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि स्वैच्छिक परीसमापन के लिए 20 दिसंबर 2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की पहली वार्षिक साधारण बैठक में बीयूआडीपीएल सहमत नहीं हुआ। अन्य दो शेयरधारकों को अपने शेयरों का प्रस्ताव करने के पश्चातवर्ती प्रयास सफल नहीं हुए थे। ईपीआई के बोर्ड समापन/प्रस्थान के लिए अन्य विकल्पों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मिलने का विनिश्चय किया।

वर्ष के दौरान अनुषंगी कंपनी पर हुए व्यय को लेखाओं के टिप्पणों में वर्णित किया गया है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अनुषंगी कंपनी में 5,10,000/–रुपए के विनिधान के लिए 100 प्रतिशत उपबंध किया गया है। क्योंकि ईपीआईयूआईडीएल प्रचालन नहीं कर रही है और ईपीआईयूआईडीएल का बोर्ड सक्रिय नहीं है, इसलिए वित्तीय विवरणों का अनुमोदन नहीं किया जा सका और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कानूनी लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी और इसलिए वर्ष 2017–18 के लिए लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए बंद नहीं किया गया है।

एसोसिएट्स : संयुक्त उद्यम

2 अगस्त 2017 को ईपीआई–सीएंडसी जेवी ("संयुक्त उद्यम") जो एक अनिगमित संयुक्त उद्यम है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार

दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा–से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) म्यांमार के किन राज्य में 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर जिसमें सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 60% हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का 40% हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। किए गए संव्यवहार के ब्यौरों को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) और लेखांकन मानक–21 के अनुसरण में, कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जिसके अंतर्गत अनुषंगी कंपनी अर्थात ईपीआईयूआईडीएल है, जिन्हें आगामी वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) के समक्ष कंपनी के वित्त वर्ष 2017–18 के एकल वित्तीय विवरणों के साथ रख दिया जाएगा।

अनुषंगी/सहबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण प्रारूप एओसी–1 में वित्तीय विवरणों के साथ उपाबद्ध है।

24. लेखापरीक्षक

क) कानूनी और शाखा लेखापरीक्षक

भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के लिए नियुक्त कानूनी और शाखा लेखापरीक्षक नीचे दिए अनुसार हैं –

क्रम सं.	फर्म का नाम	क्षेत्र
1	मैसर्स के जी सोमानी एंड कंपनी, नई दिल्ली	कानूनी लेखापरीक्षक
शाखा लेखापरीक्षक :		
1	मैसर्स अय्यर एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
2	मैसर्स एम रघुनाथ एंड कंपनी, कोलकाता	पूर्वी क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
3	मैसर्स ए एस एल एंड कंपनी, मुंबई	पश्चिमी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
4	मैसर्स योगानंद एंड राम,एलएलपी, चैन्नई	दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
5	मैसर्स एच सी शाह एंड कंपनी, ओमान	ओमान, शाखा लेखापरीक्षक
6	मैसर्स रनवीरा एसोसिएट्स, श्रीलंका	श्रीलंका, शाखा लेखापरीक्षक

ख) सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और चयन) नियम 2014 के नियम 9(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी ने मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ग) लागत लेखापरीक्षक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 31 जुलाई 2018 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अधीन विनिर्दिष्ट लागत लेखे और अभिलेखों को तैयार किया गया है और अनुरक्षण किया गया है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2017–18 के लिए मैसर्स ए जी अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को लागत लेखाकार के रूप में नियुक्त किया है।

25. कानूनी लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई प्रत्येक अर्हता, रिजर्वेशन या प्रतिकूल टिप्पणी या प्रकटन पर बोर्ड का स्पष्टीकरण या टिप्पणियां

कानूनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2017–18 के लिए कानूनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखाओं पर टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है। कानूनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट मैं कोई अर्हता, रिजर्वेशन नहीं है। तथापि "मामले पर बल" के अधीन कुछ बिंदुओं का वर्णन किया गया है, जिन पर वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय और अंतिम रूप देते समय विचार किया गया है अर्थात पर्याप्त/समुचित उपवन पहले ही लेखाओं में किया गया है या समुचित लेखांकन उपचार पहले ही किया गया है या समुचित या पर्याप्त लेखांकन नीति पहले से ही है और शेष की पुष्टि के लिए विद्यमान प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए सिफारिश की गई है और भविष्य में इसका अनुपालन करने के लिए इसे नोट कर लिया गया है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2017–18 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट मैं कोई अर्हता, रिजर्वेशन नहीं है। ईपीआई के अविनिधान, अनुषंगी कंपनी अर्थात ईपीआईयूआईडीएल का समापन, सीबीआई द्वारा चालू मामले जिसके अंतर्गत निलंबन मामले हैं, के संबंध में तात्विक सूचना/पर्यवेक्षणों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है

26. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन उधार, प्रतिभूति या विनिधानों की विशिष्टियां

वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन कोई उधार, प्रतिभूति या विनिधान नहीं किया गया है।

27. विशिष्टियों का प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के उपबंधों के अनुसरण में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय के संरक्षण पर सूचना के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

27.01 ऊर्जा दक्षता और उसका संरक्षण

ईपीआई अपने कार्यालय परिसरों और निष्पादन के लिए उसे सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा दक्ष उपस्करों के उपयोग पर लगातार बल दे रहा है ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। एक संनिर्माण परियोजना प्रबंधन संगठन होने के नाते ईपीआई ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जो ऊर्जा की बचत करने के लिए डिजाइन की गई हैं जैसे एचवीएसी प्रणाली में बीएमएस, प्रकाश के लिए एलइडी सजा, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर प्रणाली, औद्योगिक परियोजनाओं में बेहतर दक्षता और ऊर्जा की कम खपत के लिए स्वचालन। डाटा केंद्र में हम दक्षता में वृद्धि करने के लिए और ऊर्जा के संपूर्ण उपयोग के लिए मोडुलर यूपीएस का उपयोग करते हैं।

तेल एवं कोयले जैसे फॉसिल ईंधन के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण वैद्युत ऊर्जा का सृजन करने के

लिए संसाधन दिन–प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। इन संसाधनों के लगभग 60: से अधिक का उपभोग कर लिया गया है। यहां बताया गया है कि ऊर्जा सृर्जन, उर्जा परिवहन मैं दक्ष सुधार और अंतिम साधनों के उपयोग में दक्षता निष्पादन में वृद्धि करने के लिए सुधार की आवश्यकता है।

निम्नलिखित पद्धतियों के अनुसार, पीएमसी/ईपीसी नियंत्रण आदि में नुकसान को कम करने के लिए वितरण लाइनों में हम ऊर्जा की बचत कर रहे हैं:–

क) **फेस भार का संतुलनः** औद्योगिक फेस क्रम पर और सामान हार के परिणाम स्वरूप संघटक ट्रांसफार्मर, केवल, संचालकों को अधिक तप्त कर देते हैं। जिस से नुकसान में वृद्धि होती है और असंतुलित वोल्टेज स्थितियों के अधीन इसका परिणाम मोटर में खराबी के रूप में होता है।

ख) **पावर फैक्टर कंट्रोलर का उपयोग करके ऊर्जा की बचत** : निबंध पावर फैक्टर से करंट में वृद्धि होती है और इसका परिणाम नुकसान में वृद्धि के रूप में होता है तथा इससे वोल्टेज प्रभावित होती है। हम पावर फैक्टर कंट्रोलर या स्वचालित पावर फैक्टर कंट्रोलर युक्तियों का उपयोग करते हैं।

ग) **पीएलसी द्वारा स्वचालन** : कच्ची सामग्रियों को हैंडल करने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं में हम पीएलसी का उपयोग करके संपूर्ण स्वचालन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।

घ) **सॉफ्ट स्टार्टर का उपयोगः** सॉफ्ट स्टार्टर शुरुआती करंट को निर्बंधित करने में सहायता प्रदान करते हैं और यह एक निर्वाचित स्टार्ट भी प्रदान करते हैं और कन्वेयर एवं एचटी उपस्कर अनुप्रयोगों में प्रचालकों को रोकते हैं।

27.02 प्रौद्योगिकी अवशोषण

(क) अनुसंधान और विकास

कंपनी के कार्य की प्रगति को देखते हुए अनुसंधान एवं विकास के लिए सीमित स्थान है क्योंकि, ईपीआई ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर कार्य का निष्पादन करती है। तथापि ईपीआई ने सक्रिय रूप से पारंपरिक आरसीसी फ्रेम ढांचा अर्थात पूर्व विरचित, मॉड्यूलर मोनोलिथिक कंक्रीट जिसमें अलुमा फ्रेमवर्क प्रणाली आदि का तीव्र और लागत प्रभावी संनिर्माण के लिए उपयोग किया जाता है के उपयोग के साथ साथ प्राकृतिक प्रौद्योगिकी जैसी अद्यतन प्रौद्योगिकी को भी उपलब्ध कराया है।

(ख) प्रौद्योगिकी विलयन

कंपनी प्रौद्योगिकी के और संनिर्माण तकनीक के उन्नयन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने काफी उत्साह से स्मार्ट शहर मिशन (एससीएम) को आरंभ किया है, जो 100 शहरों का उन्नयन करने के लिए एक प्रमुख पहल है। एससीएम की परियोजनाओं में से अन्य के साथ साथ एक परियोजना सस्ते आवास, एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन खुले स्थानों का सृजन और उनका अनुरक्षण तथा अपशिष्ट और यातायात प्रबंधन है। परियोजना शहर के किसी एक विशेष भाग या संपूर्ण शहर पर ध्यान केंद्रित करती है। सरकार के स्मार्ट शहर मिशन में भाग लेने के लिए ईपीआई ने नौ फ्रेंच कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अद्यतन सीमा अवसंरचना और निगरानी प्रणाली विकसित की है जिसमें भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक की रूप से नियंत्रित रोक, वास्तविक समय निगरानी मानिटरी को अंगीकार किया गया है जिसमें संवेदकों, प्रकाशिक फाइबर केबल और एचआरसी कैमरा का उपयोग का उपयोग किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को घुसपैठ/दुर्व्यापार का निवारण करते हुए बचाव करता है और सुरक्षित रखता है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी और उपक्रम संसाधन आयोजना (ईआरपी)

सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विभिन्न कृत्यों जैसे वेतन, लेखांकन, बैंक प्रतिभूति प्रणाली, जैवमिति उपस्थिति प्रणाली, शिकायत मानीटरी प्रणाली, ऑनलाइन भर्ती प्रणाली और परियोजना मानीटरी प्रणाली और भविष्य निधि न्यास प्रबंधन प्रणाली के लिए अपने कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है।

ईआरपी–एसएपी का एचआर एवं वेतन पर्ची, वित्तीय प्रबंधन और दस्तावेज प्रबंधन मॉडयूल के लिए कार्यान्वयन आरंभ कर लिया गया है एसएपी में जीएसटी को शामिल करने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। कंपनी ने आईपीवी6 मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सभी कंप्यूटरों/उपसाधनों को प्रतिस्थापित कर लिया है; उसके पास एक वीडियो संगोष्ठी प्रणाली है जिसमें सभी प्रादेशिक कार्यों को संपर्क उपलब्ध कराया गया है तथा उसने एक वित्त कार्यालय प्रादेशिक कार्यालय में सफलतापूर्वक एमपीएलएस (वैन) को कार्यन्वित कर लिया है।

27.03 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी ने पूर्ववर्ती वर्ष में 55,254 लाख रुपए के मुकाबले 79,699 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा मुद्रा अर्जित की। वर्ष 2017–18 में उपगत विदेशी व्यय 2016–17 में 53,078 लाख रुपए के मुकाबले 2017–18 में 74,645 लाख रुपए रहा।

28. गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड कुछ भारतीय ठेकेदारी कंपनियों में से एक है जिसे गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए नवीनतम आईएसओ 9001:2015 और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के लिए आईएसओ 14001:2015 से प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार ये गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (क्यूईएमएस) को कवर करती है। प्रमाणन के स्कोप में औद्योगिक और अन्य सनिर्माण परियोजनाओं की अवधारणा में भारत और विदेशों में प्रतिष्ठापन तक बहु–विषयी अवसंरचना, औद्योगिक और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं का डिजाइन, उपाप्तिन और कार्यान्वयन शामिल है।

कंपनी को निगमित कार्यालय के संबंध में वृत्तिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निर्धारण श्रृंखला (ओएचएसएमएस) 18001:2007 अर्थात वृत्तिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) से भी प्रमाणित किया गया है। जो ईपीआई के निगम कार्यलय को लागू होती है।

29. कर्मचारियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा अपेक्षित कानूनी सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 और तद्धीन बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं होते हैं।

30. निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता

निदेशकों की इस रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता पर एक रिपोर्ट **उपाबंध–ग** के रूप में उपाबद्ध है।

31. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास उसके कारबार के व्यवस्थित और दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों के सुरक्षा उपायों, कपट का निवारण, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और विश्वसनीयता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयार करना शामिल है।

32. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन

मुख्य कार्यापालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन निगम शासन पर रिपोर्ट के साथ संलग्नक है।

33. जमा

वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी ने कोई जमा नहीं लिया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नहीं आता है या उसकी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

34. नातेदार पक्षकारों के साथ संविदाओं या इन्तजामों की विशिष्टियां

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में निर्दिष्ट संबंधित नातेदार के साथ किसी संविदा या इन्तजाम में प्रविष्ट नहीं हुई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अधीन यथापेक्षित प्ररूप एओसी–2 में विशिष्टियां **उपाबंध–घ** में संलग्न हैं।

35. चालू समुत्थान प्रस्थिति और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और तात्विक आदेशों के ब्यौरे

लेखाओं की टिप्पणियों में आकस्मिक दायित्व में घोषित से भिन्न कोई महत्वपूर्ण या तात्विक आदेश विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया हो जो कंपनी की चालू अस्तित्व प्रस्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करता है।

36. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 92 (3), धारा 134 (3) की अपेक्षा के अनुसार वार्षिक रिर्टन का उद्धरण इस रिपोर्ट के **उपाबंध–ड.** पर उपाबद्ध है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना तारीख 31 जुलाई 2018 के साथ पठित कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2017 के अनुसार इस अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

37 आभार

आपके निदेशक निगम की उपलब्धियों में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों की मूल्यवान सेवाओं और समर्पित प्रयासों के लिए भी अभिलेख पर अपनी सराहना रखते हैं, बोर्ड विशेषकर भारत सरकार भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग और विभिन्न राज्य सरकारों और कानूनी प्राधिकरणों के मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता के लिए भी धन्यवाद करते हैं। बोर्ड कंपनी के बैंकों, निवेशकों, ग्राहको, सलाहकारों, ठेकेदारों और विक्रेताओं का भी उनकी सतत सहायता और कंपनी में विश्वास रखने के लिए कृतज्ञ हैं। बोर्ड अपने सभी कर्मचारियों कि उनकी मूल्यवान सेवाओं और उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है तथा उसे विश्वास है कि वह भविष्य में बेहतर कार्य निष्पादन हासिल करने के लिए अपना सर्वोत्तम देकर कंपनी में योगदान करना जारी रखेंगे।

बोर्ड के लिए और उसके निमित

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 अगस्त, 2018

ह0/–
(एन शिवानंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन : 07852689

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग ढांचा और विकास

वैश्विक अवसंरचना आउटलुक दर्शाता है कि आय के बढ़ते हुए स्तर और आर्थिक संपन्नता से अगले 25 वर्ष में भारत में अब सरचना विनिधान की मांग बढ़कर 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है।

संनिर्माण उद्योग विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि इससे विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में विनिधान के अवसर उत्पन्न होते हैं। भारत में निर्माण उद्योग कई दशकों से राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8% से 10% का अंशदान कर रहा है। बीएमआई सर्वेक्षण के अनुसार भारत में निर्माण उद्योग में वर्ष 2018 में 6.1% की वृद्धि होगी–जो वर्ष 2017 में हुई 5% वृद्धि में बढ़ोतरी है। वास्तविक वृद्धि 2018 और 2027 के बीच 6.2% होगी। अवसंरचना विकास को राज्य से काफी प्रोत्साहन मिला है।

वर्ष 2015 में सरकार ने स्मार्ट शहर मिशन आरंभ किया और पुनरुद्धार के लिए अटल मिशन और शहरी ट्रांसफॉरमेशन के (एएमआरयूटी) स्कीम आरंभ की। स्मार्ट शहर मिशन के अधीन सरकार की 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विनिधान से 100 चुनिंदा शहरों में अवसंरचना विकास की योजना है, जबकि एएमआरयूटी स्कीम के अधीन वर्ष 2022 तक 500 शहरों के विकास के लिए 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर व्यय करने की सरकार की योजना है।

सड़क परिवहन भारत में परिवहन का सबसे प्रमुख तरीका है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व पूर्ण रूप से योगदान करता है इस को बढ़ावा देने के उपाय उसे वर्ष 2001 में सड़कों की लंबाई जो 3.373 मिलियन किलोमीटर थी बढ़कर 5.717 मिलियन किलोमीटर हो गई है जबकि इसी अवधि में वाहन चार गुना बढ़कर 229 मिलीयन हो गए हैं। जहाजरानी में 10000 करोड रुपए के विनिधान से परियोजनाएं और 80 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वर्धन की परियोजनाओं को हासिल करने का लक्ष्य किया गया है। इनमें से 15 परियोजनाएं जिनमें 3,159 करोड रुपए का विनिधान और 18 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष का क्षमता वर्धन शामिल है को पहले ही दे दिया गया है।

भारतमाला और सागरमाला क्रमशः राजमार्ग और जहाजरानी क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलें हैं। सागरमाला पत्तनों के अधीन मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया है जिन के अधीन 131 पत्तन क्षमता विस्तार परियोजनाएं जिनकी परियोजना लागत 85,346 करोड रुपए है की अगले 20 वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के लिए पहचान कर ली गई है। वर्षों के दौरान अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन क्षमता में सारवान वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 30 नवंबर 2017 को 330860.6 मेगा वाट हो गई है। दूरसंचार क्षेत्र में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को उच्च गति ब्रॉडबैंड से जोड़ने को भारत नेट चरण II के अधीन मार्च 2019 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

नागर विमानन क्षेत्र का 50 सेवा ही और कम सेवा देने वाले विमानपत्तनों/विमान पट्टियों के जीर्णोद्धार को 4,500 करोड रुपए के उपबंध के साथ सरकार की बजटीय सहायता से दिसंबर 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा।

आईसीआरए, रेटिंग अभिकरण के अनुसार सरकार द्वारा अवसंरचना पर व्यय करने से भारी मांग के कारण निकट भविष्य में वृद्धि होने की आशा है। मांग में वृद्धि से आंशिक रूप से लागत पर भार जिसका घरेलू कंपनियों द्वारा निकट भविष्य या मध्यम अवधि में सामना किया जाना है, कम हो जाएगा घरेलू मांग में बढ़ोतरी होने और इस्पात के अंतरराष्ट्रीय मूल्य में कमी के कारण उत्पादन वृद्धि की भी बढ़ने की आशा है, जिस से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

यातायात प्रबंधन और सूचना नियंत्रण केंद्र (डीएमआईसीसी) नियंत्रण कक्ष है जिनके पास अपेक्षित सूचना प्रौद्योगिकी

अवसंरचना, अनुप्रयोग, वीडियो वाल्स, ऑपरेटर कंसोल और अन्य विजुलाइजेशन टूल्स है जो सड़क नेटवर्क पर यातायात की मानीटरी और प्रबंधन में सहायता करते हैं। टीएमआईसीसी परिवहन नेटवर्क में तैनात फील्ड उपस्कर जैसे यातायात संकेत, संवेदक, कैमरा, डिटेक्टर आदि से जुड़ा हुआ है। यह उपकर टीएमआईसीसी के माध्यम से नियंत्रित होते हैं और यातायात प्रवाह, घटना प्रबंधन और यातायात सूचना का प्रसार करने के लिए टीएमआईसीसी को डाटा फीड प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय शहरी यातायात हेल्पलाइन (एनयूटीएच) की योजना बनाई जा रही है और पब्लिक द्वारा यात्रा योजना को सुकर बनाने के लिए यात्रा से संबंधित अन्य सूचना और पब्लिक परिवहन के संबंध में सूचना का प्रसार करने की इसके द्वारा आशा है। एनपीएच का विकास विभिन्न भारतीय शहरों के लिए किया जाएगा और यह विभिन्न चैनलों के माध्यम से अर्थात एक सामान्य एकीकृत टेलिफोन हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट, मोबाइल अनुप्रयोग और सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक परिवहन सूचना उपलब्ध कराएगा।

यात्रियों जो यात्रा के विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं तथा जिनकी यात्रा करने की व्यापक विशेषताएं हैं, की व्यापक रेंज को सूचना प्रदान करने के लिए एनयूटीएच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ओं का उपयोग करेगा। इससे यात्री सूचित यात्रा का चयन करने में समर्थ हो सकेंगे और इससे परिवहन आस्तियों और सुविधाओं का भी प्रभावी उपयोग हो सकेगा।

सरकार आर्थिक वृद्धि करने के लिए प्रादेशिक और वैश्विक संपर्क में भी सुधार करने की और एशिया तथा उससे परे अपने सामरिक हितों को पूरा करने के लिए योजना बना रही है।भारत –मयंमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, सिटवे पत्तन का विकास और आई एन एस टी सी या अंतरराष्ट्रीय पूरब दक्षिण व्यापार कॉरिडोर में तेजी लाई जा रही है।

अतः यह कहा जा सकता है कि सरकार के अगले 5 वर्ष के दौरान राजमार्गों, सड़क मार्गों, भू संपदा और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विनिधान योजना को लाने के लिए तैयार होने के साथ संनिर्माण क्षेत्र के लिए संभावनाएं बहुत सकारात्मक हैं।

एसडब्ल्यू ओटी विश्लेषण

सुदृढ़ताएं एवं खामियां

ईपीआईएल का 45 वर्ष से अधिक का प्रचालन अनुभव है, जो उसे उसके प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले भारी फायदा प्रदान करता है। इसने वर्षों के दौरान सतत वृद्धि उप दर्शित की है। इसके पास 300 कर्मचारियों का कौशल पूल है। ईपीआई व्यापक अर्थव्यवस्था तैयार करने के लिए दक्ष एसोसिएट्स के साथ सहयोग लेने के लिए समर्थ रही है। इसके अतिरिक्त इसने सड़क, पुल, राजमार्ग, संस्थानिक भवन, सीमा प्रबंधन जैसी बड़े पैमाने की सिविल इंजीनियरी और अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन किया है और अधिकांश का निष्पादन चुनौतीपूर्ण वातावरण में किया गया है जिसमें उसे कठिन वातावरण, गृह युद्ध, उपद्रव और राजनीतिक का सामना करते हुए किया गया है। ईपीआई भारत में संनिर्माण कंपनियों में से एक ऐसी पहली कंपनी थी जिसने मध्य पूर्व में अपनी छाप स्थापित की। ईपीआई के पास पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर दोनों में सभी विद्युत उपयोगिताओं और इस्पात संयंत्रों के लिए कार्य करने की दुर्लभ उपलब्धि है। इसकी स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारी उपस्थिति है। ईपीआई परियोजना निर्यात मैं भी अग्रणी रही है और इसने अन्य भारतीय ठेका कंपनियों के लिए रास्ते खोले हैं। प्राइवेट विनिधान मैं मंदी ईपीआईएल जैसी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को देश में अवसंरचना की पूरा अपनी संनिर्माण दक्षता का प्रस्ताव करने का अवसर प्रदान करती है।

संनिर्माण उद्योग प्रत्येक स्थान पर समस्याओं और चुनौतियों का सामना करता है। तथापि भारत जैसे विकासशील देशों में यह कठिनाइयां और चुनौतियां सामाजिक–आर्थिक दबाव, संसाधनों की हमेशा विद्यमान कमी, संस्थानिक कमियां और महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने की साधारण असमर्थता के साथ उपस्थित होती हैं। ईपीआईएल उन चुनौतियों का सामना करता है जो किसी बड़ी पारिस्थितिकी में विद्यमान होती हैं। इसके अतिरिक्त इसे उपस्कर और संयंत्र मशीनरी के लिए अपने एसोसिएट्स पर निर्भर करना होता है। इसके अतिरिक्त उसे कुछ दुर्घटना और उत्तरवर्ती योजना की कमी का भी सामना करना पड़ता है।

अवसर एवं चुनौतियां

भारत का संनिर्माण उद्योग अब से वर्ष 2021 तक सीएजीआर के 4.16% की दर से वृद्धि करना जारी रखेगा। इस समय भारत भवन अवसंरचना के लिए सबसे जीवंत बाजार है। पब्लिक सेक्टर के लिए निर्वाह करने के लिए बड़ी भूमिका है विशेषकर जब प्राइवेट विनिधान बहुत उत्साहबर्द्धक नहीं है।

इससे ईपीआईएल को एक बडा अवसर प्राप्त होता है क्योंकि ईपीआईएल एमआरटीएस, नवीकरणीय ऊर्जा, पत्तन विकास, सीमा सड़क, नाभिकीय ऊर्जा और सस्ते आवास जैसे नए खंडों में प्रविष्ट होने के लिए विविध क्षेत्रों में कदम रख रहा है।

ईपीआईएल वैश्विक कंपनियों और भारतीय कंपनियों से कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। इस समय संनिर्माण क्षेत्र में शामिल होने के लिए रॉक कम है, यह एक तरबतर बाजार का निर्माण करता है जिसमें बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा से लाभ का मार्जिन कम हो रहा है और नई प्रौद्योगिकी में अनिवार्य पुनः विनिधान और बेहतर कारबार पद्धतियां कम होती जा रही हैं। स्थिर संनिर्माण श्रमिक उत्पादकता इस समस्या को बढ़ा रही है। डिजाइन की जटिलता इस समस्या को और बढ़ा देती है। कौशल ट्रेड में भी कमी हुई है जो पर्यवेक्षक, आकलन कर्ता, और इंजीनियरों जैसे संनिर्माण व्यवसायियों में कमी के रूप में सामने आती है। वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती के वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करना एक मुख्य चुनौती है और ईपीआई को पर्यावरण के अनुरूप संनिर्माण प्रक्रियाओं को अंगीकार करने की आवश्यकता है जिससे लघु अवधि में प्रचालन लागत बढ़ सकती है।

खंडवार और उत्पादवार कार्यनिष्पादन

कंपनी के आवर्त में औद्योगिक, प्रक्रिया संयंत्र, सामग्री हस्तालन वैद्युत और सीमा प्रबंधन परियोजना घटक 57.82 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहे, जिसके पश्चायत आवास एवं भवन संकर्म हैं जिसके अंतर्गत हस्पताल परियोजना घटक है इस घटक की प्रतिशत भागीदारी घटकर पिछले वर्ष में 41.81 प्रतिशत के मुकाबले 36.53 प्रतिशत हो गई है। बांध एवं सिंचाई परियोजना घटक में थोड़ी सी वृद्धि हुई है तथा जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्कीम घटक में पिछले वर्ष की तुलना कमी हुई है।

नीचे दी गई सारणी कंपनी के प्रचालनों का खंड वार विश्लेषण प्रस्तुत करती है :

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	खंड वार परियोजनाएं	2015–16		2016–17		2017–18	
		आवर्त	%	आवर्त	%	आवर्त	%
1	आवासन एवं भवन संकर्म जिसके अंतर्गत हस्पताल परियोजना हैं	462.13	35.67	678.00	41.81	587.24	36.53
2	बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं	0.46	0.04	49.19	3.03	51.84	3.23
3	औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र, सामग्री हस्तालन और वैद्युत एवं सीमा प्रबंधन परियोजनाएं	741.01	57.20	802.21	49.47	929.48	57.82
4	जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय योजनाएं	37.70	2.91	68.60	4.23	37.01	2.30
5	परिवहन संरचनाएं	11.58	0.89	18.75	1.16	–	–
6	अन्य परियोजनाएं	42.58	3.29	4.70	0.29	1.84	0.12
	योग	**1295.46**	**100.00**	**1621.45**	**100.00**	**1607.41**	**100.00**

संभावना

ईपीआई की विशेषता बड़ी संख्या में मध्यम और बड़े आकार की शिविर एवं अवसंरचना परियोजनाओं, एकीकृत मॉडर्न शहरों जिसमें सभी संलग्न अवसंरचना, प्रतिष्ठित पब्लिक और बहुमंजिला भवन, ऊंचे ढांचे जैसे ग्रैन सीलियोस और टीवी टावर है जिनमें स्लीप फॉर्मिंग, खेल स्टेडियम, ऑडिटोरियम बड़ी संख्या में गहरी खुदाइयां, सुरंगें, भारी संयंत्र और उपस्कर के लिए नींव, भारी ढांचा संकर्म आदि के लिए संविरचना और ढांचा खड़ा करना आदि का कार्य करना है।

पूर्व और अन्य परियोजनाओं के भाग के रूप में ईपीआई ने बड़े वैद्युत और वातानुकूलन संकर्म, जलापूर्ति प्रणालियां, अग्निशमन और अन्य अवसंरचना प्रसुविधाओं के कार्य को भी पूरा किया है।

ईपीआई ने भारत और विदेशों में विभिन्न ग्राहकों के लिए बड़ी संख्या में औद्योगिक परियोजनाओं को पूरा किया है। इन परियोजनाओं में इराक में आयुध संयंत्र, यांत्रिक प्रशिक्षण केंद्र आदि, सऊदी अरब में तेल टैंक फॉर्म, विद्युत परियोजनाएं से लेकर तेल डिपो,क्रॉस कंट्री तेल पाइपलाइन, ग्रुप गैदरिंग स्टेशन, अयस्क बेनिफिसियेशन संयंत्र, कोल वाशरी, सामग्री हस्तालन संयंत्र, फिनिशिंग और प्रोसेसिंग लाइन तथा इस्पात संयंत्रों के लिए भट्टियां, जलापूर्ति और वितरण, जल उपचार संयंत्र अवशिष्ट उपचार संयंत्र, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल संयंत्र, चीनी संयंत्र, पतन हस्तालन सुविधा,सीमा पर बाड़ लगाना आदि सम्मिलित है। ईपीआई अनेक प्रक्रिया संयंत्रों को भी कार्यान्वित किया है जिनमें प्रक्रिया पाइपिंग, पोत, स्तंभ, ताप विनिमय, पंप, कंप्रेसर और जटिल नियंत्रण तथा इंस्ट्रूमेंटेशन संकर्म शामिल है।

ईपीआई के कार्यकलापों में लगभग सभी प्रकार के उद्योग आते हैं। ईपीआई का विशिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विश्व विख्यात संगठनों के साथ सहयोग रहा है।

ईपीआई संपूर्ण भारत में विभिन्न राज्यों में अनेक जल आपूर्ति परियोजनाएं और संबंधित परियोजनाओं का कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति के लिए पाइप लाइनों को बिछाना, ओवरहेड भंडारण टैंक आदि है। इसने राजमार्गों/सड़कों/बांधों/सुरंग डालने की परियोजनाओं, सिंचाई/नहर परियोजना/पर्यावरण परियोजना और विदेश में परियोजनाओं की प्रमुख क्षेत्रों के रूप में पहचान की है। वास्तव में यह विभिन्न राज्य सरकारों के लिए कुछ सड़क परियोजनाओं का कार्य कर रही है। भिलाई में इस्पात संयंत्र का एक औद्योगिक परिसर के रूप में विकास किया गया है। पूर्वोत्तर में अस्पतालों का विकास कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त रक्षा में पैरामीटर सर्वेक्षण और सुरक्षा, हवाई अड्डा और सीमा प्रबंधन (भारत–बांग्लादेश और भारत–पाकिस्तान) का पता लगाया जा रहा है। ईपीआई पहले ही सीमा सड़कों, सीमा चौकियों और सीमा बाढ़ का ओमान–यमन सीमा पर संनिर्माण कर लिया है। इसके अतिरिक्त ईपीआई सस्ते आवास के क्षेत्र में जोधपुर में एक योजना की उपाप्ति के साथ पदार्पण कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की सौर पीवी ग्रिड परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए पहचान की जा रही है।

ईपीआईएल को इस बात को सुनिश्चित करना है कि वह सरकारी क्रेडिट सुविधा वा सरकार और अन्य देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार नए कारबार क्षेत्रों में पदार्पण करने के साथ–साथ अपने सर्वोत्तम फायदाप्रद क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना जारी रखें और उन्हें बनाए रखे। इसके अतिरिक्त मूल्य सर्जन, प्रचालन उत्कृष्टता, गुणवत्ता पर ध्यान और आवर्ती बे से बचने के लिए परिचालन और अनुरक्षण लागत पर बल के साथ अपवादिक ग्राहक सेवा प्रदान करने पर बल होना चाहिए।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी में आंतरिक नियंत्रणों के लिए पर्याप्त प्रणाली है और सुविरचित प्रक्रियाएं हैं जो सभी वित्तीय और प्रचालन कृत्यों को कवर करती हैं। इनको लेखा बही में लेखांकन नियंत्रणों, अर्थव्यवस्था की मॉनीटरी और प्रचालनों की प्रभावशीलता, अप्राधिकृत उपयोग या नुकसान से आस्तियों के संरक्षण और वित्तीय तथा प्रचालन सूचना की विश्वसनीयता के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन नियंत्रणों का नियमित रूप से उनकी दक्षता और प्रभावशीलता के लिए पुनर्विलोकन किया जाता है।

प्रचालन कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी ने पूर्ववर्ती वर्ष के 1,63,038 लाख रूपए के आवर्त की तुलना में 1,60,741 लाख रूपए का आवर्त हासिल किया और पूर्ववर्ती वर्ष के 412 लाख रूपए के कर–पूर्व लाभ की तुलना में 171 लाख रूपए का कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित किया। वर्ष के लिए समग्र मार्जिन पूर्ववर्ती वर्ष के 1170 लाख रूपए की तुलना में 812 लाख रुपए रहा।

कंपनी का निबल मूल्य 14 लाख रुपए से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 23,053 लाख रूपए की तुलना में वर्ष 2017–18 में निवल मूल्य 23.067 लाख रुपए हो गया।

लाभ की अपर्याप्तता के कारण वित्त वर्ष 2017–18 में शून्य लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मंच जिसके अंतर्गत नियोजित लोगों की संख्या है, में तात्विक विकास

कंपनी का ध्यान भारत के साथ–साथ विदेशों में विशेषकर मध्य पूर्व, अफ्रीका और पश्चिम एशिया मैं परियोजनाएं प्राप्त करने पर है। लक्ष्य को हासिल करने को सुकर बनाने के लिए कंपनी चालू परियोजनाओं के साथ–साथ नई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर विशेषीकृत कौशल के साथ सर्वोत्तम प्रतिभा को हासिल करने का उद्देश्य रखती है। 2017–18 के दौरान 13 कर्मचारियों की भर्ती की गई जो व्यवसायिक और तकनीकी रूप से अर्हित हैं।

इसके साथ कंपनी सभी स्तरों पर अनेक इन हाउस और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करके कर्मचारियों के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का विकास करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करती है।

वित्त वर्ष 2017–18 में 46 सं. मानव दिवस का इन हाउस प्रशिक्षण संचालित किया गया था और 23 सं. मानव दिवस का बाहरी प्रशिक्षण संचालित किया गया था।

पर्यावरणीय संरक्षण और परिरक्षण, तकनीकी परिक्षण, विदेशी मुद्रा की बचत

क) पर्यावरणीय संरक्षण और परिरक्षण

कंपनी पर्यावरणीय संरक्षण और उसके परिक्षण के प्रति अपने उत्तरदायित्व के संबंध में पूर्णतः भिज्ञ है। पारिस्थिकी परिक्षण इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समीचीन है कि किसी समुदाय में विकास की प्रक्रिया उसके पर्यावरण के अनुरूप होने के साथ–साथ उस समुदाय की विशिष्ट संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। कंपनी सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी संगठन है और वह पर्यावरणीय चिंताओं पर आईएसओ नीति और प्रक्रिया मैनुअल के अधीन अपनी पर्यावरणीय प्रबंध प्रणाली के माध्यम से ध्यान दे रही है और उसे पर्यावरणीय प्रबंध प्रणालियों (ईएमएल) को कवर करते हुए आईएसओ–14001 : 2015 से प्रमाणित किया गया है।

पर्यावरण के गहन अनुकूल और ऊर्जा की बचत करने वाले उपाय जैसे भस्म ईंटो और पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट, वृक्षारोपण, व्हील वाशिंग सुविधा, जल संचयन, सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा, प्रकाश संवेदक, कम किया जा सकने वाला प्रकाश आदि का कंपनी द्वारा उपयोग किया जा रहा है। कंपनी ने परियोजनाओं के निष्पादन में एकीकृत पर्यावास निर्धारण के लिए हरित रेटिंग (जीआरआईएचए) को अंगीकार किया है जिसका परिणाम पर्यावरण के रक्षण के साथ–साथ ऊर्जा की बचत के रूप में हुआ है। कंपनी विविध पर्यावरणीय उपायों का भी अनुसरण करती है जैसे ध्वनि नियंत्रण, तेल की लीकेज का नियंत्रण, जल के दुरुपयोग का नियंत्रण धूम्रपान आदि पर नियंत्रण और उसने अपने सभी क्षेत्रों में वृक्षों का भी रोपण किया है। पर्यावरण अनुकूल उपस्कर जैसे सौर प्रकाश आदि का भी निगम कार्यालय/विभिन्न परियोजना स्थलों पर प्रतिस्थापन किया जा रहा है।

(ख) प्रौद्योगिकीय संरक्षण

प्रौद्योगिकी परीक्षण के एक भाग के रूप में, ईपीआई ने संनिर्माण लागत और समय को कम करने के लिए तथा पर्यावरणीय प्रदूषण में कटौती करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना आरंभ कर दिया है।

- सड़कों का निर्माण करने और बाड की नींव को स्थिर करने के लिए चूना पत्थर/धातुमल जैसे खनन की गई सामग्रियों का उपयोग।
- शून्य निस्सारण के साथ अवशिष्ट उपचार जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रण, लवणता को कम करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी प्रभावी सूक्ष्म जीवाणु प्रौद्योगिकी सहित ऑनलाइन उपचार।
- वृहत्त आवास और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं के लिए तीव्र मोनोलिथिक आपदा रोधी प्रयोग की को अंगीकार करना।

(ग) विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी हमेशा विदेशी मु.द्रा की बचत करने का प्रयास करती है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्वादेश में निर्मित सामग्रियों और मशीनों की खरीद की जाती है जो कंपनी से विदेशी मुद्रा के बाहिर्गम को रोकती है। नई प्रौद्योगिकियों, इंजीनियरी नूतनों, आदि को स्वंशय के डिजाइन का विकास करने के लिए अंगीकृत किया जाता है।

प्रौद्योगिकियों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए और आधुनिक उत्पाादन तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की भारत में स्थापना करने के लिए मशीनरी, मशीनरी के समुचित उपांतरण/अंगिकरण के लिए, उपस्कर और विदेश आधारित प्रौद्योगिकीय डिजाइन को स्वोदेशी स्रोतों से खरीदा जाता है। भारतीय परिस्थितियों की भीषणता के अधीन प्रचालन के लिए अंगीकार करने के लिए सभी प्रक्रियाओं को भीषण परीक्षण और जांचों से गुजारा जाता है। मूल्यवान विदेशी मुद्रा का व्यय भारतीय दक्षता का विस्तृत इंजीनियरी, विनिर्माण एवं सुविधाओं के संयोजन में नई प्रौद्योगिकियों और विदेश में विकसित जानकारी को अपनाकर उन्नत डिजाइन एवं तकनीकी विशेषताओं के माध्यम से न्यूनतम किया गया है।

सचेत करने वाला विवरण

इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का विवरण कंपनी के उद्देश्यों, प्रेक्षणों का वर्णन करता है जो लागू विधियों और विनियमों के अर्थांतगत आगे बढ़ने के लिए कथन हैं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या समझे गए परिणामों से सारवान रूप से या तात्विक रूप से भिन्न हो सकते हैं, महत्वपूर्ण विकास कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकते हैं जिनके अंतर्गत अवसंरचना क्षेत्र में अवमूल्यन की प्रवृत्ति, भारत में आर्थिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, कर, विधियां, मुकदमेबाजी और श्रमिक संबंध हैं।

उपाबंध–ख

निगम शासन पर रिपोर्ट

1. निगम शासन पर कंपनी का दर्शन

कंपनी के मिशन/ध्येय कथन में ''पणधारियों के मूल्य का वर्धन'' का उत्कीर्ण किया गया है। कंपनी दृढ़ता से यह विश्वास करती है कि अच्छे निगम शासन से सभी पणधारियों के लिए अविछिन्न आधार पर मूल्य का सृजन होता है। निगम शासन मुख्यतः पारदर्शिता, तात्विक तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, बोर्ड की स्वतंत्रता और सभी पणधारियों के साथ न्यायोचित व्यवहार से संबंधित है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का निगम प्रशासन पर दर्शन निम्नानुसार है :

''पेशेवरता का प्रयोग करना और कंपनी के सभी पणधारियों के लिए मूल्य का सृजन करने के लिए प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी होना है''।

2. निदेशक बोर्ड

(क) बोर्ड की संरचना

ईपीआई के बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) के माध्यम से की जाती है।

ईपीआई का निदेशक बोर्ड 3 कृत्यशील/पूर्णकालिक निदेशक/2 सरकारी नामनिर्देशित निदेशक तथा 3 स्वतंत्र निदेशकों से मिलकर बना है। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त था। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त पदभार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का पद श्री एन शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग द्वारा धारण किया गया था, प्रशासनिक मंत्रालय को उक्त स्थिति से अवगत करा दिया गया।

(ख) निदेशक बोर्ड की संरचना के ब्यौरे; निदेशक की श्रेणी; बोर्ड की बैठकों और वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में उपस्थिति; और वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान धृत अन्य निदेशक पद नीचे दिए अनुसार हैं:

निदेशकों का नाम	श्रेणी	भाग ली गई बोर्ड की बैठक	अंतिम एजीएम जिसमें भाग लिया गया	अन्य पब्लिक कंपनियों में धृत निदेशक पदों की संख्या (जिसके अंतर्गत ईपीआई नहीं है)	अवधि
(क) अध्यक्ष– सह– प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)					
श्री एन. शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग डीआईएनः 07852689	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	6/6	हां (स्थगित वार्षिक साधारण बैठक में भाग लिया था)	3 (टीएमटीपी, ईपीआईयूआईडीएल एचपीसीएल)*	15 जून 2017 से (नीचे दिए गए टिप्पण को निर्दिष्ट करें)
(ख) पूर्णकालिक/कृत्यशील निदेशक					
श्री एस.पी.एस. बक्शी, डीआईएनः 02548430	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5 फरवरी 2009 से (नीचे दिए गए टिप्पण को निर्दिष्ट करें)

श्री वीनू गोपाल, डीआईएनः 05173442	निदेशक (परियोजनाएं)	9/9	हां	1 (ई पी आई यू आई डी एल) *	2 जनवरी 2012 से 30.6.2018 तक
श्री एस शक्तिमणि, निदेशक (वित्त), सीसीआई डीआईएनः 07482308	निदेशक (वित्त) अतिरिक्त प्रभार	1/1	लागू नहीं	1 (सीसीआई) *	29 मार्च 2017 से 13 अप्रैल 2017 तक
श्री लेखराज डीआईएनः 07794894#	निदेशक (वित्त)	8/8	हां	कुछ नहीं	13 अप्रैल 2017 से
(ग) सरकारी नामनिर्देशती/अंशकालिक शासकीय निदेशक					
श्री विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय डीआईएनः 06840620	निदेशक	8/9	लागू नहीं	4 (एचएमटीएल, एचएमटी एलएमटीएल, एचईसीएल, एचएमटी (आई) लिमिटेड)*	3 नवंबर 2016 से
श्री सिया शरन, मुख्य लेखा नियंत्रक(सीसीए) भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय डीआईएनः 07401363	निदेशक	5/9	लागू नहीं	2 (एचईसीएल, एचएमटी एमटीएल)*	11 जनवरी 2016 से (नीचे दिए गए संदर्भ टिप्पण को निर्दिष्ट करें)
(घ) स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशक					
श्री सुशांत बालिगा, प्रबंध विज्ञान संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय डीआईएनः 06462815	निदेशक	9/9	नहीं	1 (ईपीआईयू आईडीएल)*	18 नवम्बर, 2015 से
डॉ. अनीता चौधरी आईएएस, सेवानिवृत्त, सचिव, भू संसाधन विभाग भारत सरकार डीआईएनः 07328842	निदेशक	9/9	हां	1 (एनपीसीआईएल)*	01 दिसम्बर, 2015 से

***इस्तेमाल किए गए संक्षेपाक्षरः –**

टीएमटीपी	टूमुकूरू मशीन टूल पार्क	ईपीआईयूआईडीएल	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड
एचपीसीएल	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	सीसीआई	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड;
एचएमटीएल	एचएमटीएल लिमिटेड	एचएमटीएमटीएल	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
एचईसीएल	हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोशन लिमिटेड	एचएमटी(आई)एल	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एनपीसीआईएल	न्यूक्लिअर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड		**#तारीख 15 अप्रैल 2017 को आवंटित डीआईएन।**

टिप्पणियांः

वर्ष 2017–18 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक बोर्ड की निदेशकता में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

1. श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं) को ईपीआई के आदेश संख्या 16(5)/2017 तारीख 24 मार्च 2017 द्वारा तुरंत प्रभाव से या अगला आदेश होने तक जो भी पूर्वोत्तर हो अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक के पद का अतिरिक्त

3 माह के लिए प्रभार सौंपा गया था।

2. श्री एस. शक्तिमणि, निदेशक (वित्त), सीसीआई को आदेश संख्या 16(6)/2015–टीएसडब्ल्यू तारीख 29 मार्च 2017 द्वारा निदेशक (वित्त), को निदेशक (वित्त) के पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप ईपीआई की सेवाओं से 13 अप्रैल 2017 को निरमुक्त कर दिया गया था। पूर्व उक्त अवधि के दौरान उन्हें कोई वेतन या भत्तों का संदाय नहीं किया गया है।

3. श्री लेखराज को निदेशक (वित्त), ईपीआई, के रूप में उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए य उनकी अधिवर्षिता की अवधि या अग्रिम आदेश, इनमें से जो भी पहले हो के लिए भारी उद्योग विभाग के आदेश संख्या 16(6)/2015–टीसीडब्ल्यू तारीख 13 अप्रैल 2017 द्वारा नियुक्त किया गया था। श्री लेखराज ने 13 अप्रैल 2017 से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2017 को डी आई एन आवंटित किया गया)

4. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए/सी), ईपीआई के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री एन शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग को 15 जून 2017 से भारी उद्योग विभाग के विभिन्न आदेशों द्वारा सौंपा गया है और नवीनतम आदेश संख्या 12–16/1/2017–टीएसडब्ल्यू (भाग फाइल) तारीख 3 मई 2018 के माध्यम से भारी उद्योग विभाग ने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ईपीआईएल के अतिरिक्त प्रभार को 15 मार्च 2018 से 6 माह की अवधि या श्री एसपीएस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ईपीआईएल के विरुद्ध अनुशासन एक कार्यवाहिओं को अंतिम रूप देने या अग्रिम आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है।

5. श्री एसपीएस बक्शी को भारी उद्योग विभाग के आदेश तारीख 24 मार्च 2017 द्वारा तारीख 20 मार्च 2017 से ईपीआईएल के अनुशासन और अपील नियम 1999 के नियम 29.2 के अधीन अगला आदेश होने तक निलंबित कर दिया गया है। तब से श्री बक्शी को भारी उद्योग विभाग द्वारा निलंबनाधीन रखा गया है और भारी उद्योग विभाग ने तारीख 14 जून 2018 के आदेश के द्वारा निलंबन की अवधि का भारी उद्योग विभाग ने तारीख 15 जून 2018 से 3 माह की और अवधि के लिए विस्तार से संसूचित कर दिया है।

वित्त वर्ष 2017–18 के समापन के पश्चात निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1. आदेश संख्या 12–16/2/2017–टीसीडब्ल्यू (भाग फाइल) तारीख 29 जून 2018 के अनुसरण में और तारीख 30 जून 2018 के पद छोड़ने के पत्थर के अनुसरण में श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) ने 30 जून 2018 (अपराहन) से अपनी अधिवर्षिता के परिणाम स्वरूप, 30.06.2018 ईपीआई से निदेशकता को छोड़ दिया है।

2. आदेश संख्या 12–16/1/2017–टीएसडब्ल्यू (भाग फाइल) तारीख 29 जून 2018 के अनुसरण में निदेशक (परियोजनाएं) का प्रभार श्री एन शिवानंद, संयुक्त सचिव भारी उद्योग विभाग एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए/सी), ईपीआई के श्री वीनू गोपाल, निदेशक, (परियोजनाएं) 01.07.2018 की अधिवर्षिता के परिणामस्वरूप 3 माह की अवधि के लिए 30.06.2018 या नियमित पदधारी की नियुक्ति या अग्रिम आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, सौंपा गया है।

3. तारीख 7 अगस्त 2018 के पत्र द्वारा श्री सिया शरन ने निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड से 7 अगस्त 2018 से अपना पदभार छोड़ दिया है। भारी उद्योग विभाग ने आदेश संख्या 16/7/2015–टीएसब्ल्यू तारीख 23 अगस्त 2018 द्वारा श्रीमती नीलम एस. कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), उद्योग मंत्रालय को श्री सिया शरन के स्थान पर ईपीआई के बोर्ड में अंशकालिक शासकीय निदेशक नियुक्त किया है।

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया

निदेशक बोर्ड की मुख्य भूमिका कंपनी के अच्छे शासन और कार्यकरण का सुनिश्चय करने की है। बोर्ड की बैठकें साधारणतया कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, नई दिल्ली। में आयोजित की जाती हैं। बोर्ड नियमित अंतरालों पर कंपनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए बैठकें करता है। बोर्ड अवधिक रूप से सभी

लागू विधियों की अनुपालना प्रास्थिति का पुनरीक्षण करता है। बैठकों के लिए कार्यवृत्त की टिप्पणियां संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और उनका अनुमोदन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित कृत्यकारी निदेशकों द्वारा उन्हें सभी निदेशकों को भेजने से पूर्व किया जाता है। कंपनी सचिव ये सुनिश्चय करता है कि निदेशकों और ज्येष्ठ प्रबंधन को बैठकों में प्रभावी विनिश्चय करने के लिए सभी सुसंगत सूचना, ब्यौरे और दस्तावेज उपलब्ध कराए जांए। निदेशक बोर्ड द्वारा विनिश्चय विचार–विमर्श के पश्चारत किए जाते हैं।

(घ) बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान निदेशक बोर्ड की नौ (9) बैठकें आयोजित की गई थी, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं.	बैठक की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	06.04.2017	6	6
2.	25.04.2017	6	5
3.	17.05.2017	6	6
4.	25.07.2017	7	7
5.	04.09.2017	7	7
6.	13.10.2017	7	5
7.	05.01.2018	7	6
8.	17.01.2018	7	7
9.	28.03.2018	7	6

(ङ) स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी के निदेशकों ने 28 मार्च 2018 को ईपीआई के कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली–110003 में (कार्यशील निदेशकों, शासकीय निदेशकों, या प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV–स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता, की अनुपालना में बैठक की।

(च) इस समय बोर्ड में, निदेशकों का संक्षिप्त सार जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो वर्ष 2017–18 के दौरान बोर्ड में शामिल हुए।

1. श्री एन शिवानंद, सयुक्त सचिव, डीएचआई एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (परियोजनाएं) अतिरिक्त प्रभार

I) **श्री एन. शिवानंद** को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार 15 जून 2017 से सौंपा गया है। उनको निदेशक (परियोजनाएं) का भी अतिरिक्त पदभार 1 जुलाई 2018 से सौंपा गया है। श्री एन शिवानंद भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के 1985 के बैच के अधिकारी हैं और इस समय वह भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवा कर रहे हैं। वह जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद के छात्र रहे हैं। उनके पास भारत सरकार में सेवा करने का 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि के एक अधिकारी हैं और उन्होंने बख्तरबंद यानो और आयुधों के उत्पादन में संबंध रखते हुए आयुध निर्माणी में कार्य किया है। उनके पास विभिन्न संबंधित क्षेत्रों अर्थात उत्पादन, खरीद, क्वालिटी आदि में विभिन्न स्तरों पर अनुभव है।

श्री एसपीएस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ईपीआई, तारीख 20 मार्च 2017 से निलंबित हैं।

II) श्री लेखराज, निदेशक (वित्त)

श्री लेखराज को ईपीआई में भारी उद्योग विभाग के आदेश तारीख 13 अप्रैल 2017 द्वारा निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनके पास वित्त और लेखा के विभिन्न क्षेत्रों में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव है और वह नीति विरूपण से वास्तविक सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन तक कारबार विनिश्चयों में अंतर्वलित रहे हैं। उनके पास निगम विधियों और वाणिज्य सिद्धांतों, लेखांकन, बजटिंग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान, वित्तीय घटनाएं, कानूनी/सीएजी/स्टोक लेखा परीक्षा, बैंकिंग, बोर्ड मामलों आदि से संबंधित लगभग सभी क्षेत्रों में अनुभव है. ईपीआई में सम्मिलित होने से पूर्व श्री लेखराज ने वित्तीय कृतियों में विभिन्न स्तरों पर एनटीपीसी के साथ कार्य किया है और उन्होंने विधिक मामलों के निपटान को भी संभाला है। वह सीईआरसी से व्योहार करने के लिए विनियामक समूह का भी एक भाग रहे हैं।

उन्होंने एक स्वतंत्र कंपनी अर्थात एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) एक सौ प्रतिशत जो एनटीपीसी लिमिटेड की लगभग सात वर्षों की समानुषंगी है के वित्तीय कृत्यों की भी अध्यक्षता की है। एन वी वी एन में अपने कार्यकाल के दौरान ऊर्जा के एक संभावित वैकल्पिक स्रोत के रूप में ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा संयंत्रों को बनाने वाले एक समूह का भी नेतृत्व किया था। उन्होंने समूह का नेतृत्व नीति दस्तावेजों/सौर ऊर्जा के माध्यम से सृजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों, राज्यों के साथ संपर्क का प्रबंध करने, विद्युत खरीद/विक्रय के लिए करारों और अन्य विधिक दस्तावेजों का प्रारूपण करने और सौर विद्युत विकासकर्ताओं (एसपीडी) के साथ विधिक करार करने, विद्युत व्यापार कारबार के लिए विपणन मॉडल को अंतिम रूप देने, विद्युत एक्सचेंजों में विद्युत का कारबार करने, प्राप्तियों की प्रतिभूति करने, बांग्लादेश को विद्युत का निर्यात करने आदि की अवधारणा बनाने के माध्यम से किया। उनकी उपलब्धियों में पूर्व संचित स्लैबो, एवैस्टस सीटों, सीमेंट उद्योग मैं उपयोग के लिए कोल आधारित विद्युत संयंत्रों में सृजित फ्लाई ऐस, पेंट उद्योग में सेनोस्फेयर (जो फ्लाई ऐस का एक उपउत्पाद है) के उपयोग के विक्रय के माध्यम से राजस्व सृजन सम्मलित है।

III) **श्री विश्वजीत सहाय** को भारत सरकार के नामनिर्देशिती के रूप में 3 नवंबर 2016 से ईपीआई में अंशकालिक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री विश्वजीत सहाय भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1990 के बैच से संबंध रखने वाले एक अधिकारी हैं और इस समय भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके पास भारत सरकार में सुरक्षा क्षेत्र से लेकर मनोरंजन क्षेत्र से औद्योगिक विकास में 25 वर्ष का विविधतापूर्ण अनुभव है। वह विख्यात सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली के छात्र रहे हैं। भारी उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में वह भारी इंजीनियरी और मशीन टूल सैक्टर का नेतृत्व करने के अतिरिक्त भारी उद्योग विभाग के अधीन अनेक केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के निदेशक बोर्ड में भी हैं। उन्होंने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था जोकि पूंजी माल सेक्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है उन्होंने राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभार संभाला है, यह एक ऐसी परियोजना है जो पूर्णतया कार्यान्वित होने पर ऑटो क्षेत्र को एक प्रमुख बल प्रदान करेगी। उन्होंने सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अधीन पहली राष्ट्रीय नीति के प्रारूपण, पणधारी, परामर्श, और और प्राख्यापन का संचालन किया। उन्होंने पूर्व में रक्षा मंत्रालय के अर्जन खंड में ज्येष्ठ स्तर पर सेवा की है और भारतीय सेना के आयुधों के उपापन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को संभाला है। वह भारत की ओर से भारत सरकार के साथ अमेरिकी सरकार के विदेशी सैन्य विक्रय (एफएमएस) कार्यक्रम के लिए वित्तीय प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी थे। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में भी फिल्म

उद्योग और विभिन्न फिल्म निर्यात तथा वाणिज्य पहलों से व्यवहार करते हुए सेवा की है। उनके पास सरकार से सरकार के बीच फिल्म सह निर्माण करारों के लिए इटली, ब्रिटेन, चीन और कैनेडा जैसे देशों के साथ बातचीत का भी अनुभव है। उन्होंने लोक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणीकरण, फिल्म समारोह और मीडिया के माध्यम से प्रसारण द्वारा फिल्मों का प्रदर्शन जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी संभाला है। वह व्यापार एवं सेवा में साधारण करार में श्रव्य दृश्य क्षेत्र (जीएटीएस) से संबंधित मामलों में अंतर–सरकार के बीच बातचीत का एक भाग रहे हैं।

IV) श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक

श्री सुशांत बालिगा ईपीआई में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में तारीख 18 नवंबर 2015 से सम्मिलित हुए। श्री बालिगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (1972) से बी टेक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (1975) से एमटेक है, प्रबंध विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए (2006) हैं। वह इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एंड सिस्मोलॉजी मैं सुकुवा विश्वविद्यालय, जापान (1980) से भूकंप में प्रमाण पत्र धारक हैं। मारूंगाओ बार्स बर्थ, गोवा के संनिर्माण के लिए वह रोडियो–हजरत (अब अफकौन) के साथ नियोजित थे। वह इंजीनियरी सेवा परीक्षा (1974) के माध्यम से सहायक कार्यपालक इंजीनियर वर्ग–1 के रूप में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में सम्मिलित हुए। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने डिजाइन कार्यालयों से (बिहार, झारखंड और ओडिशा का प्रभारी मुख्य इंजीनियर) आंचलिक प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया और प्रति वर्ष 1000 करोड रुपए की मूल्य की परियोजनाओं को निष्पादित किया। सेवा की इस अवधि के दौरान वह विभिन्न संगठनों अर्थात नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड मैं कार्यपालक निदेशक के रुप में भी तैनात हुए थे। जहां पर उन्होंने कारबार विकास, और अंतर्राष्ट्रीय कारबार योजना, परामर्श, कॉरपोरेट स्तर पर डिजाइन और परियोजना मनिटरी के अतिरिक्त दक्षिण जोन में परियोजनाओं को कार्यान्वित किया; कर्मचारी राज्य बीमा निगम मैं मुख्य इंजीनियर रहे; राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण मैं निदेशक थे जो विभिन्न विश्व बैंक और एडीबी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए उत्तरदाई थे। वह भारत सरकार से मई 2011 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अपर महानिदेशक के रूप में सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए।

अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एफ आई सी सी आई, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, विश्व बैंक आदि के साथ विभिन्न सलाहकारी क्षमताओं में नियोजित रहे हैं और उन्होंने ब्रिज एंड रूफ (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक का पद धारण किया है। उन्होंने अध्यक्ष, शैक्षिक परिषद, डीपीसी का पद भी धारण किया है। वह भारतीय सड़क कांग्रेस और भारतीय माध्यस्थम परिषद का आजीवन सदस्य भी हैं।

V) डॉ. अनीता चौधरी, स्वातंत्र निदेशक

डॉ. अनीता चौधरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (76 एचवाई), भारत सरकार, भू–संसाधन विभाग से सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 'ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे शासन के लिए एक साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी' विषय पर पीएचडी की है। वह फर्गुसन महाविद्यालय, पुणे से अंग्रेजी साहित्य में निष्णात है और यूनिवर्सिटी ऑफ बरर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम से सामाजिक विज्ञान में निष्णात हैं। इस समय वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से सूचना का अधिकार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर शोध कर रही है। उन्होंने देश और विदेश में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम किए हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम कोरिया में कृषि विपणन और हार्वर्ड में वित्त और लोकनीति है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में 37 वर्ष के अपने कैरियर के दौरान उन्होंने राज्य और केंद्रीय सरकार में वित्त, गृह, उद्योग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य और कपड़ा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पद धारण किए हैं। वह भारत सरकार के केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम की प्रबंध निदेशक रही है। व एनपीसीआईएल में एक स्वतंत्र निदेशक हैं। व गृह मंत्रालय और आईएफसीआई मैं स्वतंत्र वाह्य मॉनिटर भी हैं।

(छ) निदेशकों की नियुक्ति

सभी निदेशकों की नियुक्ति (अंशकालिक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों, महिला निदेशकों सहित) सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए यह संभव नहीं है कि एजीएम की सूचना में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति के लिए कोई मद हो, जो निदेशकों की कुल संख्या के दो/तिहाई से अन्यून के व्यक्तियों के रूप में होने की अपेक्षा का अवधारण करती है जिनकी पदावधि साधारण बैठक में निदेशकों के चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त द्वारा अवधारित किए जाने की दायी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार धारा 152 की उपधारा (6) और उपधारा (7) के उपबंध निदेशकों के चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्ति की बाबत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को लागू नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्ति अंशकालिक निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वह अपने प्रशासनिक मंत्रालय में उनके पद के कारण पदधारण करते हैं और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नियत अवधि के लिए की जाती है जिसके कारण किसी निदेशक को प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में वास्तविक रूप से सेवानिवृत्त करने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 को प्रभावी करना संभव नहीं है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना तारीख 13 जून 2017 द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) और(7) से छूट प्रदान कर दी है।

3. बोर्ड की समितियां

बोर्ड की समितियां कंपनी के शासन राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनका गठन विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यकलापों से निपटने के लिए किया जाता है जिनका कंपनी से संबंध होता है और जिनका नजदीक से पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है। बोर्ड की समितियों का गठन बोर्ड के औपचारिक अनुमोदन के अधीन स्पष्ट रुप से दी गई भूमिका का निर्वहन करने के लिए एक अच्छी प्रशासन पद्धति के एक भाग के रूप में किया जाता है। बोर्ड पूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन का पर्यवेक्षण समितियों द्वारा करता है और वह उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी है। संबंधित समिति का अध्यक्ष बोर्ड को समिति की बैठकों में की गई चर्चा से सूचित करता है। सभी समितियों और हम संगीत कंपनी की बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। बोर्ड की समिति विशेषता मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए जैसा वह उचित समझे अनुरोध कर सकती है। बोर्ड ने इस समय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समितियों की स्थापना की है।

i. संपरीक्षा समिति

निदेशकों में परिवर्तन के साथ संपरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था। संपरीक्षा समिति की इस समय गठन नीचे दिए अनुसार है:

1.	श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री विश्वजीत सहाय, अंशकालिक शासकीय निदेशक	–	सदस्य

श्री लेख राज, निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में स्थाई आमंत्रित हैं।

टिप्पणः

- श्री लेखराज, निदेशक (वित्त) तारीख 25 अप्रैल 2017 से स्थाई आमंत्रिती हैं
- श्री एस शक्ति मणि, निदेशक (वित्त), सीसीआई और निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार धारण कर रहे हैं, 30 मार्च 2017 से 13 अप्रैल 2017 तक स्थाई आमंत्रिती थे।
- श्री सिया शरन 7 अगस्त 2018 तक सदस्य थे।
- श्री विश्वजीत सहाय, अंशकालीन निदेशक 20 अगस्त 2018 से सदस्य हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान समिति की 21 जून 2017, 4 सितंबर 2017, 27 दिसंबर 2017, और 28 मार्च 2018 को चार बैठकें हुई थी।

उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

सदस्य	क्रमशः उनकी पदावधि के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्री सुशांत बालिगा, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक–अध्यक्ष	4	4
डॉ. अनीता चौधरी, अंशकालिक गैस शासकीय निदेशक–सदस्य	4	4
श्री सिया शरन, अंशकालिक गैस शासकीय निदेशक–सदस्य	4	1

संपरीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन

संपरीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के निबंधनों के अनुसार 21 जुलाई, 2014 से निम्नानुसार संशोधित किया गया है :–

1. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधनों की सिफारिश।
2. लेखापरीक्षकों की स्वंतंत्रता और कार्यनिष्पादन तथा लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता का पुनरीक्षण और मानीटरी।
3. वित्तीय विवरण और उसमें लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच।
4. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहारों के पश्चातवर्ती उपांतरण का अनुमोदन।
5. अंतः निगम ऋणों और विनिधानों की संवीक्षा।
6. कंपनी के वचनबंधों या आस्तियों का मूल्यांकन, जहां यह आवश्यक हो।
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
8. लोक प्रस्तावना और संबंधित मामलों जहां लागू हों, के माध्यम से इक्ट्ठा की गई निधियों के अंतिम उपयोग की मानीटरी।
9. लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के स्कोप, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों का

पर्यवेक्षण और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण का पुनर्विलोकन भी है के विषय में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती है और अन्य किसी संबंधित मुद्दों पर आंतरिक और कानूनी लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श कर सकती है।

10. लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में या उसे बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट मदों पर जांच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे बाह्य स्रोतों से व्यावसायिक परामर्श अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी और कंपनी के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचना तक उसकी पूरी पहुंच होगी।

11. कंपनी या बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए स्कोप, कार्यकरण, अवधि और विधि की विरंचना करेगी।

12. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और उसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन को देखना ताकि यह सुनिश्चय किया जाए सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

13. कानूनी लेखापरीक्षकों को कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के लिए संदाय का अनुमोदन।

14. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणियों का निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ में पुनर्विलोकन :

    क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के निबंधनों के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के दायित्व का विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मुद्दे।

    ख. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उसके कारण।

    ग. प्रबंधन द्वारा उनके निर्णय के उपयोग के आधार पर प्राक्कलनों को अंतर्वलित करती हुई प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।

    घ. लेखापरीक्षा में पता लगाए जाने के कारण उदभूत वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

    ङ. वित्तीय विवरणियों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।

    च. संबंधित पक्षकार संव्यवहार का प्रकटन/पुनर्विलोकन।

    छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हतांए।

15. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणियों का प्रबंधन के साथ त्रैमासिक पुनर्विलोकन।

16. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के कारण निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन।

17. आंतरिक लेखापरीक्षा कृत्य, यदि कोई हो की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन जिसके अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का ढांचा, कर्मचारीवृंद और विभाग की अध्यक्षता करने वाले कार्यकारी की ज्येष्ठता, रिपोर्ट करने का ढांचा, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति भी है।

18. किसी महत्वपूर्ण प्रकटन पर आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

19. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में आंतरिक जांच से हुए प्रकटन का पुनर्विलोकन जहां किसी कपट या अनियमितता या तात्विक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की असफलता और बोर्ड को उस विषय को रिपोर्ट करने का पुनर्विलोकन।

20. लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और स्कोप की चर्चा के साथ–साथ लेखापरीक्षा पश्च किसी

चिंता वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा।

21. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) और लेनदारों को संदाय में सारवान व्यतिक्रम के कारणों की जांच।

22. सूचना देने वाले, सतर्कता तंत्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन।

23. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

24. संसद की लोक उद्यम समिति (सीओपीयू) द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

25. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक बोर्ड के बीच संचार के लिए एक खुले पथ का उपबंध।

26. कवरेज की संपूर्णता, निरर्थक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने का सुनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ पुनर्विलोकन।

27. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और पुनर्विलोकनः

    क. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा भी है, और

    ख. संबंधित पता लगाई गई चीजें और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों का प्रबंधन के प्रत्युत्तरों के साथ सिफारिशें।

28. निम्नलिखित पर प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार और पुनर्विलोकन :

    क. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण पता लगाई गई चीजें जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा सिफारिशें भी हैं।

    ख. लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामने आई कोई कठिनाईयों जिसके अंतर्गत कार्यकलापों के स्कोप पर या अपेक्षित सूचना तक पहुंच पर कोई निर्बंधन भी है।

29. लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में भी शक्तियां होगी :

    क. संदर्भ के निबंधनों के अंतर्गत किसी कार्यकलाप की जांच

    ख. किसी कर्मचारी पर और उससे किसी सूचना को प्राप्त करना

    ग. निदेशक बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए बाह्य विधिक या अन्य व्यवसायिक परामर्श अभिप्राप्त करना

    घ. सुसंगत विशेषज्ञता रखने वाले बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे

    ङ. सूचना प्रदाताओं की संरक्षा करना।

30. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना का पुनर्विलोकन करेगी :

    क. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम।

    ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण।

    ग. प्रबंधन पत्र/कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।

    घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें।

    ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पद से हटाने को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा; और

च. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणन/वित्तीय घोषणा।

31. कोई अन्य कृत्य जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और तद्धीन बनाए गए नियमों और डीपीई निगम शासन मार्ग निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

ii) निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति

कंपनी ने तारीख 15.03.2013 को (तत्पश्चात पुनर्गठित) को एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता समिति का गठन किया है। कंपनी ने कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में समिति का गठन किया गया है।

इस समय समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं।

1.	डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री लेखराज, निदेशक (वित्त)	सदस्य

टिप्पण:

श्री लेख राज, निदेशक (वित्त) 25 अप्रैल 2017 से सदस्य हैं

श्री शक्ति मणि, निदेशक (वित्त), सीसीआई और निदेशक का अतिरिक्त प्रभार धारण (वित्त) कर रहे हैं। 30 मार्च, 2017 से 13 अप्रैल, 2017 तक सदस्य थे।

वर्ष 2017–18 के दौरान समिति की 4 सितंबर 2017 को बैठक हुई थी।

उपस्थिति के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं–

सदस्य	क्रमशः उनकी पदावधि के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष	1	1
श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक–सदस्य	1	1
श्री लेखराज, निदेशक (वित्त)–सदस्य@	1	1
श्री एस. शक्ति मणि, निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार*–सदस्य	0	0

@ 25 अप्रैल 2017 से सदस्य *30 मार्च 2017 से 13 अप्रैल 2017 तक सदस्य

कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता पहलों के अधीन हाथ में लिए गए कार्यकलापों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट के उपाबंध में उपाबद्ध है।

iii) पारिश्रमिक समिति

निदेशकों/ज्येष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें सरकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों/डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा शासित होती हैं।

पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम की धारा 178 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यकारियों को तथा ऐसे पर्यवेक्षकों को जो किसी संगम में नहीं हैं को उसके वितरण का विनिश्चय करने के लिए किया गया है। इस समय समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी है :

1. श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष;
2. डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य;
3. श्री विश्वजीत सहाय अंशकालिक शासकीय निदेशक – सदस्य;

श्री लेखराज, निदेशक (वित्त) पूर्वोक्त पारिश्रमिक समिति में स्थायी आमंत्रिती हैं।

टिप्पण:

- श्री लेखराज, निदेशक (वित्त) पूर्वोक्त पारिश्रमिक समिति में 25 अप्रैल 2017 से स्थायी आमंत्रिती हैं
- श्री एस. शक्तिमणि, निदेशक (वित्त), सीसीआई और निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार धारण कर रहे हैं, 30 मार्च 2017 से 13 अप्रैल 2017 तक स्थाई आमंत्रिति थे।
- श्री सिया शरन 7 अगस्त 2018 तक सदस्य थे।

वर्ष 2017–18 के दौरान समिति ने 25–4–2017 और 13–10–2017 को दो बैठकें की थी।

उपस्थिति के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं–

सदस्य	क्रमशः उनकी पदावधि के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्री सुशांत बालिगा, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक, अध्यक्ष	2	2
डॉ. अनीता चौधरी, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक, सदस्य	2	2
श्री विश्वजीत सहाय, अंशकालिक शासकीय निदेशक, सदस्य	2	1
श्री सिया शरन, अंशकालिक सरकारी निदेशक, सदस्य	2	0

4. अन्य उप समितियां

कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंध कार्मिकों (अर्थात् बोर्ड स्तर से नीचे) से मिलकर बनने वाली निम्नलिखित समितियां विद्यमान है।

शेयर अंतरण समिति

कंपनी की सभी शेयरों के अंतरणों और पारेषणों की निगरानी के लिए एक शेयर अंतरण समिति हैं। शेयर अंतरण को रजिस्टर करने और निक्षेपागारों आदि के साथ समन्वय करने के लिए एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड रजिस्ट्रार और शेयर अंतरक एजेंट हैं।

शेयर अंतरण समिति कंपनी के अधिकारियों अर्थात वित्त प्रभाग के प्रमुख, विधिक प्रभाग के प्रमुख और संविदा प्रभाग के प्रमुख से मिलकर बनी है। वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

कंपनी की प्राधिकृत और शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 909,404,600 साम्या शेयरों में विभाजित) और 35.42 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 35,422,688 साम्या शेयरों में विभाजित) है।

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी का शेयर धृति पैट्रन नीचे दिए अनुसार है

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति
1.	भारत का राष्ट्रपति, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम विभाग	35415677	99.98
2.	अन्य (जिसके अंतर्गत छह पब्लिक सेक्टर उपक्रम अर्थात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि., त्रिवेणी स्ट्रकचरल लि., हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. और ईपीआई शेयर धारक न्यास) शामिल हैं	7011	0.02

जोखिम प्रबंधन

कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकन करने और उसे कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति की विरचना की है। जोखिम प्रबंधन नीति के मुख्य उद्देश्य जोखिम की पहचान करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए और उसे कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क को परिभाषित करना है ताकि पूर्व क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया जाए न कि प्रतिक्रियाकारी प्रबंधन को, सम्पूर्ण संगठन में विनिश्चय करने की गुणवत्ता में सहायता करके उसमें सुधार करने का उपबंध किया जा सके।

जोखिम प्रबंधन पर समझ बढ़ाने के लिए कार्मिकों को स्कोप, डीपीई, आईसीएआई आदि द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति दोहरी संरचना से मिलकर बनी है, अर्थात् पांच सदस्यीय निगम स्तरीय समिति, जिसका सीधे नियंत्रण पर्यावेक्षण और मार्गदर्शन निदेशक (परियोजनाएं) द्वारा किया जाएगा और चार क्षेत्र स्तरीय समितियां, जो क्षेत्रों के अध्यक्षों से मिलकर बनेगी, जो क्षेत्रीय/स्थल स्तर पर निगम स्तरीय समिति को नियमित आधार पर रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. अनुषंगी कंपनी और संयुक्त उद्यम

अनुषंगी कंपनी

19 मई 2016 को ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी को "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल)" के रूप 10 लाख रुपए की संदत्त पूंजी से निगमित किया गया था, जो ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर (बीयूआईडीपीएल) द्वारा 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (डीसीपीएल) मुंबई द्वारा 10 प्रतिशत के साथ भूमि पार्सलों आदि के विकास के लिए मिलकर बनी है।

अनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पहले निदेशकों से मिलकर बनने वाला अंतरिम बोर्ड का अनुमोदन है, को सरकार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसी बीच सरकार ने ईपीआई के सामरिक अविनिधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी कंपनी की विरचना का समर्थन नहीं किया, ईपीआई ने ईपीआईयूआईडीएल के समापन के लिए स्वैच्छिक समापन/परीसमापन के लिए ईपीआईयूआईडीएल के शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन रहते हुए मंजूरी दे दी और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि स्वैच्छिक परीसमापन के लिए 20 दिसंबर 2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की पहली वार्षिक साधारण बैठक में बीयूआईडीपीएल सहमत नहीं हुआ। ईपीआई के अपने

शेयरों का अन्य दो शेयरधारकों को प्रस्ताव करने के पश्चातवर्ती प्रयास सफल नहीं हुए थे। ईपीआई के बोर्ड समापन/प्रस्थान के लिए अन्य विकल्पों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मिलने का विनिश्चय किया।

वर्ष के दौरान अनुषंगी कंपनी द्वारा उपगत व्यय लेखा टिप्पणों में वर्णित है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अनुषंगी कंपनी में 5,10,000/–रुपए के विनिधान के लिए 100 प्रतिशत उपबंध किया गया है। चूंकि ईपीआईयूआईडीएल प्रचालन नहीं कर रही है और ईपीआईयूआईडीएल का बोर्ड सक्रिय नहीं है, वित्तीय विवरणों का अनुमोदन नहीं किया जा सका और उन्हें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कानूनी लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अतः 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी है और इसलिए, वर्ष 2017–18 के लिए लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए उपबंध नहीं किया गया है।

एसोसिएट्स : संयुक्त उद्यम

2 अगस्त 2017 को ईपीआई–सीएंडसी ("संयुक्त उद्यम") जो एक (अनिगमित) संयुक्त उद्यम है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा–से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) म्यांमार के किन राज्य में 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर जिसमें सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 60% हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का 40% हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। किए गए संव्यवहार के ब्यौरों को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

6. प्रकटन

i) वर्ष 2017–18 के दौरान कृत्यकारी निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक और स्वंतंत्र निदेशकों को संदत्त बैठक फीस के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

क. कृत्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक :

(रूपए में)

निदेशकों के नाम	वेतन	लाभ	कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन#	योग
श्री एस. पी. एस. बक्शी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक*	23,33,315	शून्य	शून्य	23,33,315
श्री लेख राज निदेशक (वित्त) (13 अप्रैल, 2017 से)**	28,69,216	1,90,415	शून्य	30,59,631
श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं)	33,67,308	1,85,322	5,96,022	41,48,652

* 20 अप्रैल 2017 से निलंबित। पूर्वोक्त संदाए मैं निर्वाह भत्ता सम्मिलित है।

** श्री लेखराज, निदेशक (वित्त) द्वारा एनटीपीसी (श्री लेखराज का एनटीपीसी से धारणाधिकार है) से लिए गए 4,04,435 रुपए के ऋण/अग्रिम के दायित्व को ईपीआई को अंतरित कर दिया गया है जिसमें से 2,30,000 रुपए को वर्ष 2017–18 के दौरान उनके वेतन से वसूल लिया गया है। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार वसूल किए जाने के लिए शेष राशि 1,74,435 रुपए है।

ख : स्वतंत्र निदेशक :

(रूपए में)

निदेशक का नाम	बैठक फीस		स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक		
श्री सुशांत बालिगा	1,35,000	70,000	15,000	2,20,000
डॉ. अनिता चौधरी	1,35,000	70,000	15,000	2,20,000

स्वतंत्र निर्देशकों को प्रति बोर्ड स्तरीय बैठक के लिए @15000 रुपए और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठक के लिए 10,000 रुपए प्रति बोर्ड स्तरीय समिति बैठक कर दिया गया है। स्वतंत्र निदेशकों को स्वतंत्र निर्देशकों की बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक @15000 रूपए कि दर से भी फीस का सदाय किया जाता है।

ii) सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नियत वेतनमानों में की जाती है। तदनुसार, अध्यक्ष–सह–निदेशक की नियुक्ति 75,000–90,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है और सभी पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति 65,000–75,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है। उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधनों और शर्तों को भी भारत सरकार द्वारा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग द्वारा नियत किया जाता है।

iii) निदेशकों की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनके पारिश्रमिकों और अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशकों को पात्र बैठक फीस के अतिरिक्त किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई तात्विक या धनीय संबंध नहीं है जो उनके स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करे।

iv) वर्ष के दौरान तात्विक रूप से पक्षकार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार नहीं हुए थे जो अधिकांशतः कंपनी के हितों से संभाव्य रूप से प्रतिकूल हों। लेखांकन मानक 18 प्रारूप के अनुसार संबंधित पक्षकार संव्यवहार का ब्यौरा लेखाओं की टिप्पणियों का भाग बनता है।

v) विभिन्न विभागों से प्राप्त कानूनी अनुपालना रिपोर्ट को कानूनी शोध्यों की प्रास्थिति के साथ बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

vi) सिवाय बिक्री कर मामले जो अपील के अधीन हैं, किसी कानूनी निकाय द्वारा शास्ति या कठोर आलोचना का कोई दृष्टांत नहीं हुआ है।

vii) कंपनी डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

viii) वर्ष के दौरान राष्ट्रपतीय विनिदेशों का अनुसरण किया गया है।

ix) वर्ष के दौरान लेखा बहियों और लेखाओं में किसी खर्च जो कारबार व्यय के प्रयोजनों के लिए नहीं है और कोई व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का है निदेशक बोर्ड और उच्च प्रबंधन द्वारा उपगत नहीं किया गया है।

x) कंपनी में कपट के निवारण, उसका पता लगाने और उसके रिपोर्ट करने के लिए सितम्बर, 2010 से कपट निवारण नीति लागू है।

xi) कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय वर्ष 2016–17 में 2.61 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017–18 में 2.02 प्रतिशत रहे हैं। कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में वित्तीय व्यय वर्ष 2016–17 में 0.37 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017–18 में 0.30 प्रतिशत रहे हैं। वित्त वर्ष 2017–18 में टर्नओवर पूर्व वर्ष के समान रहने के बावजूद कंपनी प्रशासनिक व्यय और वित्तीय व्यय के प्रतिशत को व्यापक रूप से पूर्व वर्ष से कम रखने में सफल रही है।

xii) कंपनी के वित्तीय विवरणों की बाबत कंपनी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी और प्रधान वित्त अधिकारी द्वारा एक प्रमाणपत्र **उपाबंध–ख1** पर रखा गया है।

xiii) कंपनी की वेबसाइट (www.engineeringprojects.com) कंपनी के अधिकारिक समाचारों को प्रदर्शित करती है।

xiv) कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, निविदाएं और भर्ती के अवसरों आदि को जारी करना।

7. साधारण निकाय बैठकें :

i) कंपनी की पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तारीख और समय	स्थान (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय)
47वीं	2016–17	28 सितम्बर, 2017 को 11.30 बजे प्रातः (28 सितंबर, 2017 को 05:45 बजे सायं के लिए स्थगित)	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली –110003
46वीं	2015–16	30 सितम्बर, 2016 को 11.30 बजे प्रातः	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली –110003
45वीं	2014–15	29 सितम्बर, 2015 को 3.00 बजे सांय	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, दिल्ली –110003

वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 48वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना में दिन, तारीख, समय, वार्षिक साधारण बैठक का स्थल, रूट मानचित्र के साथ अंतर्विष्ट है।

ii) पिछली तीन एजीएम में पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे

एजीएम	वित्तीय वर्ष	पारित विशेष संकल्प के ब्यौरे
47वीं	2016–17	ईपीआई की अनुषंगी कंपनी (और उसकी शाखा) अर्थात अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को स्वैच्छिक समापन/परिसमापन द्वारा बंद करना
46वीं	2015–16	संगम ज्ञापन में संशोधन
45वीं	2014–15	शून्य

8. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने कार्यापालक निदेशक (पी एंड एम) को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी के प्रादेशिक प्रमुखों को सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नियुक्त किया है। कार्यपालक निदेशक (सी एंड ई) प्रथम अपील प्राधिकारी है।

वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अनुरोध की गई सूचना उपदर्शित समय के भीतर 76 आवेदकों/अनुरोधकर्ताओं को प्रदान की गई।

वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों के ब्योरे नीचे के अनुसार हैं:

1.	1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार लंबित सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या	0
2.	वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या	76
3.	वर्ष 2017–18 के दौरान निपटान किए गए सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या	76
4.	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार लंबित सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या	0

9. शेयरधारकों के साथ संपर्क के साधन

कंपनी की संदत्त पूंजी का 99.98 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा धृत है और शेष 0.02 प्रतिशत छह सीपीएसई और इन सीपीएसई के निमित सृजित न्यास द्वारा धृत है।

कंपनी की द्विभाषी वार्षिक रिपोर्ट अन्य सुसंगत सूचना के साथ कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है और इसे संसद के समक्ष भी रखा जाता है। वार्षिक रिपोर्ट आदि को भौतिक प्ररूप के साथ इलेक्ट्रॉनिकी रीति में भी जारी किया जा रहा है।

10. संपरीक्षा टिप्पणियां

कानूनी संपरीक्षकों और सचिवालय संपरीक्षकों की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में सम्मिलित किया गया है। निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, तो को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक वर्धन के रूप में उपाबद्ध कर दिया जाएगा।

11. निदेशक बोर्ड का प्रशिक्षण

कंपनी, कंपनी के निदेशक बोर्ड में नए नियुक्त् निदेशकों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण में कंपनी के विषय में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और कंपनी के कार्यनिष्पादन के विषय में महत्वपूर्ण डाटा, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद ईपीआई का ब्रोशर, डीपीई द्वारा निगम शासन पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत, निदेशक बोर्ड की बैठकों पर सचिवालयी मानक (एसएस–1) और साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक (एसएस–2), स्वतंत्र निदेशक–पर आईसीएसआई द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, कपंनी अधिनियम, 2013 आदि शामिल है। निदेशकों को स्कोप द्वारा और निदेशक संस्थान (आईओडी) आदि द्वारा जब भी आयोजित किए जांए, आयोजित सेमिनारों/संगोष्ठियों के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

12. सूचना प्रदाता नीति

ईपीआई में वर्ष 2010 से ही सूचना प्रदाता नीति विद्यमान है, जो उन व्यक्तियों के उत्पीड़िन के लिए पर्याप्त सुरक्षोपायों का उपबंध करती है, जो ऐसे तंत्र का उपयोग करते हैं और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक समुचित या आपवादिक मामलों में सीधे पहुंच का उपबंध करती है।

सभी कर्मचारी अध्यक्ष, संपरीक्षा समिति को अधिमानता लिखित में संरक्षित प्रकट करने के लिए पात्र हैं।

इस नीति की विरचना निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना के लिए की गई थी। यह कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177

की अपेक्षाओं को भी पूरा करती है, जो वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का उपबंध करती है।

वर्ष के दौरान किसी कार्मिक को संपरीक्षा समिति तक पहुंच से नहीं रोका गया है।

13. आचार संहिता

निदेशक बोर्ड ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंधन के लिए कारबार आचार–और नैतिकता की संहिता अधिकथित की है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.engineeringprojects.com पर होस्ट किया गया है। कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता की अनुपालना के लिए प्रतिज्ञान किया है। इस प्रभाव की एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ **उपाबंध–ख2** के रूप में उपाबद्ध है।

इसके अतिरिक्त श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक और डॉ. अनिता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक ने एक घोषणा की है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में उपबंधित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं।

14. अनुपालना प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए निगम शासन पर सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपाबंध–VII में वर्णित सभी सुझाव दी गई लागू मदों को कवर करते हैं। डीपीई द्वारा विहित निगम शासन अपेक्षाओं की अनुपालना पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को भी नियमित रूप से भेजी जाती है। सीपीएसई के निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की शर्तों की अनुपालना के संबंध में व्यवसायरत कंपनी सचिव से अभिप्राप्त प्रमाणपत्र रिपोर्ट को **उपाबंध–ख3** के रूप में उपाबद्ध किया गया है।

उपाबंध–ख1

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों पर प्रमाणपत्र/घोषणा

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और रोकड़ प्रवाह विवरण का पुनर्विलोकन कर लिया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्टक नहीं है या किसी तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या ऐसा कोई विवरण अंतर्विष्ट नहीं है जो भ्रामक हो;

(ii) यह विवरणियां इकट्ठे कंपनी के मामलों का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करती हैं और यह विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों और विनियमों के अनुसार हैं;

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई संव्यवहार दर्ज नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अविधिमान्य या कंपनी की आचार–संहिता का उल्लंघनकारी है;

(iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के दायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, जिसके विषय में हम भिज्ञ हैं और उनके लिए की गई कार्रवाई और उनको दूर करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का प्रकटन कर दिया है;

(v) हमने लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित इंगित कर दिया है :

क) वर्ष 2017–18 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ख) वर्ष 2017–18 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में प्रकटन कर दिया गया है; और

ग) गंभीर कपट के मामले जिनकी हमें जानकारी हो गई है और उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी का शामिल होना जिसकी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह०/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह०/–
(एन. शिवानंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 अगस्त, 2018

उपाबंध–ख2

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए/सी) द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और ज्येष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता की अनुपालना के संबंध में घोषणा।

मैं, एन. शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग और अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए/सी) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों और ज्येष्ठ प्रबंधन ने कंपनी के वर्ष 2017–18 के दौरान कारबार आचरण और नैतिक संहिता के अनुपालन के लिए प्रतिज्ञान किया है।

ह०/–
(एन. शिवानंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन : 07852689

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 अगस्त, 2018

उपाबंध–ख3

निगम शासन प्रमाणपत्र

सेवा में

सदस्य,

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7 इंस्टिट्यूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने **31 मार्च, 2018** को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** (जिसे इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा गया है) की निगम शासन जैसाकि अधिसूचना संख्या 1, संख्या 18 (8)/2005–जीएम, जो मूलतः 22.06.2007 को जारी की गई थी और समय–समय पर संशोधित लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी उपदर्शित, ''केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, 2010 के लिए निगम शासन के लिए **मार्गदर्शक सिद्धांतों** में यथा उपदर्शित शर्तों की अनुपालना की शर्तों'' की जांच कर ली है। (जिसे इसमें इसके पश्चात **मार्गदर्शक सिद्धांत** कहा गया है)।

निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कंपनी द्वारा ऊपर वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में उपदर्शित निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। इसलिए यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न ही लेखापरीक्षा है और न ही उनपर किसी राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने पूर्व वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में परिकल्पित निगम शासन की शर्तों की सिवाय कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के जो कि सरकारी द्वारा की जा रही है और यह ज्ञात है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, अनुपालना की है।

हम आगे यह और कथन करते हैं कि ऐसी अनुपालना न ही कंपनी की भावी साध्यता का और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है, आश्वासन है।

कृते **एजीबी एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

ह०/–
एफसीएस नितिन रावत
(भागीदार)
सी. पी. संख्या 10554

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 13.07.2018

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता रिपोर्ट

सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगम नागरिक होने के नाते आपकी कंपनी परियोजना स्थल में और उसके आसपास लोगों के जीवन स्तर में बृद्धि करके पारस्परिक विश्वास और आदर द्वारा सकारात्मक और स्थायी छाप सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएसआर विजन

''अधिकांश रूप से समाज के लिए कार्य करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा एक निगम निकाय के रूप में ईपीआई की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार धारणा तैयार करना''।

सीएसआर उद्देश्य

ईपीआई की सीएसआर नीति का बृहत का रूप से उद्देश्य समुदाय और समाज के लिए नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार का अनुपालन करना है और आधिकांश रूप से समुदाय के कल्याण और भरणीय विकास के लिए कार्यक्रम हाथ में लेना है।

वर्ष 2017–18 के दौरान कार्यकलाप

वर्ष के दौरान शून्य बजट आवंटित किया गया था, इसलिए, किन्हीं नए कार्यक्रमों को हाथ में नहीं लिया गया। यद्यपि पूर्व वर्षों के दौरान हाथ में लिए गए/पूरे किए गए कार्यक्रमों के लिए वे उपगत हुआ था। तथापि वर्ष 2017–18 के दौरान किन्ही नए कार्यक्रमों को हाथ में नहीं लिया गया।

वर्ष 2018–19 के लिए योजना

बजट

तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत की औसत रकम अर्थात, (105.77 लाख रुपए (2015–16), और 108. 48 लाख रुपए (2016–17) और (4032.33) लाख रुपए (2017–18) (जिसके अंतर्गत विदेशी शाखाओं से लाभ शामिल नहीं है) शून्य है। लाभ के ना होने के कारण (जिसकी संगणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार की गई है) वर्ष 2018–19 के लिए बजट कुछ नहीं है। तथापि पूर्व वर्ष अर्थात से अग्रणीत 0.33 लाख रुपए की एक रकम भावी कार्यकलापों में उपयोग के लिए रखी गई है।

कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट **उपाबंध–ग1** पर है।

उपाबंध–ग1

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्वप नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखा जिसके अंतर्गत हाथ में ली जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर एक विहंगम दृष्टि और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तथा परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर वेब लिंक के प्रतिनिर्देश भी है :

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसा प्रभावी साधन है जो अधिकांशतः निगम और सामाजिक क्षेत्र के अभिकरणों के बीच भरणीय वृद्धि और समाजिक उदेश्य के विकास के लिए सामंजस्य बिठाता है। ईपीआई की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अधिकांश रूप से समुदाय के लिए कल्याणकारी उपायों का और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के माध्यम से समाज में अंशदान का उपबंध करती है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की आवश्यकता के प्रति यह संवेदनशील है।

कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और योजना कंपनी की वेबसाइट http://www.engineering projects.com पर भी उपलब्ध है।

2. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के उपबंधों के अनुसार ईपीआई के पास बोर्ड स्तरीय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति है जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

बोर्ड स्तरीय समिति की भूमिका निम्नलिखित है –

(क) एक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की विरंचना करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जो अनसूची–VII में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यकलापों को उपदर्शित करेगी।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर उपगत किए जाने वाले व्यय की रकम की सिफारिश करना; और

(ग) समय–समय पर कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की मॉनीटरी करना।

इस समय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. डॉ. अनीता चौधरी स्वतंत्र निदेशक –अध्यक्ष
2. श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक –सदस्य
3. श्री लेख राज, निदेशक (वित्त)–सदस्य

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति की बैठकों और उपस्थिति के ब्यौरे निगम शासन रिपोर्ट में दिए गए हैं। इस समिति की एक नोडल अधिकारी द्वारा सहायता की जाती है।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ (174.16) लाख रुपए अर्थात (736.73) लाख रुपए का वर्ष 2014–15 के लिए औसत और 105.77 रुपए का वर्ष 2015–16 के लिए और 108.48 रुपए का वर्ष 2016–17 के लिए औसत जिसके अंतर्गत विदेशी शाखाओं से लाभ नहीं है वर्ष 2017–18 के लिए सीएसआर बजट था।

4. विहित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (ऊपर मद 3 में रकम का 2 प्रतिशत)

वर्ष 2017–18 के दौरान विहित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (3.48) लाख रुपए था अर्थात् (174.16) लाख

रुपए का 2 प्रतिशत।

5. वित्त वर्ष के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के ब्यौरे :

(क) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकम –

वर्ष 2017–18 कुल बजट शून्य है। यद्यपि पूर्व वर्षों से अग्रणीत 1.81 रुपए की रकम में से 0.48 लाख रुपए की रकम को पूर्व वर्ष के कार्यक्रमों पर वर्ष के दौरान व्यय किया गया।

(ख) व्यय न की गई रकम, यदि कोई हो :

0.95 लाख रुपए की रकम [(बिंदु 5(ग)(1)] पर अभी दावा किया जाना है। लगभग 0.33 लाख रुपए की रचना की गई शेष रकम मार्च 2017 के अंत में उपलब्ध थी इस रकम को भविष्य में कार्यक्रमों के लिए उपयोग के लिए अग्रणीत किया जा रहा है।

(ग) वह रीति जिसमें वित्त वर्ष के दौरान रकम व्यय की गई है, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं –

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या पहचाना गया कार्यकलाप।	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना कवर होती है।	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को विनिर्दिष्ट करें, जहां परियोजना या कार्यक्रम हाथ में लिया गया था।	परियोजना या कार्यक्रम –वार रकम परिव्यय (बजट)	परियोजनाएं या कार्यक्रम जिन पर रकम व्यय की गई : उप–शीर्ष 1. परियोजना और या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरी शीर्ष :	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई रकम : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से
1	भक्ति वेदांता गुरुकुल और अंतरराष्ट्रीय स्कूल के नए परिसर में एक पाठ्य कक्ष का संनिर्माण	अनुसूची VII का खंड 1 (ii)	अझाई, मथुरा	*	शून्य @	8.55 @	अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा कांशसनेस सोसाइटी (इस्कॉन) और बीजीआईएस के साथ करार पर हस्ताक्षर द्वारा
2.	स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन 10 विद्यालयों का अनुरक्षण	अनुसूची–VII का खंड 1 (i)	असम का का धुबरी, बारपेटा	*	0.28 #	1.616 #	सीधे स्कूल प्राधिकारियों द्वारा
3.	क. आरओ संयंत्र ख. सौर प्रकाश उपलब्ध कराया गया	अनुसूची–VII का खंड 1 (i)एवं (iv)	पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	*	0.20 शून्य	4.55 2.27	ठेकेदारों को नियोजित करके सीधे
	योग				**4.48**		

* पूर्व वर्ष में सौंपे गए कार्यकलाप अर्थात वर्ष 2016–17, वर्ष 2015–16 जिन्हें वर्ष 2017–18 में पूरा कर लिया गया/जिनके लिए भुगतान जारी किया गया

@ 0.95 लाख रुपए की अंतिम किस्त को अभी प्राप्त किया जाना है

यह कार्यकलाप वर्ष 2015–16 में दिया गया था। 1.616 लाख रुपए के कुल भुगतान किया गया जोकि पिछले 3 वर्ष के बजट के विरुद्ध अर्थात 0. 276 लाख रुपए, 2015–16,1.06 लाख रुपए 2016–17 और 0. 28 लाख रुपए 2017–18 था।

6. **कंपनी द्वारा पिछले तीन वित्त वर्ष या उनके किसी भाग के लिए औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत को व्यय करने में असफल रहने की दशा में कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में रकम को व्यय न करने के कारणों को बताएगी।**

कंपनी के पूर्व व्यवहार के अनुसार खर्च ना किया गया से गैर अवगत होने वाली प्रकृति का है। 0.33 लाख रुपए की रकम खर्च नहीं की गई थी उसको भावी कार्यकलापों में उपयोग के लिए अगर्णीत किया गया है

7. **निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का उत्तरदायित्व विवरण कि निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की मॉनीटरी निगम सामाजिक उत्तरदायित्व उद्देश्यों तथा कंपनी की नीति की अनुपालना के अनुसार है।**

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ने पुष्टि की है कि निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी के निगम सामाजिक उत्तरदायित्व उद्देश्यों और नीति के अनुसार है।

ह0/–
(श्री लेख राज)
निदेशक (वित्त) एवं
सदस्य– निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

ह0/–
(डॉ. अनीता चौधरी)
(अध्यक्ष, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति)

तारीख : 24 अगस्त 2018
स्थान : नई दिल्ली

उपाबंध–घ

प्ररूप संख्या एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई विशिष्टियों/इन्तजामों के प्रकटन जिसके अंतर्गत उसके तीसरे परंतुक के अधीन कतिपय सन्निकट संव्यवहार भी हैं, के प्रकटन के लिए प्ररूप।

1. उन संविदाओं या इन्तजामों या संव्यवहारों के ब्यौरे जो सन्निकट आधार पर नहीं हैं।

क्र.सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार(रों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की अवधि	शून्य
घ)	संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ड.)	ऐसी संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार में प्रविष्ट होने का न्यायोचित्य	शून्य
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
छ)	अग्रिम के रूप में संदत्त रकम, यदि कोई हो	शून्य
ज)	वह तारीख जिसको धारा 188 के पहले परंतुक के अधीन यथा–अपेक्षित विशेष संकल्प साधारण बैठक में पारित किया गया था	शून्य

2. सन्निकट आधार पर संविदा या इन्ताजाम या संव्यवहार के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार(रों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की अवधि	शून्य
घ)	संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
च)	अग्रिम के रूप में संदत्त रकम, यदि कोई हो	शून्य

बोर्ड के लिए और उसके निमित

ह०/–

(एन. शिवानंद)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए/सी)

डीआईएन : 07852689

स्थानः नई दिल्ली

तारीख : 29 अगस्त, 2018

उपाबंध–ङ

प्ररूप संख्या एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

[(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)]

I. रजिस्ट्रीकरण और अन्य ब्यौरे :

i) सीआईएनः –**यू27109डीएल1970जीओआई117585**

ii) रजिस्ट्रीकरण तारीख : **16 अप्रैल, 1970**

iii) कंपनी का नाम : **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड**

iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी : **लघु रत्न, श्रेणी II (अनुसूची ख)**

v) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता और संपर्क के ब्यौरे : **कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, टेलीफोन : 91–11–24361666**

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है हां/नहीं : **नहीं**

vii) रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क के ब्यौरे :

नाम : **एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड**

पता : **एफ–65, पहली मंजिल, औखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020**

संपर्क संख्या : **41406149–52**

II. कंपनी का प्रधान कारबार कार्यकलाप

कंपनी के कुल आवर्त का 10 प्रतिशत या अधिक अंशदान करने वाले सभी कारबार कार्यकलापों का कथन किया जाएगा :–

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कूट *	कंपनी के कुल आवर्त में प्रतिशतता
1.	भवन का संनिर्माण	410	37%
2.	अन्य सिविल इंजीनियरी परियोजनाओं का संनिर्माण	429	58%

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

III. धृति, अनुषंगी और सहबद्ध कंपनियों की विशिष्टियां –

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	धृति/ अनुषंगी/ सहबद्ध	धारण किए गए शेयरों की प्रतिशतता	लागू धारा
1	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड* कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	यू45309डीएल 2016जीओआई29995	अनुषंगी कंपनी	51%	2(87)

* ईपीआई ने इपीआईयूआईडीएल को बंद करने/ईपीआईयूआईडीएल से बाहर निकालने का विनिश्चय कर लिया है।

IV. शेयरधारण पैटर्न (कुल साम्या के प्रतिशत के रूप में साम्या शेयर पूंजी विभाजन)

i) श्रेणी–वार शेयर धारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धृत शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धृत शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
अ. प्रस्तावित (1) भारतीय									
क) व्यष्टिक / एचयुएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) केंद्रीय सरकार	शून्य	35415677	35415677	99.98	शून्य	35415677	35415677	99.98	शून्य
ग) राज्य सरकार(रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) निगमित निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) बैंक / वि.सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) कोई अन्य) 6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और 1 न्यास	शून्य	7011	7011	0.02	शून्य	7011	7011	0.02	शून्य
उप–योग (अ) (1):–	**शून्य**	**35422688**	**35422688**	**100**	**शून्य**	**35422688**	**35422688**	**100**	**शून्य**
(2) **विदेशी** क) प्रवासी भारतीय व्यष्टिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यष्टिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निगमित निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) बैंक / वि.सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) कोई अन्य.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग (अ) (2):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रस्तावकों की कुल शेयर धृति (अ) = (अ)(1)+(अ) (2)	**शून्य**	**35422688**	**35422688**	**100**	**शून्य**	**35422688**	**35422688**	**100**	**शून्य**
आ.सार्वजनिक शेयर धृति 1. संस्थाएं क) पारस्परिक निधियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक / वि.सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केंद्रीय सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार(रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) जोखिम पूंजी निधियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

छ) वि.सा.नि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज) विदेशी जोखिम निधियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग (आ) (1):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर–संस्थाएं क) निगमित निकाय i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यष्टिक i) 1 लाख रुपए तक नाममात्र व्यष्टिक शेयरधारण धृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) 1 लाख रुपए से अधिक नाममात्र व्यष्टिक शेयरधारण धृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग(आ)(2):– कुल सार्वजनिक शेयर धृति (आ)=(आ)(1)+(आ)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षकों द्वारा धृत शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महा–योग (अ+आ+ई)	शून्य	35422688	35422688	100	शून्य	35422688	35422688	100	शून्य

(ii) प्रस्तावकों की शेयर धृति

क्र. सं.	**शेयरधारक का नाम**	**वर्ष के प्रारंभ में धृत शेयरों की संख्या**			**वर्ष के अंत में धृत शेयरों की संख्या**			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का आडमान/ई किए गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का आडमान/ई किए गए शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर धृति में प्रतिशत परिवर्तन
1	भारत का राष्ट्रपति (भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के माध्यम से)	35415677	99.98%	शून्य	35415677	99.98%	शून्य	शून्य
	योग	**35415677**	**99.98%**	**शून्य**	**35415677**	**99.98%**	**शून्य**	**शून्य**

(iii) प्रस्तावकों की शेयर धृति में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें, तब भी जब कोई परिवर्तन नहीं हो) – कोई परिवर्तन नहीं

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धृति	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	35415677	99.98	35415677	99.98
	वृद्धि/कमी (अर्थात् आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट साम्या आदि) के कारणों को विनिर्दिष्टि करते हुए वर्ष के दौरान प्रस्तावकों की शेयर धृति में तारीख–वार वृद्धि/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	**35415677**	**99.98**	**35415677**	**99.98**

(iv) दस सर्वोच्च शेयरधारकों (निदेशक, प्रस्तावक और डीजीआर तथा एडीआर) का शेयर धारण पैटर्न :

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धृति	
	वर्ष के प्रारंभ में वृद्धि/कमी (अर्थात् आवंटन/अंतरण/ बोनस/स्वीट साम्या आदि) के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रस्तावकों की शेयर धृति में तारीख–वार वृद्धि/कमी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	भारत का राष्ट्रपति	35415677	99.9784	35415677	99.98
2.	भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड	3575	0.0101	3575	0.0101
3.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1892	0.0053	1892	0.0053
4.	माइनिंग एंड एलॉइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड	490	0.00138	490	0.00138
5.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	490	0.00138	490	0.00138
6.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	350	0.000988	350	0.000988
7.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	210	0.000592	210	0.000592
8.	ईपीआई शेयरधारक न्यास	4	0.0000112	4	0.0000112

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयर धृति :

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धृति	
	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति वृद्धि/कमी(अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट साम्या आदि) के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रस्तावकों की शेयर धृति में तारीख–वार वृद्धि/कमी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	श्री एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (तारीख 20 मार्च, 2017 से निलंबित हैं) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
2.	श्री एन शिवानंद, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (15 जून 2017 से) और निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार 1 जुलाई 2018 से वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
3.	श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) (30 जनू 2018 से निदेशक नहीं रहे) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
4.	श्री एस. शक्ति मणि, निदेशक (वित्त) (तारीख 29.03.2017 से 13.04.2017) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
5.	श्री लेख राज निदेशक (वित्त) (13.4.2017 से नियुक्ति) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
6.	श्री विश्वजीत सहाय, सरकारी नामनिर्देशिती निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
7.	श्री सिया शरन, सरकारी नामनिर्देशिती निदेशक (7.8.2018 को पद छोड़ दिया) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
8.	श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
9.	डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
10.	श्रीमती सुधा वी. वरदन, कंपनी सचिव वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य

V. ऋणता

कंपनी की ऋणता जिसके अंतर्गत बकाया ब्याज/उदभूत किन्तु जो संदाय के लिए शोध्य नहीं है।

	प्रतिभूत ऋण, जिसके अंतर्गत जमा नहीं हैं	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणता i) मूल रकम ii) शोध्य ब्याज किन्तु जो संदत्त नहीं किया गया है iii) उद्भूत ब्याज किन्तु जो शोध्य नहीं है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणता में परिवर्तन ● वर्धन ● कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वर्ष के अंत में ऋणता i) मूल रकम ii) शोध्य ब्याज किन्तु जो संदत्त नहीं किया गया है iii) उदभूत ब्याज किन्तु जो शोध्य नहीं है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम			कुल रकम
		अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीईओ)*	श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं)	श्री लेख राज निदेशक (वित्त) (सीएफओ)	
1	समग्र वेतन (क) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	14,66,281	31,90,180	26,47,983	73,04,444
	(ख) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	1,35,453	6,02,885	2,21,645	9,59,983
	(ग) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ	0	0	0	0
2	स्टॉक का विकल्प	0	0	0	0
3	स्वीट साम्या	0	0	0	0
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट करें	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
5	अन्य, कानूनी निधियों एवं अन्य प्रतिपूर्तियों को अभिदाय	0	0	0	0
	योग (क)	16,01,734	37,93,065	28,69,628	82,64,427
	अधिनियम के अनुसार ऊपरी सीमा	लागू नहीं होता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या तारीख 5 जून, 2015 के निबंधनों में लागू नहीं होगी।			

* 20 मार्च 2017 से निलंबित। पूर्वोक्त संदाए मैं निर्वाह भत्ता सम्मिलित है। श्री एन शिवानंद, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार 15 जून 2017 से सौंपा गया है और उन्हें किसी वेतन या भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	निदेशक का नाम		कुल रकम
		श्री सुशांत बालिगा	श्रीमती अनीता चौधरी	
1.	3 स्वतंत्र निदेशक • बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थिति होने की फीस • कमीशन • अन्य, कृपया विनिर्दिष्टि करें	2,20,000	2,20,000	4,40,000
	योग (1)			
2.	4 अन्य, गैर–कार्यपालक निदेशक • बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थिति होने की फीस • कमीशन • अन्य, कृपया विनिर्दिष्टि करें	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	योग (2)	–	–	–
	योग (ख)=(1+2)			
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
	अधिनियम के अनुसार कुल ऊपरी सीमा	लागू नहीं होता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या तारीख 5 जून, 2015 के निबंधनों में लागू नहीं होगी।		

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		मु.का.अ.	कंपनी सचिव	मु.वि.अ.	योग
1	समग्र वेतन				
	(क) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	0	20,04,612	0	20,04,612
	(ख) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	0	0	0	0
	(ग) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ	0	0	0	0
2	स्टॉक का विकल्प	0	0	0	0
3	स्वीट साम्या	0	0	0	0
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0
	योग	**0**	**20,04,612**	**0**	**20,04,612**

VII. शास्तियां/दंड/अपराधों का उपशमन : शून्य

किस्म	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दंड/अधिरोपित उपशमन फीस के ब्योरे	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरे दें)
क. कंपनी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–शमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशक					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–शमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. व्यतिक्रमी अन्य अधिकारी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपशमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ह0/–
(एन शिवानंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएनः 07852689

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 29 अगस्त 2018

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

प्ररूप सं. एमआर–3

(31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियां
(नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में

सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएनःयू27109डीएल1970जीओआई117585
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7
लोधी रोड, नई दिल्लीं–110003

हमनें लागू कानूनी उपबंधों की अनुपालना में और **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** (जिसे इसमें इसके पश्चात **कंपनी** कहा गया है) द्वारा अच्छी निगम पद्धतियों की अनुपालना की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित कर ली है। सचिवालयी लेखापरीक्षा उस रीति में की गई जो मुझे निगम व्यवहार/कानूनी अनुपालना का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर राय व्यक्त करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

कंपनी की लेखा बहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जो 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष को कवर करती है इसमें नीचे सूचीबद्ध किए गए कानूनी उपबंधों का अनुपालन किया है और यह भी मत व्यक्त करते हैं कि कंपनी की उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालना तंत्र उस सीमा और उस रीति में तथा नीचे दी गई रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन रहते हुए है:

हमने **इंजीनियरिंग प्रोजेक्टव (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी)** द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रखी गई लेखा बहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों की निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार जांच कर ली है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अधीन बनाए गए नियम।

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए उपनियम।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तदधीन बनाए गए नियम और विनियम, जो उस सीमा तक जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान और विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान तथा वाणिज्यिक उधार हों।

(v) निम्नलिखित विनियम और मार्गदर्शक सिद्धांत, जो भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी, अधिनियम) के अधीन विहित किए गए हैं :

(क) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011

(ख) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारबार प्रतिषेध) विनियम, 1992

(ग) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009

(घ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम और कर्मचारी क्रय स्कीम) मार्गदर्शक सिद्धांत, 1999 और भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदा) विनियम, 2014 (28 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी)

(ङ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (श्रण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) प्रतिभूतियों का जारी करना और सूचीकरण विनियम, 2008

(च) कंपनियों के संबंध में और ग्राहकों से व्यौहार करने के लिए भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्रार के निर्गम और शेयर अंतरक अभिकर्ता) विनियम, 1993

(छ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साम्या शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009 ; और

(ज) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनः क्रय करना) विनियम, 1998

(vi) निम्नलिखित विधियां और उनके तदधीन बनाए गए नियमों को प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए विनिर्दिष्ट लागू के रूप में पहचाना गया है।

(क) लोक उद्यम विभाग मार्गदर्शक सिद्धांत, तारीख 14 मई 2010 भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय द्वारा को जारी किए गए हैं

(ख) आय–कर अधिनियम, 1961

(ग) माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(घ) सेवाकर विधि

(ङ) मूल्य वर्धित कर/केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम/डब्ल्यूसीटी

(च) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्धीन बनाए गए नियम

(छ) मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1999

(ज) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(झ) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(ञ) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(ट) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

(ठ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(ड) अन्य श्रम विधियां और तदधीन बनाए गए नियम :

- ठेका श्रम (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
- वाणिज्यिक दूकान और प्रतिष्ठापन अधिनियम
- ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
- कर्मचारी भविष्य–निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972

- मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
- बोनस संदाय अधिनियम, 1965
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों की समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुपालना की भी जांच कर ली है :

(क) इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरिज आफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक और केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड और साधारण अधिवेशन के संबंध में अधिसूचित का कंपनी ने किसी तात्विक अनुपालना के बिना पालन किया है।

(ख) कंपनी ने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई सूचीकरण करार नहीं किया है, क्योंकि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है और इसलिए इस विषय में अनुपालन के संबंध में किसी पर्यवेक्षण की अपेक्षा नहीं है;

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों आदि का, जिनका ऊपर वर्णन किया गया है, बिना किसी तात्विक अनुपालन और निम्नलिखित पर्यवेक्षणों के अधीन रहते हुए अनुपालन किया है :

1. खंड (ii) और खंड (v) में वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, मार्गदर्शक सिद्धांत, मानक किसी पर्यवेक्षण की अपेक्षा नहीं करते हैं, चूंकि कंपनी एक असूचीबद्ध निकाय है और वे लागू नहीं होते हैं।

2. खंड (iii) और खंड (iv) में वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, किसी पर्यवेक्षण की अपेक्षा नहीं करते हैं, चूंकि विचाराधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

3. ऊपर खंड (vi) विनिर्दिष्टतः लागू विधियों के संबंध में हम पर्यवेक्षण करते हैं कि कंपनी में ऐसी पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जो कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुसार सभी लागू विधियों, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों की मानीटरी और अनुपालन करने के लिए पर्याप्त हैं।

4. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने हमारी, राय में कंपनी अधिनियम 1956 और उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का और कंपनी अधिनियम 2013 जैसा कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा कंपनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों के बिना किसी तात्विक अनुपालन के पालन किया है।

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :

कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों, और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक बोर्ड का सम्यकतः गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड के गठन में परिवर्तनों को अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना में किया गया है

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यवृत्त पर पर्याप्त सूचना दी गई और कार्यवृत्त पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम 7 दिन पूर्व अग्रिम में भेजी गईं सिवाय लघु सूचना के, जहां अपेक्षित अनुपालना की गई है और बैठक से पूर्व और सूचना तथा कार्यवृत्त मदों पर स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करने के लिए और बैठकों में फलदायक सहभागिता के लिए प्रणाली विद्यमान है।

बहुमत के विनिश्चयों को करते समय असहमत सदस्यों के मतों पर ध्यान दिया गया और कार्यवृत्त के एक भाग

के रूप में उन्हें अभिलिखित किया गया।

कंपनी ने अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं और निदेशकों ने उनकी नियुक्ति के संबंध में पात्रता की अपेक्षाओं, उनके स्वतंत्र होने और कारबार संचालन की संहिता तथा निदेशक और प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए नैतिकता की अनुपालना के प्रकटन का पालन किया है।

हम यह और भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयों का पर्यवेक्षण किया गया :

1. हम या और रिपोर्ट करते हैं कि 17 फरवरी 2016 को आयोजित बैठक में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुपालन में "कंपनी" की समान प्रकार के केंद्रीय सैक्टर के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ विलयन के माध्यम से विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है।

2. हमें यह और सूचित किया गया है कि ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल सीआईएनः यू45309डीएल2016 जीओआई 299995) जिसे 19 मई 2016 को कंपनी" की 51 प्रतिशत साम्या सहभागिता के साथ निगमित किया गया था तथा अभी भी वह प्रचालन नहीं कर रही है। स्वैच्छिक रूप से इसके परीसमापन के प्रस्ताव को शेयरधारकों में से एक (39% शेयर धृति के साथ) द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। पश्चातवर्ती रूप से शेष दो शेयर धारक जो 49% शेयर धारण कर रहे हैं, ईपीआई के 51% शेयरों के लिए "प्रस्ताव के लिए आमंत्रण" के माध्यम से प्रस्ताव सफल नहीं हो सका। ईपीआई के बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों से समाप्त/निकासी के अन्य विकल्पों के लिए बात करने का भी निश्चय किया है।

3. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीबीआई ने "कंपनी" के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध "कंपनी" के अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा किसी विशिष्ट प्रकार के पक्ष में निविदा प्रदान करने के लिए अवैध लाभ लेने के संबंध में एक मामला सीबीआई द्वारा रजिस्टर किया है और यह कर्मचारी निलंबित है। वे निदेशक जो निलंबित हैं भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के आदेश के निबंधनों में कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कंपनी को प्राथमिकी में एक पक्षकार नहीं बनाया गया है इससे उसके वित्तीय विवरणों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं है।

कृते विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव
ह0/–
(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस संख्या 7242
सी पी संख्या 7710

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23.08.2018

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ, जिसे **उपाबंध–क** के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

"उपाबंध क"

सेवा में

सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएन : यू 27109 डीएल 1970 जीओआई 117585,
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट का इस पत्र के साथ पठन किया जाए।

1. सचिवालय अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है और हमारा दायित्व इन सचिवालीय अभिलेखों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने का है।

2. हमने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और पद्धतियों का अनुपालन किया है जो सचिवालयीय अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सही होने की बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए समुचित है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि सचिवालीय अभिलेखों में सही तथ्यों को उपदर्शित किया जाए। हमारा विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है वे हमारी राय में युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

3. हमने कानूनी लेखापरीक्षकों, कर प्राधिकारियों, लागत लेखापरीक्षकों और नियंत्रण और महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को लागू वित्तीय विधियों, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियां हैं, पर निर्भर किया है। लेखांकन मानक वित्तीय अभिलेखों की शुद्धता और उपयुक्तता, लागत अभिलेख और कंपनी की लेखा बहियां संबंधी लेखापरीक्षकों और अन्य नामनिर्दिष्ट व्यवसायियों की समीक्षा के अधीन रही हैं।

4. जहां भी अपेक्षित था हमने प्रबंधन से विधियों, नियमों, विनियमों और घटनाओं के विषय में अनुपालना के लिए अभ्यावेदन अभिप्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्ये लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के उपबंधों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है, हमारी जांच प्रक्रियाओं के सत्यीपन के लिए जांच के आधार तक सीमित थी।

6. सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी साध्यता और न ही उस प्रभावशीलता की पर्याप्तता के विषय में कोई आश्वासन नहीं है, जिसमें कंपनी का प्रबंधन अपने कार्यों का संचालन कर रहा है।

कृते विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–
(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस संख्या 7242
सी पी संख्या 7710

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23.08.2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,

एकल वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है, जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकारक सूचना से मिलकर बना है जिसमें उस तारीख को कंपनी के 6 क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और ओमान तथा श्रीलंका के विदेशी रिटर्न की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा और कार्पोरेट कार्यालय, जयपुर और अलवर कार्यलयों की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए इन एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में उत्तरदायी है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों जिसके अंतर्गत कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक हैं, के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों का सुरक्षापायों और कपट का तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण; समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; ऐसे निर्णय और आकलन करना जो युक्तियुक्त तथा प्रबुद्ध हों; तथा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयारी से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सुसंगत हैं जो लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता का सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का है।

हमने अधिनियम के उपबंधों को, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और अन्य मामलों को जिन्हें अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और अधिनियम की धारा 143(11) के अधीन किए गए आदेश के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की अपेक्षा है को गणना में लिया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस तथ्य का युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में रकमों और प्रकटनों के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित होता है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणियों में तात्विक मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण करना भी है चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश।

इन जोखिमों निर्धारणों को करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणियों को जो तैयार करने और उचित प्रस्तुति से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सके जो परिस्थितियों में समुचित हैं किन्तु इस प्रयोजन के लिए अपनी राय प्रकट करने के लिए नहीं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय रिपोर्टिंग पर है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता क्या है। किसी लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता के साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और यथोचित आधार प्रस्तुत करता है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अन्य क्षेत्रों की वित्तीय विवरणों पर दी गई रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणियां अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी उस रीति में प्रदान करती हैं जैसाकि अपेक्षित है और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी की और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसके लाभ और रोकड़ प्रवाह की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करती है।

मामले का बल

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं

1. उत्तरी क्षेत्र में और प्रत्ययभूत व्यापार प्राप्य जिन्हें अच्छा समझा गया है में सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य ग्राहकों से 1830.17 लाख (संदर्भ टिप्पण 2.11 को निर्दिष्ट करें) रुपए की बकाया रकम, बंद की गई परियोजनाओं के संबंध में जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया है शोध्य है, इसमें मुकदमेबाजी/माध्यस्थम/निगम दिवाला के अधीन 1507.89 लाख रुपए सम्मिलित है।

   इसके अतिरिक्त, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अनुसार परिसमापक द्वारा यूबी इंजीनियरिंग लिमिटेड पर ईपीआई के दावों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2018 तक 12 करोड रुपए का उपबंध किया गया है जिसके अंतर्गत 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 16 करोड रुपए के बकाया (संदेय शेष शुद्ध) (संदर्भ टिप्पण संख्या 2.35 को निर्दिष्ट करें) के लिए 4 करोड रुपए का उपबंध किया गया है

   प्रबंधन की दृष्टि में शेष बकाया को अच्छा माना गया है और यह वसूलनीय हैं।

2. "संदेहस्पद ऋणों/सुधारों और अग्रिम"–उपबंध पर लेखांकन नीति सं. 1.10 की ओर तथा संदेहस्पद ऋणों/सुधारों और अग्रिम"–का उपबंध पर प्रबंधन द्वारा मामले के पूर्व अनुभव/प्रगति/निर्धारण के आधार पर 10 वर्ष से अधिक के लिए बकाया शोध्यों की दशा में परियोजना के आधार पर शुद्ध वसूलनीय रकम के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, ग्राहक का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्रतिभूति जमा, व्यापार संदेय का शेष और अन्य पक्ष कार पुष्टि/मिलान की शर्त के अधीन है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कंपनी मुख्यतः सरकारी पक्षकारों के साथ व्यवहार कर रही है। हमारी राय में पुष्टि करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है (संदर्भ टिप्पण संख्या 2.42 को निर्दिष्ट करें)

4. टिप्पण संख्या 2.7 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, कंपनी ने आकलन के आधार पर वेतन पुनरीक्षण के लेखे (तीसरा पीआरसी) 3,68,03,797 रुपए (पूर्व वर्ष 1,75,00,000 रुपए) का उपबंध किया है और इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन आना शेष है।

5. भारतीय कर दायित्व पर संदत्त विदेशी कर दायित्व के लिए 5,19,41,323 रुपए की अग्रणीत अधिक्य रकम के संबंध में टिप्पण संख्या 2. 10 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है वित्त वर्ष 2017–18 का निर्धारण अभी आरंभ होना है अतः जब और जैसे निर्धारण पूरा होता है, लेखाबहियों में आवश्यक समायोजन कर लिया जाएगा।

6. टिप्पण संख्या 2.40 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा तीन मामले रजिस्टर करने और कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा निविदा देने के लिए अवैध प्रलोभन लेने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का वर्णन करता है। इस संबंध में अभी जांच चालू है।

पूर्वोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय अर्हित नहीं है।

अन्य मामले

हमने कंपनी की एकल वित्तीय विवरणियों में शामिल 6 (छह) शाखाओं की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनकी विवरणियों/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 1,703.58 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 1896.64 करोड रुपए) की कुल आस्तियों को और 1652.18 करोड रुपए (पूर्व वर्ष 1,623.31 करोड रुपए) के कुल दायित्व तथा 1,621.34 करोड रुपए (पूर्व वर्ष 1,658.75 करोड रुपए) के कुल राजस्व को जैसाकि एकल वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है प्रदर्शित करती है। इन शाखाओं की वित्तीय विवरणियां/सूचना की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई रकमों और प्रकटन का संबंध है केवल ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है

इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी जिन्होंने 4 सितंबर 2017 को इन विवरणों पर अपनी राय व्यक्त की है जो उपांतरित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. हमने, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित आदेश के पैरा 3 और पैरा 4 मैं विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण **"उपाबंध क"** पर दिया है।

2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक मैं निदेश जारी किए हैं जिसमें उन क्षेत्रों को इंगित किया है जिनकी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के निबंधनो में जांच की जानी है। जिसकी अनुपालना **उपाबंध ख** में दी गई है।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर तथा पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने पर, जैसा कि 'अन्य विषय पैरा' मैं नोट किया गया है, हम लागू होने के परिमाण तक रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में जहां तक लेखा बहियों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं।

   (ग) कंपनी के प्रादेशिक कार्यालयों की रिपोर्ट जिनकी लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम,

143(8) के अधीन की गई है, हमें भेजी गई है और उससे हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने में उचित रूप से व्यौहार किया है।

(घ) इस रिपोर्ट में व्यौहार किया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों और रिटर्नों के अनुरूप हैं।

(ङ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(च) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि 463(अ) तारीख 5 जून 2015 के निबंधनो में निदेशकों की निर्हरता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता पर प्रादेशिक/शाखा लेखा परीक्षकों ने अपनी पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हमने पृथक रिपोर्ट को प्रादेशिक/शाखा लेखा परीक्षकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर **उपाबंध "ग"** मैं समेकित किया है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i. कंपनी ने 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का उसकी वित्तीय प्रस्थिति पर अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया है–वित्तीय विवरणों पर संदर्भ टिप्पण सं. 2.25 को निर्दिष्ट करें।

ii. कंपनी ने लागू विधि या लेखांकन मानकों के अधीन यथा–अपेक्षित उपबंध दीर्घावधि संविदाओं जिसके अंतर्गत व्युत्पनी संविदाएं हैं, पर पहले से ही पता लगाए जा सकने वाले तात्विक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए उपबंध किया है।

iii. ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसको विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करने की अपेक्षा थी।

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 06591एन

ह0/–
(सी.ए भुवनेश महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 अगस्त 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध–क

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट उपाबंध, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (क) कंपनी ने पूरी विशिष्टियों को उपदर्शित करते हुए जिसके अंतर्गत नियत आस्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और प्रास्थिति है समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) सभी मदों को वर्ष में एक बार कवर करने के लिए नियत आस्तियों के सत्यापन के लिए कंपनी के पास एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसकी आस्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त है। ऐसे सत्यापन में तात्विक खामी ध्यान में नहीं आई है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, स्थावर संपत्तियों के हक विलेख, सिवाय निम्नलिखित के, कंपनी के नाम में धृत हैं।

आस्तियों का विवरण	मामलों की संख्या	क्षेत्र (वर्ग फुट में)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार समग्र खंड (रुपए में)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार शुद्ध खंड (रुपए में)
पट्टा धृत भवन	1.	61,066	6,36,11,348	4,11,51,257

(ii) (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान युक्तियुक्त अंतराल पर माल सूची का भौतिक सत्यापन किया। कंपनी की मालसूची चालू संनिर्माण कार्य और सामग्री के स्टॉक से मिलकर बनी है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जाने वाली मालसूचियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं आवृत्ति कंपनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए तता अग्रेषित किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी मालसूची के समुचित मात्रात्मक अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई तात्विक खामी नहीं पाई गई है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने न तो प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों को कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को जिन्हें अधिनियम की धारा 189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया है, प्रदान किया है न ही उनसे उन्हें लिया है। परिणामस्वरूप आदेश के खंड 3(iii) (क), 3(iii) (ख) और 3(iii) (ग) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं, अतः इस पर कोई टिप्पण नहीं है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और धारा 186 के निबंधनों में कोई ऋण, विनिधान, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी लागत अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है और यह कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6(4) के अनुसरण की शर्त के अधीन है। कंपनी द्वारा नियुक्त लागत लेखा कार्य 31 मार्च 2018 समाप्त हुए वर्ष के लिए क्रमशः 24 अगस्त, 2018 को लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हमने मोटे तौर पर कंपनी द्वारा रखे गए लागत अभिलेखों की समीक्षा की है और प्रथम दृष्टया हमारी यह राय हैं कि विहित लागत अभिलेखों को बनाया गया है और रखा गया है। तथापि हमने लागत अभिलेखों की इस दृष्टि से विस्तृत जांच नहीं की है की वह सही है या पूर्ण है।

(vii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और प्रस्तुत की गई लेखा भाइयों और अभिलेखों और हमारी जांच के आधार पर हमारी राय हैं कि:

(क) कंपनी साधारणतया विवादास्पद और कानूनी देय को जमा करने में नियमित रही है जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, आय–कर, विक्रय कर, मूल्यवर्धित कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, माल और सेवा कर और अन्य कानूनी देय जैसा की समुचित प्राधिकारियों के पास लागू है,। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्त वर्ष 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कोई विवादास्पद कानूनी बकाया उस तारीख से जिसको वह संदेय होते हैं से 6 माह से अधिक अवधि के लिए विद्यमान नहीं है।

(ख) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार आयकर, विक्रय कर, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर को विवादों के लेखे कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया है।

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	कानून का नाम	शोध्यताओं की प्रकृति	रकम (रुपए में)	वह अवधि जिससे रकम संबंधित है	वह मंच जहां विवाद लंबित है
1	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित अधिनियम, 2003	मूल्यवर्धित कर	9,43,02,345	2011–12	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
2	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित अधिनियम, 2003	मूल्यवर्धित कर	10,30,28,642	2013–14	पश्चिम बंगाल कर अधिकरण, कोलकाता
3	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित अधिनियम, 2003	मूल्यवर्धित कर	4,15,40,657	2012–13	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (प्रथम अपील) पश्चिम बंगाल वाणिज्य कर, कोलकाता
4	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित अधिनियम, 2003	मूल्यवर्धित कर	2,25,08,293	2005–06	पश्चिम बंगाल वाणिज्य कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड कोलकाता
5	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित अधिनियम, 2003	मूल्यवर्धित कर	11,61,775	2007–08	पश्चिम बंगाल कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
6	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित अधिनियम, 2003	मूल्यवर्धित कर	19,13,545	2009–10	विशेष आयुक्त पश्चिम बंगाल वाणिज्य कर, कोलकाता पश्चिम बंगाल कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
7	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित अधिनियम, 2003	मूल्यवर्धित कर	1,69,25,124	2014–15	सुसंगत वर्ष के लिए निर्धारण के रूप में प्राप्त मांग आरंभ कर दी गई है
8	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित अधिनियम, 2003	मूल्यवर्धित कर	3,67,34,392	2015–16	सुसंगत वर्ष के लिए निर्धारण के रूप में प्राप्त मांग आरंभ कर दी गई है
9	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	सेवा कर	सेवा कर / शास्ति	4,18,63,946	2005–06 से 2007–08	सीईएसटीएटी, कोलकाता

10	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	सेवा कर	सेवा कर/ शास्ति	37,46,050	2010–11 से 2012–13	सीईएसटीएटी, कोलकाता
11	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	सेवा कर	सेवा कर/ शास्ति	75,09,137	2011–12 से 2015–16	सेवा कर, लेखा परीक्षा
12	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	सेवा कर	सेवा कर/ शास्ति	36,17,680	2004–05, 2005–06	कार्यालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मोरेलो परिसर, शिलांग
13	दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय, चैन्नई	आंध्र प्रदेश मूल्यवर्धित कर	मांग	44,48,905	2008–09 से 2009–10	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद
14.	उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 1948	मांग	8,72,500	1993–94	विक्रय कर अधिकरण
15.	उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, नई दिल्ली	सेवाकर	सेवा कर एवं शास्ति	9,83,80,264	2004–05 से 2007–08	दिल्ली उच्च न्यायालय
		योग		47,85,53,255		

(viii) हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा हमें नहीं गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार और डिवेंचर धारकों को शोध्य के पुनर्संदाय में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है।

(ix) कंपनी ने प्रारंभिक लोक प्रस्ताव या भावी लोक प्रस्ताव और आवधिक ऋण के माध्यम से कोई धन इकट्ठा नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(ix) लागू नहीं होता है।

(x) हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ईपीआई के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध तीन मामले रजिस्टर किए हैं और ईपीआई के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी फाइल की है। इनमें से दो मामले वर्ष 2017–18 के दौरान रजिस्टर किए गए और एक मामला वित्त वर्ष 2016–17 में दर्ज किया गया है। यह मामला ईपीआई के अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा निविदा देने के लिए अवैध लाभ लेने के संबंध में है। इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण दिया गया है ईपीआई को प्राथमिकी में एक पक्षकार नहीं बनाया गया है और वित्तीय विवरणों में किसी वित्तीय प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है।सभी 3 मामलों में जांच जारी है (संदर्भ टिप्पण संख्या 2.40 को निर्दिष्ट करें)

(xi) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) तारीख 5 जून 2015 के निबंधनों में दी गई छूट के मद्देनजर, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) मैं दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर नातेदार पक्षकारों के साथ सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और धारा 188 जहां भी वह लागू होती है के अनुसार हैं और लेखांकन मानक और कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षा अनुसार वित्तीय विवरणों में ब्यौरों का प्रकटन किया गया है।

(xiv) कंपनी ने शेयरों या पूर्णता या भागतः संपरिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन/प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xv) हमें दी गई सूचना और उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों यह उन से संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–1क के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

कृते के. जी.सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 06591एन

ह0/–
(सी.ए भुवनेश महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 अगस्त 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) में निर्दिष्ट

क्र. सं.	निदेश	प्रत्युत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्री होल्ड और पट्टा धृत भूमि के लिए स्पष्ट हक/पट्टा विलेख है? यदि नहीं तो फ्री होल्ड और पट्टा दलित भूमि का क्षेत्र बताए जिसके लिए हक/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	• कंपनी के पास अलवर संपत्ति के लिए स्पष्ट हक/पट्टा विलेख है। • कंपनी द्वारा कोई फ्री होल्ड भूमि धृत नहीं है। • जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, निगम कार्यालय, कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली पट्टे पर है जैसा कि कंपनी पट्टेदार को वार्षिक भू–भाटक का संदाय कर रही है। तथापि, कंपनी के पास सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा भूमि के आवंटन के लिए 24 जनवरी 1979 का एक पत्र है।	कुछ नहीं
2.	क्या उधारों/ऋण/ब्याज आदि के त्यजन/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है। यदि हां उसके कारणों और उसमें अंतर्वलित रकम को बताएं।	• जैसा कि पूर्व क्षेत्र के लेखापरीक्षक ने रिपोर्ट किया है, वर्ष के दौरान 71,27,498/–रुपए के त्यजन/बट्टे खाते मैं डाले गए ऋणों को वित्तीय विवरणों में लेखे में लिया गया है। पूर्वोक्त रकम में से 29,46,497 रुपए को बट्टे खाते में डाला गया है और 41,81,001/-रुपए खराब ऋण के लिए है जिसके लिए पूर्व वर्षों में संदेहस्पद ऋणों मैं उपबंध किया गया है। इस शेष को बट्टेखाते में डाला गया है जहां प्रबंधन के अनुसार वसूली के अवसर बहुत कम है। क्योंकि यह रकम काफी लंबे समय से लंबित है।	हानि 29,46,497 रुपए से अधिक है और आस्ति 29,46,497 रुपए से कम कर दी गई है
3.	तृतीय पक्षकारों के पास माल सूचियों के अनुरक्षण और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपहार/अनुदानों के लिए उचित अभिलेख रखे गए हैं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तृतीय पक्ष कारों के पास कोई माल सूची नहीं है और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई आस्ति प्राप्त नहीं हुई है।	कुछ नहीं

कृते के. जी.सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
(सी.ए भुवनेश महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 अगस्त 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध–ग

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** की 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा कर ली है। इस रिपोर्ट में हमने प्रादेशिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त फीडबैक को समेकित किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांत में कथित अनिवार्य आंतरिक नियंत्रण संघटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए और स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिज़ाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना शामिल है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों का सुरक्षोपाय, कपटों और त्रुटियों का निवारण तथा पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णतः तथा वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता और समयबद्ध तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित है, सम्मिलित है ताकि वह उसके कारबार का व्यवस्थित और दक्ष प्रचालन करने का प्रभावी रूप से निश्चय कर सकें।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित माने गए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों जहां तक वह आर्थिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू होते हैं के अनुसार की है और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी कि गए हैं। वह मानक और मार्गदर्शक नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना यह युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभी प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में यह समझ अभिप्राप्त करना कि किसी तात्विक खामी के विद्यमान होने के जोखिम का निर्धारण किया जाता है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता की जांच करना और उसके डिजाइन का मूल्यांकन करना समलित है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत वित्तीय कथनों में तात्विक त्रुटियों चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता

के संबंध में तर्कपूर्ण आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है और बाहरी प्रयोजनों के लिए विवरण साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वह नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो,–

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो युक्तियुक्त विवरण, शुद्धता, और न्यायोचित रूप से कंपनी के संव्यवहार और कार्यों को परिलक्षित करते हैं,

(2) इस बात का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को वैसे ही अभिलिखित किया जा रहा है जैसा साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किया जा रहा है ; और

(3) कंपनी की आस्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या निपटान को निवारित करने या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रणों पर अध्यारोही प्रभाव हो सकता है, त्रुटि या कपट के कारण तात्विक मिथ्या कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में या नीतियों या प्रक्रियाओं में अनुपालना के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो जाए।

मत

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड जिसकी स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए" कंपनी में सभी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। तथापि हमने नोट किया है कि–

क) शेष की पुष्टि अभिप्राप्त करने और पक्षकारों के साथ मिलान करने की प्रक्रिया में कतिपय सुधार करने की आवश्यकता है।

ख) आंतरिक लेखा परीक्षा में निविदाकरण प्रक्रिया को कवर करने में सुधार की आवश्यकता है। निविदा प्रदान करने के लिए अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने के संबंध में तीन मामले रजिस्टर किए गए हैं।विवरण के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बिंदु संख्या 6 तथा वित्तीय विवरणों के टिप्पण संख्या 2.40 को देखें।

ग) परियोजना/आर ओ/सी ओ/की लेखा बहियों तक पहुंच और उनके संपादन के अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित या डॉक्युमेंटेड नहीं है।

घ) बीज को लेखाबहियों में अभिलिखित करने की प्रक्रिया और चालू बिलों से अग्रिम, ऋण टिप्पण, क्रेडिट नोट को समायोजित करने में कतिपय सुधार की आवश्यकता है।

ङ) लेखा परीक्षा के पूरा होने से पहले वित्त वर्ष के लिए किसी भी समय पिछली तारीख में प्रविष्टियां डाली जा सकती हैं। सैप प्रणाली मैं और सुधार की आवश्यकता है।

कृते के. जी.सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
सी.ए भुवनेश महेशवरी
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 अगस्त 2018

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लेखाओं की 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उपनिदेशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, की धारा 143(5) के अधीन लेखा परीक्षा संचालित की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी सभी निदेशों/उपनिदेशों का अनुपालन किया है।

कृते के. जी.सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
सी.ए भुवनेश महेशवरी
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 अगस्त 2018

एकल तुलनपत्र 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
I.	**साम्या और दायित्व**					
1	**शेयर धारकों की निधियां :**					
	क) शेयर पूंजी	2.1	**35,42,26,880**		35,42,26,880	
	ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	**1,95,24,56,493**	**2,30,66,83,373**	1,95,11,02,597	23,053,29,477
2	**गैर–चालू दायित्व**					
	क अन्य–दीर्घावधि दायित्व	2.3	**4,07,40,44,815**		4,69,77,27,097	
	ख) दीर्घावधि उपबंध	2.4	**27,45,41,026**	**4,34,85,85,841**	294,8,24,002	4,99,25,51,099
3	**चालू दायित्व**					
	क) व्यापार संदेय	2.5				
	i) एमएसएमई को देय		**57,61,885**			
	ii) अन्य को देय		**4,94,51,86,136**		4,66,23,65,459	
	ख) अन्य चालू दायित्वय	2.6	**7,44,65,35,543**		6,84,54,19,707	
	ग) लघु अवधि उपबंध	2.7	**26,22,42,097**	**12,65,97,25,661**	16,07,57,912	11,66,85,43,078
	योग			**19,31,49,94,875**		18,96,64,23,654
II.	**आस्तियां**					
1	**गैर–चालू आस्तियां**					
	क) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	2.8(i)	**8,98,72,952**		9,42,19,531	
	ख) अमूर्त आस्तियां	2.8 (ii)	**60,40,573**		52,10,057	
	ग) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	2.9	**15,88,38,339**		16,90,61,296	
	घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	2.10	**2,55,06,82,520**		3,00,98,92,076	
	ड.) अन्य गैर–चालू आस्तियां	2.11	**2,53,85,19,259**	**5,34,39,53,643**	2,45,17,24,465	5,73,01,07,425
2	**चालू आस्तियां**		–		–	
	क) चालू विनिधान	2.12				
	ख) माल सूचियां	2.13	**1,87,40,308**		3,96,53,089	
	ग) व्यापार प्राप्य	2.14	**3,61,09,91,289**		3,00,20,51,310	
	घ) नकद और बैंक शेष	2.15	**3,92,19,28,173**		2,97,25,78,075	
	ड.) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	2.16	**3,05,86,86,197**		3,46,31,53,869	
	च) अन्य चालू आस्तियां	2.17	**3,36,06,95,265**	**13,97,10,41,232**	3,75,88,79,886	13,23,63,16,229
	योग			**19,31,49,94,875**		18,96,64,23,654
	महत्वपूर्ण लेखांकन	1				
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1 से 2.44				

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

यह हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एन. शिवानंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07852689

ह0/–
(सी.ए बी. महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24 अगस्त, 2018

एकल लाभ और हानि 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	विवरण	टिप्पण संख्या	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व	2.18	**16,07,40,98,507**	16,30,38,04,479
II.	अन्य आय	2.19	**15,26,79,188**	33,83,69,218
III.	**कुल आय (I+II)**		**16,22,67,77,695**	16,64,21,73,697
IV.	**व्यय :**			
	प्रचालन व्यय	2.20	**15,01,46,94,282**	15,22,78,55,700
	कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदा	2.21	**78,52,15,766**	77,70,62,564
	वित्तीय लागतें	2.22	**4,85,70,364**	6,14,25,675
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	2.8	**1,54,67,875**	1,43,57,953
	अन्य व्यय	2.23	**32,67,10,361**	43,07,08,201
	कुल व्यय		**16,19,06,58,648**	16,51,14,10,093
V.	**अपवादी और असाधारण मदों से पूर्व लाभ और कर (III–IV)**		**3,61,19,047**	13,07,63,604
VI.	अपवादी मदें		–	–
VII.	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (V–VI)**		**3,61,19,047**	13,07,63,604
VIII.	असाधारण मदें			
IX.	पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)	2.24	**1,89,87,494**	8,95,90,113
X	**कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII–VIII–IX)**		**1,71,31,553**	4,11,73,491
XI	कर व्यय			
	चालू कर	2.10	**1,13,50,000**	6,29,06,269
	मैट प्रत्यय हकदारी		**(28,80,365)**	
	अस्थगित कर		**1,02,22,957**	(5,97,17,171)
	पहले के वर्षों के लिए कर		**29,14,935**	1,10,38,948
XII.	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (X–XI)**		**13,53,896**	2,69,45,445
XIII.	**प्रति शेयर अर्जन (आधारी एवं डायलूटिड)**	2.38	**0.04**	0.76
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1से 2.44		

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

यह हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एन. शिवानंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07852689

ह0/–
(सी.ए बी. महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एकल रोकड़ प्रवाह विवरण

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	**1,71,31,553**	**4,11,73,491**
निम्नलिखित के लिए समयोजन		
अवक्षयण और अपाकरण	1,54,67,875	1,43,57,953
आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (शुद्ध)	1,09,501	24,67,767
नियत जमा पर ब्याज	(1,28,72,589)	(6,54,10,713)
विदेशी मुद्रा में विनिमय परिवर्तन का प्रभाव		
नकद एवं नकद समतुल्य		
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**1,98,36,340**	**(74,11,502)**
माल सूचियों में कमी (वृद्धि)	2,09,12,781	4,58,86,480
बिल न बनाए गए राजस्व में कमी (वृद्धि)	27,98,25,041	91,97,67,817
विभिन्न लेनदारों में (वृद्धि) कमी	(68,55,11,814)	(1,51,47,21,470)
धारणाधिकार के अधीन नियत जमा में कमी वृद्धि	3,96,84,440	(19,51,993)
ऋणों एवं अग्रिम में कमी (वृद्धि)	83,45,36,889	(1,78,85,85,000)
चालू देनदारियों एवं उपबंधों में (वृद्धि)/कमी	52,46,14,619	2,35,64,58,631
प्रचालनों से सृजित रोकड़	**1,03,38,98,295**	**94,42,963**
आय–कर	(157,77,657)	(6,50,02,344)
प्रचालनों कार्यकलापों से शुद्ध नकद	**1,01,81,20,638**	**(5,55,59,381)**
विनिधान कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
स्थिर आस्तियों का क्रय/संनिर्माण	(1,21,72,954)	(1,66,72,583)
आस्तियों के विक्रय से आगम	1,11,640	37,884
ब्याज आय	(1,70,24,787)	10,69,54,280
विनिधान कार्यकलापों से शुद्ध नकद	**(2,90,86,101)**	**9,03,19,581**
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
संदत्त लाभांश	–	(10,81,54,689)
संदत्त लाभांश कर	–	(2,20,17,751)
वित्तीय कार्यकलापों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद	–	**(13,01,72,440)**
विदेशी मुद्रा में विनिमय के मद्दे विनिमय परिवर्तन का प्रभाव		
नकद एवं नकद समतुल्य		
नकद एवं नकद समतुयि शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**98,90,34,537**	**(9,54,12,240)**
वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य	2,90,56,33,803	3,00,10,46,043
वर्ष के अंत में नकद एवं एवं नकद समतुल्य	3,89,46,68,340	2,90,56,33,803
नकद और नकद समतुल्य का मिलान		
हाथ में नकद (संदर्भ टिप्पण संख्या 2.15 को निर्दिष्ट करें)	2,00,309	31,967
हाथ में चैक (संदर्भ टिप्पण संख्या 2.15 को निर्दिष्ट करें)	–	–
संव्यवहार में विप्रेषण		
चालू खातों में बैंक के पास शेष (संदर्भ टिप्पण संख्या 2.15 को निर्दिष्ट करें)	99,00,57,946	50,90,14,314
अन्य बैंकों में नियत शेष जमा (संदर्भ टिप्पण संख्या 2.15 को निर्दिष्ट करे)	2,90,44,10,085	2,39,65,87,522
नकद एवं नकद समतुल्य	3,89,46,68,340	2,90,56,33,803
जोड़ें : जमा खातों में शेष (गिरवी रखा हुआ)	2,72,59,833	6,69,44,272
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	**3,92,19,28,173**	**2,97,25,78,075**

टिप्पण:

1. नकद एवं नकद समतुल्यय में नकद और बैंकों में शेष सम्मिलित है जिसके अंतर्गत धाराऩाधिकार/मार्जिन नियत जमा को छोडकर नियत जमा और लिक्विड विनिधान है।
2. पूर्वक रोकड़ प्रवाह विवरणी को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक ए एस–3 " नकद प्रवाह विवरणी" के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।
3. नकद एवं नकद समतुल्य में नकद और अन्य बैंक शेष और बैंकों के पास जमा सम्मिलित है।
4. पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहीकरण किया गया है और जहां आवश्यक हो उन्हें पुनः दिया गया है।

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
(सी.ए बी. महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24 अगस्त, 2018

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एन. शिवानंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त. प्रभार)
डीआईएन07852689

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव

एकल वित्तीय विवरणियों के टिप्पण
(31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार

(क) वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन वास्तविक अर्जन के आधार पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं और उन्हें कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है।वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अंगीकार की गई लेखांकन नीतियां सिवाय निम्नलिखित के, पूर्व वर्ष के लिए अनुपालन की गई के अनुसार हैं:

(ख) सभी आस्तियों और दायित्वों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिकथित अनुसूची–III के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। प्रचालनों की प्रकृति और उस समय जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है। कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्तियां और दायित्वों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए 12 माह में रखा है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करना अपेक्षा करता है कि प्रबंधन आकलन और पूर्वधारणा करे कि जो आस्तियों और दायित्वोां की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करें और वित्तीय विवरण की तारीख को और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई है। तथापि यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है, वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हों से भिन्न हो सकते हैं, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3. राजस्व को मान्यता

(क) संविदा राजस्व को उस स्तर तक मान्यता दी गई है जहां तक आर्थिक फायदे कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। राजस्व को संकर्म की समग्र लागत और संपूर्ण करने की विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए समानुपात मार्जिन को जोड़कर मान्यता दी गई है। संपूर्ण करने के प्रतिशत का अवधारण संविदा की कुल प्राक्कलित लागत की तारीख तक उपगत समानुपाती लागत का अवधारण करके किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु माप नहीं किया गया/भागतः निष्पादित कार्य को इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के आधार पर गणना में लिया जाता है, ऐसी गणना से उदभूत प्रविष्टियों को उत्तरवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तदनुसार, वास्तविक प्राप्ति/जारी किए गए बीजकों/दावों को जारी करने के समय कानूनी बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

(ग) परियोजनाओं के समयपूर्व बंद करने/समाप्त करने की दशा में राजस्व/को उस संविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्यता दी जाती है।

(घ) सलाहकारी सेवाओं से राजस्व को समानुपातिक पूर्ण करना विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है। उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है मान्याता को संग्रहण करने के समय तक स्थगित कर दिया जाता है।

(ड.) उन संविदाओं की दशा में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

(च) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त संकर्म का उपबंध किया जाता है, माध्यस्थम पंचाटों से उदभूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(छ) विवाद/बातचीत और असंदेह/अप्राप्य नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में संविदाकारी बाध्यताओं से उदभूत नुकसानों को अंतिम निपटान तक गणना में नहीं लिया जाता है।

(ज) संविदा को लेखांकन प्रयोजनों के लिए अंतिम बिलिंग, चालू करने के प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने, पूर्व समापन और/या क्षमापन इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त माना जाता है।

(ञ) बकाया रकम और लागू दर को गणना में लेते हुए व्याज आय़ को समय समानुपात में मान्यता दी जाती है।

(झ) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहस्पद समझा जाता है, उदभूत होने के आधार पर मान्यता दी जाती है।

4. मालसूची

(i) सामग्रियां

(क) संनिर्माण सामग्रियां, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखे विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में गणना में लिया जाता है।

(ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्य संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल हैं और उनकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

(ii) चालू कार्य

चालू संनिर्माण कार्य का मूल्यांकन ऐसे समय तक लागत के आधार पर किया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणियों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाता है :

(i) राजस्व मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की सुसंगत वित्त वर्ष के प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को विद्यमान मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर–धनीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(iii) अवक्षयण को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जाता है जिसपर अवक्षयण की संगणना की गई है।

(iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(v) धनीय मदें (आस्तियां और दायित्व) तथा आकस्मिक दायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप शुद्ध विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का लागत पर वसूलनीय कर, व्यापार बट्टा रिवेट घटा संचित अवक्षयण और नुकसान की हानियां, यदि हो को घटाकर कथन किया जाता है। इस लागत में खरीद कीमत, उधार लेने की लागत और कोई ऐसी लागत सम्मिलित है जो सीधे आस्तियों को उनकी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए आशयित इस्तेमाल के लिए संबंधित है, विदेशी मुद्रा में शुद्ध परिवर्तन, संविदा और समायोजन जो विनिमय दर में फेरफार से उत्पन्न होते हैं वह आस्ती के लेखे डाले जाते हैं।

पश्चातवर्ती लागतों को आस्ति की वहन रकम में सम्मिलित किया जाता है या पृथक आस्ति के रूप में उस को मान्यता दी जाती है, जैसा भी समुचित हो, ऐसा केवल तब किया जाता है जब इस बात की संभावना हो की मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदे निकाय को प्रभाहित होंगे और लागत का विश्वसनीय रूप से अंकन किया जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण कि संगणना सीधी रेखा के आधार पर आस्ति के उपयोगी जीवन पर आधारित होती है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार दर्शाया जाता है और आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान 95% लागत को बट्टे खाते में डाला जाता है।

7. अवक्षयण :

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अवक्षयण की संगणना आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95% लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ख) आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर उदभूत अवक्षयण की निम्नलिखित दरों को अंगीकृत किया गया है।

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	अवक्षयण की दर
1	भवन (कारखाना भवन से भिन्न) आरसीसी फ्रेम ढांचा (एनईएसडी)	1.58%
2	अन्य अस्थायी संनिर्माण (जिसके अंतर्गत अस्थायी ढांचा आदि हैं (एनईएसडी)	31.67%
3	सिविल संनिर्माण में उपयुक्त संयंत्र मशीनरी	
3(क)(i)	कंक्रीटकरण, क्रशिंग, पाइलिंग उपस्कीर और सड़क बनाने की मशीन	7.92%
3(क)(ii)(क)	100 टन से अधिक क्षमता की क्रेनें	4.75%
3(क)(iii)(ख)	100 टन से कम क्षमता की क्रेनें	6.33%
3(क) (iii)	मृदा परिचालन उपस्कर	10.56%
3(क)(iv)	अन्य जिसके अंतर्गत सामग्री हथालन/पाइपलाइन/बैल्डिंग उपस्कर (एनईएसडी)	7.92%
4	साधारण फर्नीचर और सज्जा (एनईएसडी)	9.50%
5	कार्यालय उपस्कर (एनईएसडी)	19%
6	कम्प्यूटर और डाटा प्रसंस्करण इकाइयां (एनईएसडी)	

6(क) 6(ख)	सर्वर और नेटवर्क 'अंतिम उपयोगकर्ता इकाइयां जैसे डैस्क्टॉप, लैपटॉप, साफ्टवेयर जिसके अंतर्गत उपयोक्ता अनुज्ञप्ति फीस, अन्य अमूर्त आस्तियां आदि हैं	15.83% 31.67%
7.	**मोटरयान (एनईएसडी)**	
7(क) 7(ख)	मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड मोटर बस, मोटर लॉरी और भाटक पर उन्हें चलाने के कारबार से भिन्न मोटर कारें	9.50% 11.88%

सिवाय उन आस्तियों के संबंध में जिनके लिए कोई अतिरिक्त शिफ्ट अवक्षयण (एनईएसडी) अनुज्ञात नहीं है जैसाकि उपदर्शित किया गया है, यदि किसी आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय दोहरी शिफ्ट के लिए किया जाता है तो अवक्षयण उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा और तिहरी शिफ्ट के लिए अवक्षयण की संगणना उस अवधि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

(ग) 5,000 रुपए या उससे कम लागत की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और मोबाइल फोन का क्रय वर्ष में पूर्णतः अवक्षयण किया जाता है।

(घ) पट्टाधृत भवन का अपाकरण पट्टे की अवधि के दौरान या विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान या उसकी संगणना कंपनी द्वारा अंगीकृत दरों पर की जाती है, इनमें से जो भी लघु हो। परपेच्युअल पट्टे के अधीन धृत भूमि का अपाकरण नहीं किया जा रहा है और उसे लागत के आधार पर अग्रनीत किया जाता है।

8. कर्मचारी फायदे

(i) लघु अवधि कर्मचारी फायदों को वर्ष के जिसमें संबंधित सेवा दी गई है के लाभ और हानि विवरण में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी फायदों को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरण में जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी है एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि फायदों के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

9. उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

उपबंधों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण तुलनपत्र की तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाता है और चालू सर्वोत्तम आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक फायदों को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की संभावना सुदूर न हो। आकस्मिक दायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है।

10. संदेहस्पाद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए उपबंध

भारत सरकार के विभागों और पीएसई ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए

अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या माध्यस्थम अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों से परियोजना के आधार पर शुद्ध प्राप्ति के लिए प्रबंधन के अनुभव/निर्धारण/पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक उपबंध किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य /ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो।

11. खंड रिपोर्टिंग

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कंपनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12. आस्तियों का क्षीण हो जाना

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की आस्तियां चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि आस्तियां क्षीण हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कंपनी आस्तियों की वसूलनीय रकम का आकलन करती है। यदि आस्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी आस्ति है से वसूली योग्य रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही रकम को वसूलीय रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनःनिर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तदनुसार, लाभ और हानि लेखे में उसे विलोमतः कर दिया जाता है।

13. कराधान

वर्ष में कर के लिए उपबंध में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख के उपबंधों के अनुसरण में संगणित संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन शामिल हैं और अस्थिगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चातवर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

अस्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। अस्थगित कर आस्तियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी अस्थगित कर आस्तियों के विरूद्ध उपलब्ध होगी जिसको वसूला जा सकेगा। अग्रनीत हानियों और अवशोषित अक्षयण के संबंध में अस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भावी करादेय आय उपलब्धि होगी जिससे ऐसी अस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

कर विधियों के अनुसार संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भावी आय–कर दायित्व के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक फायदे देता है को एक आस्ति माना जाता है यदि इस बात का विश्वसनीय साक्ष्य हो कि कंपनी भविष्य में अपना साधारण कर संदत्त करेगी। कंपनी इसका प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनरीक्षण करती है और उस सीमा तक एमएटी प्रत्येक पात्रता की अग्रनीत रकम को लिखती है जिस सीमा तक इस बात का और विश्वासदायक साक्ष्य नहीं है कि कंपनी उस प्रत्यय का उपयोग विनिर्दिष्ट अवधि में करने में सफल होगी।

14. पट्टा

प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को मान्यता व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर दी जाती है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों (अधिरोपणीय करों की कटौती करने के पश्चात) से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए शेयरधारिकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16. पूर्वावधि मदें और पूर्व संदत्त व्यय

पूर्वावधि से संबंधित व्यय/आय और पूर्व संदत्त व्यय जो प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए से अधिक नहीं हैं का चालू वर्ष के व्यय/आय के रूप में उपचार किया जाता है।

टिप्पण सं. 2.1

(रकम रुपए में)

शेयर पूंजी	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत		
10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 909404600 साम्या शेयर	**9,09,40,46,000**	9,09,40,46,000
(पूर्व वर्ष 10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)		
जारी अंशधृत और पूर्णतया संदत्त		
10/-रुपए के प्रत्येक 3,54,22,688 साम्या शेयर		
(पूर्व वर्ष 10/-रुपए के प्रत्येक के संदत्त 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)	**35,42,26,880**	35,42,26,880
योग	**35,42,26,880**	35,42,26,880

टिप्पण 2.1 (क)

बकाया शेयरों की संख्या का पुनः समायोजन	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
	संख्या	संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	**3,54,22,688**	3,54,22,688
वर्ष के अंत में	**3,54,22,688**	3,54,22,688

टिप्पण 2.1 (ख)

5% से अधिक प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धृत शेयरों की संख्या	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति
भारत का राष्ट्रपति	**3,54,15,677**	**99.98**	3,54,15,677	99.98

टिप्पण सं. 2.2

(रकम रुपए में)

आरक्षित एवं अधिशेष	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
क) पूंजी आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में और अंत में शेष	**2,10,020**	2,10,020
ख) साधारण आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**21,15,00,000**	21,15,00,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान वर्धन	—	—
वर्ष के अंत में शेष	**21,15,00,000**	21,15,00,000
ग) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1,73,93,92,577**	1,71,24,47,132
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**13,53,896**	2,69,45,445
	—	—
घटाएं : संदत्त लाभांश*	—	—
घटाएं : लाभांश वितरण कर*	—	—
वर्ष के अंत में शेष	**1,74,07,46,473**	1,73,93,92,577
योग(क+ख+ग)	**1,95,24,56,493**	1,95,11,02,597

*कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (लेखांकन मानक) ने संशोधन नियम 2016 (सा. का.नि 364(अ) तारीख 30 मार्च 2016 को अधिसूचित करते हुए लेखांकन मानक (एएस) 4 आकस्मिकताएं और तुलन पत्र तारीख के पश्चात होने वाली घटनाएं को संशोधित किया है। संशोधित लेखांकन मानक एएस 4 उपबंध करता है कि यदि लाभांश की घोषणा तुलन पत्र की तारीख के पश्चात की जाती है तब ऐसे लाभांश को तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस तारीख को कोई बाध्यता विद्यमान नहीं थी।

यद्यपि, ईपीआई ने विनिधान और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) को अपर्याप्त वितरण योग्य लाभांश के कारण वित्त वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिए लाभांश का संदाय करने से छूट प्रदान करने का आवेदन किया है।

जैसा कि डीआईपीएम के साथ चर्चा की गई है उन्होंने वित्त वर्ष 2016–17 और वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लाभांश का संदाय करने से छूट प्रदान कर दी है और यह अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है

टिप्पण सं. 2.3

(रकम रुपए में)

अन्य दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*	–	–
– अन्य	**1,03,93,53,069**	1,04,25,71,767
अन्य दायित्व,		
– प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण धन#	**2,16,46,49,278**	1,91,86,72,232
– ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	**83,91,54,599**	1,72,41,29,572
– ग्राहक को संदेय अन्य	**3,08,87,869**	1,23,53,526
योग	**4,07,40,44,815**	4,69,77,27,097

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के अधीन कवर किए गए निकायों से शोध्य रकम जैसाकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में दिया गया है, की इन निकायों से प्राप्त पुष्टियों के अनुसार और कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के परिमाण तक जांच कर ली गई है। वर्ष के दौरान इन पहचाने गए निकायों को 45 दिन से अधिक के लिए संदेय कोई रकम नहीं पाई गई है।

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54 करोड रुपए में 10.06 करोड रुपए की रकम सम्मलित है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के स्थान पर प्राप्त किया गया है।

टिप्पण सं. 2.4

(रकम रुपए में)

दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
कर्मचारी फायदा :		
–छुट्टी नकदीकरण	**10,79,13,131**	11,54,89,137
–दीर्घ सेवा पुरस्कार	**23,82,554**	40,02,326
–पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**16,39,97,811**	17,46,78,634
–पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**2,47530**	6,53,905
योग	**27,45,41,026**	29,48,24,002

टिप्पण सं. 2.5

(रकम रुपए में)

व्यापार संदेय	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम*	**57,61,885**	-
– अन्य	**4,94,51,86,136**	4,66,23,65,459
योग	**4,95,09,48,021**	4,66,23,65,459

* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के अधीन कवर किए गए निकायों से शोध्य रकम जैसाकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में दिया गया है, की इन निकायों से प्राप्त पुष्टियों के अनुसार और कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के परिमाण तक जांच कर ली गई है। वर्ष के दौरान इन पहचाने गए निकायों को 45 दिन से अधिक के लिए संदेय कोई रकम नहीं पाई गई है।

टिप्पण सं. 2.6

(रकम रुपए में)

अन्य चालू दायित्व	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
ग्राहकों से अग्रिम	**4,93,34,36,805**	4,33,74,32,687
संदेय प्रतिभूति, प्रतिधारण और जमा	**1,28,24,61,874**	1,46,14,15,056
बकाया दायित्व	**4,47,72,826**	13,61,16,865
अन्य को संदेय रकम	**91982,646**	8,37,83,891
संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व	**79,09,83,769**	61,35,86,476
कर्मचारियों को संदेय*	**1,16,57,987**	3,45,92,495
कानूनी दायित्व	**29,12,39,636**	17,84,92,237
योग	**7,44,65,35,543**	6,84,54,19,707

*31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन की 44,64,159 रुपए (पूर्व वर्ष 2,99,83,663 रुपए) की रकम कतिपय कर्मचारियों को जारी करने के लिए लंबित है।

टिप्पण सं. 2.7

(रकम रुपए में)

लघु अवधि उपबंध	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
संभावित हानि के लिए उपबंध (भारतीय लेखांकन मानक 7 के अनुसार))	**4,56,60,155**	9,58,63,976
आयकर के लिए उपबंध (विदेशी)	**6,04,10,958**	1,32,44,678
वेतन पुनरीक्षण के लिए उपबंध (3पीआरसी)#	**5,43,03,797**	1,75,00,000
कर्मचारी फायदा		
–छुट्टी नकदीकरण	**2,12,73,786**	1,92,34,310
–उपदान	**6,78,02,518**	43,26,234
–दीर्घ सेवा पुरस्कार	**6,83,721**	4,85,214
–पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**120,57,814**	99,72,800
–पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**49,348**	1,30,700
योग	**26,22,42,097**	16,07,57,912

#1 जनवरी 2017 से वेतन पुनरीक्षण (3 पीआरसी) के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में वर्ष 2017–18 के दौरान लेखा बहियों में प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन रहते हुए 3,68,03,797 (पूर्व वर्ष 1,75,00,000) रुपए का उपबंध किया गया है। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार संचित उपबंध 5,43,03,797 रुपए (पूर्व वर्ष 1,75,00,000 रुपए 31 मार्च 2017) है

टिप्पण सं. 2.8 (i)

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयत्र और उपस्कर विवरण

(रकम रुपए में)

विवरण	समग्र खंड				अवक्षयण अपाकरण				शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के दौरान	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर										
फ्री होल्ड भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टा धृत भूमि	16,15,856	–	–	**16,15,856**	2,99,470	16,322	–	**3,15,792**	**13,00,064**	13,16,386
भवन फ्री होल्ड	46,87,325	–	–	**46,87,325**	25,76,808	1,09,118	–	**26,85,926**	**20,01,399**	21,10,517
पट्टा धृत भवन*	6,67,12,979	–	–	**6,67,12,979**	2,39,24,739	12,76,931	–	**2,52,01,670**	**4,15,11,309**	4,27,88,240
कम्प्यूटर और उपस्कर	4,65,65,927	32,31,422	11,96,497	**4,86,00,852**	3,89,16,887	32,12,854	11,19,785	**4,10,09,956**	**75,90,896**	76,49,040
कार्यालय और अन्य उपस्कर	2,39,46,198	18,96,022	7,82,495	**2,50,59,725**	1,68,64,034	29,96,742	7,46,947	**1,91,13,829**	**59,45,896**	70,82,164
संनिर्माण उपस्कर	6,41,37,221	–	14,96,577	**6,26,40,644**	4,44,95,807	18,58,776	14,21,748	**4,49,32,835**	**1,77,07,809**	1,96,41,414
फर्नीचर एवं सज्जा	2,50,21,481	28,13,179	6,14,965	**2,72,19,695**	1,48,90,585	19,52,170	5,94,596	**1,62,48,159**	**1,09,71,536**	1,01,30,896
वाहन	74,21,984	–	–	**74,21,984**	39,21,110	6,56,831	–	**45,77,941**	**28,44,043**	35,00,874
योग	**24,01,08,971**	**79,40,623**	**40,90,534**	**24,39,59,060**	**14,58,89,440**	**1,20,79,744**	**38,83,076**	**15,40,86,108**	**8,98,72,952**	**9,42,19,531**
पूर्व वर्ष	**23,01,65,832**	**1,53,55,551**	**54,12,412**	**24,01,08,971**	**13,69,79,361**	**1,18,19,061**	**29,08,982**	**14,58,89,440**	**9,42,19,531**	–

* स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख में 3,74,41,925 रुपए (पूर्व वर्ष 3,74,41,925 रुपए) की लागत पर कंपनी के नाम से निष्पादन के लिए नियत आस्तियां लंबित हैं।

टिप्पण सं. 2.8(ii)

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां

विवरण	समग्र खंड				अवक्षयण अपाकरण				शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के दौरान	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
अमूर्त आस्तियां										
सॉफ्टवेयर (अर्जित)	1,38,03,752	42,32,331	2,39,926	1,77,96,157	85,93,695	33,88,131	2,26,242	1,17,55,584	60,40,573	52,10,057
योग	1,38,03,752	42,32,331	2,39,926	1,77,96,157	85,93,695	33,88,131	2,26,242	1,17,55,584	60,40,573	52,10,057
पूर्व वर्ष	1,25,31,167	13,17,032	44,447	1,38,03,752	60,97,026	25,38,892	42,223	85,93,695	52,10,057	–

टिप्पण सं. 2.9

(रकम रुपए में)

आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)*	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
नियत आस्तियों पर अवक्षयण	**(83,36,100)**	(95,88,486)
संदेहस्पद ऋणों के लिए उपबंध	**11,20,78,286**	10,33,40,963
कर्मचारी फायदे के लिए उपबंध (एएस–15)	**3,98,46,958**	4,20,99,368
अन्य जो अनुज्ञात नहीं किया गया	**1,52,49,195**	3,32,09,451
योग	**15,88,38,339**	16,90,61,296

* डीटीए की संगणना करने के लिए उपायोजित कर दर 33.384% है (आय–कर 30%, अतिभार 7%, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% है।

टिप्पण सं. 2.10

(रकम रुपए में)

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिम :				
–बीजी के विरुद्ध लिया गया स्थलीकरण अग्रिम	**43,65,66,985**		1,24,31,73,537	
–सामग्री के विरुद्ध लिया गया	–		44,44,549	
–अन्य अग्रिम	**16,25,33,540**		20,38,33,502	
अन्य अग्रिम जिन्हें संदेहस्पद समझा गया	**5,78,80,446**		5,83,84,248	
	65,69,80,971		1,50,98,35,836	–
घटाएं –संदेहस्पद और खराब अग्रिम के लिए उपबंध	**5,78,80,446**	**59,91,00,525**	5,83,84,248	1,45,14,51,588
कर्मचारीवृंद उधार एवं अग्रिम	–	**23,31,230**		31,37,853
प्रतिभूति एवं प्रतिधारण राशि	**1,45,86,25,096**		1,25,15,70,949	
संदेहस्पद समझा गया	**8,85,31,569**		8,85,31,569	
	1,54,71,56,665		1,34,01,02,518	
घटाएं–संदेहस्पद और खराब वसूली के लिए अनुज्ञात	**8,85,31,569**	**1,45,86,25,096**	8,85,31,569	1,25,15,70,949
वसूलनीय अग्रिम कर/टीडीएस	**55,76,75,160**		47,93,86,274	
घटाएं–आयकर के लिए उपबंध से	**26,97,98,903**	**28,78,76,257**	26,98,33,473	20,95,52,801
अग्रिम कर (विदेशी)#		**5,19,41,323**		
एमएटी प्रत्यय (लेखांकन वर्ष 2018–19)		**28,80,365**		
अप्रत्यक्ष कर (वसूलनीय, इनपुट कर प्रत्यय, अग्रिम)		**14,79,27,724**		9,41,78,885
योग		**2,55,06,82,520**		**3,00,98,92,076**

#आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वित्त वर्ष 2017–18 के लिए संदेय आयकर 84,69,635/–रुपए (उक्त अधिनियम के सामान्य प्रबंधन के अनुसार संदेय कार) या 1,13,46,872/–रुपए, 1,13,50,000/रुपए –न्यूनतम वैकल्पिक कर अर्थात धारा 115ञख)। सामान्य का रूप बंधुओं के अधीन कर दायित्व के ऊपर न्यूनतम वैकल्पिक कर के अधीन अधिक कर दायित्व 28,80,365/–रुपए है जिसे वैकल्पिक कर न्यूनतम कर प्रत्यय के रूप में उप दर्शित किया गया है (लेखांकन वर्ष 2018–19)

इसके अतिरिक्त ओमान और श्रीलंका में संदत्त करों का प्रत्यय जो 6,04,10,958/–रुपए है को आयकर अधिनियम के सामान्य उपबंधों के अधीन संदेय आयकर तक अर्थात 84,69,635/–रुपए तक निर्बंधित कर दिया कर दिया जाएगा और अग्रिम कर (विदेश) के अधीन शेष को अर्थात 5,19,41,323/–रुपए उप दर्शित किया गया है। यद्यपि आयकर अधिकारियों के समक्ष उक्त वर्ष के लिए निर्धारण अभी आराम होना है अतः, लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन तदनुसार, जब निर्धारण पूरा होता है किया जाएगा।

टिप्पण 2.11

(रकम रुपए में)

अन्य गैर–चालू आस्तियां	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार प्राप्य				
अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत	**63,44,11,595**		59,87,67,976	
संदेहस्पद समझा गया	**6,99,39,383**		6,86,38,088	
	70,43,50,978		66,74,06,064	
घटाएं ; खराब एवं संदेहस्पद वसूलियां के लिए मोक	**6,99,39,383**	**63,44,11,595**	6,86,38,088	59,87,67,976
अन्य आस्तियां				
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय	**1,90,41,07,664**		1,85,29,56,489	
संदेहस्पद समझा गया	**11,93,73,159**		830,50,357	
	2,02,34,80,823		1,93,60,06,846	
घटाएं ; खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	**11,93,73,159**	**1,90,41,07,664**	8,30,50,357	1,85,29,56,489
योग		**2,53,85,19,259**		2,45,17,24,465

टिप्पण सं. 2.12

(रकम रुपए में)

चालू विनिधान	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
ईपीआई अर्बन इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी) के 10 रुपए के 51,000 रुपए (पूर्व वर्ष 51,000 रुपए) के प्रत्येक पूर्णतः संदत्त शेयरों में विनिधान	**5,10,000**	5,10,000
घटाएं : विनिधान के के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**5,10,000**	5,10,000
योग	—	—

टिप्पण सं. 2.13

(रकम रुपए में)

मालसूचियां	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
सामग्रियां :(लागत से निम्न या एनआरवी)		
–इस्पात	**92,61,365**	2,15,51,117
–सीमेंट	**18,62,625**	9,62,962
–पाइप तथा अन्य	**76,16,318**	1,71,39,010
योग	**1,87,40,308**	3,96,53,089

टिप्पण सं. 2.14

(रकम रुपए में)

व्यापार वसूलनीय	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
(अच्छा समझा गया अप्रत्यतभूत जो निम्नलिखित के लिए बकाया है:–		
–छह माह से कम	3,51,75,00,639	2,83,91,31,647
–छह माह से अधिक	9,34,90,650	16,29,19,663
संदेहस्पद समझा गया	–	–
	3,61,09,91,289	3,00,20,51,310
घटाएं ; खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	–	–
योग	3,61,09,91,289	3,00,20,51,310

टिप्पण सं. 2.15

(रकम रुपए में)

नकद और बैंक शेष	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
नकद और नकद के समतुल्य :				
हाथ में नकद		**2,00,309**		31,967
बैंक में शेष				
–चालू खाते में*	**99,00,57,946**		50,90,14,314	
–नियम जमा (3 माह की परिपक्वता तक)**	**2,52,07,24,210**	**3,51,07,82,156**	2,02,64,19,948	2,53,54,34,262
अन्य बैंक शेष :				
नियत जमा# (मार्जिन धन/धरोहर राशि के लिए गिरवी रखा गया)		**2,72,59,833**		6,69,44,272
नियत जमा** (3 माह से अधिक परिपक्वता के साथ किंतु 12 माह से कम)		**38,36,85,875**		37,01,67,574
योग		**3,92,19,28,173**		2,97,25,78,075

*चालू खाते में ग्राहक के निमित 49,98,89,671 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 34,37,40,648 रुपए) जमा के रूप में रखा गया है।

**चालू खाते में ग्राहक के निमित 2,75,29,18,432 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 1,94,23,94,564 रुपए) जमा के रूप में रखा गया है।

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 2,72,59,833 रुपए (पूर्व वर्ष 6,69,44,272 रुपए) की नियत आस्तियों को ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा के लेखे गिरवी रखा है जिसमें से ग्राहक को प्रस्तुत 58,29,633 रुपए विवादाधीन है, यह मामला न्यायालय में है।

टिप्पण सं. 2.16

(रकम रुपए में)

लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत अच्छा समझा गया सिवाय अन्यथा कथन के)				
कार्य के लिए अग्रिम :	–		–	
–बीजी के विरुद्ध कार्य के लिए प्राप्त किया गया अग्रिम	**1,61,87,28,799**		1,90,40,95,623	
–सामग्री के विरुद्ध प्राप्त किया गया	**13,32,90,238**		12,44,26,959	
–अन्य अग्रिम	**6,98,32,289**	**1,82,18,51,326**	5,31,36,907	2,08,16,59,489
अप्रत्यक्ष कर (वसूलनीय अप्रत्यक्ष कर प्रत्यय, अग्रिम)		**46,54,97,580**		26,21,26,376
कर्मचारीवृंद ऋण एवं अग्रिम*		**36,51,806**		32,69,173
प्राप्य प्रतिभूति प्रतिधारण एवं धरोहर धन		**76,76,85,485**		1,11,60,98,831
योग		**3,05,86,86,197**		3,46,31,53,869

*संदर्भ टिप्पण सं. 2.32(v)(ख) को निर्दिष्ट करें।

टिप्पण सं. 2.17

(रकम रुपए में)

अन्य चालू आस्तियां	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
उद्भूत ब्याज किंतु बैंक जमा में शोध्य नहीं	**3,93,16,143**	94,18,768
पूर्व संदत्त व्यय	**8,72,67,847**	7,32,13,816
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय	**1,10,21,34,755**	1,26,44,23,912
अनुषंगी कंपनी से वसूलनीय	**47,871**	69,700
राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है।	**2,13,19,28,649**	2,41,17,53,690
योग	**3,36,06,95,265**	3,75,88,79,886

टिप्पण सं. 2.18

(रकम रुपए में)

प्रचालनों से राजस्व	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
किए गए कार्य का मूल्य	**16,07,14,39,585**	16,25,89,66,185
अन्य प्रचालन आय (पूर्वावधि)	**26,58,922**	4,48,38,294
योग	**16,07,40,98,507**	16,30,38,04,479

टिप्पण सं. 2.19

(रकम रुपए में)

अन्य आय	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
निम्नलिखित से अर्जित ब्याज आयः				
बैंक में जमा	**1,28,72,589**		6,54,10,714	
कर्मचारीवृंद अग्रिम	**2,26,098**		2,82,688	
अन्य (उप–ठेकेदारों/ग्राहक/आयकर प्रतिदाय)	**6,12,87,080**	**7,43,85,767**	18,62,84,738	25,19,78,140
अन्य गैर–प्रचालन आय				
खर्च न किया गया दायित्व/बट्टे खाते में डाला गया शेष	**84,73,850**		6,63,05,184	
प्रकीर्ण आय	**1,99,51,449**		2,00,85,894	
अग्रिम एएस 7 के अनुसार संभावित हानि के लिए उपबंध को विलोम करना	**4,98,68,122**	**7,82,93,421**	–	8,63,91,078
योग		**15,26,79,188**		33,83,69,218

टिप्पण सं. 2.20

(रकम रुपए में)

प्रचालन व्यय	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
सिविल, मैकेनिकल और वैद्युत कार्य	14,89,50,69,195	14,88,32,47,368
डिजाइन और सलाहकारी प्रभार	5,84,23,775	14,04,44,790
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	5,86,83,273	7,84,46,674
लेखांकन मानक 7 के अनुसार भावी नुकसान के लिए उपबंध	–	9,58,63,976
संदत्त दावे	20,56,189	2,71,73,521
राजस्व	4,61,850	26,79,371
योग	15,01,46,94,282	15,22,78,55,700

टिप्पण सं. 2.21

(रकम रुपए में)

कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
वेतन और भत्ते#	59,48,62,128	60,49,18,444
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान $	10,85,60,788	4,75,71,130
कर्मचारी कल्याण व्यय*	8,17,92,850	12,45,72,990
योग	**78,52,15,766**	**77,70,62,564**

वेतन एवं भत्तों में 3,68,03,797 रुपए (पूर्व वर्ष 1,75,00,000 रूपए) का उपवन सम्मिलित है जो वेतन पुनरीक्षण के कारण सृजित किया गया है (3 पीआरसी)

$ इसमें भविष्य निधि न्यास के कारण 45,915 रुपए (पूर्व वर्ष 14,30,860 रुपए) के ब्याज की कमी के कारण और पूर्व अवधि से संबंधित अन्य शोध्य 36,849 रूपए सम्मिलित हैं जिनके लिए प्रतिपूर्ति कर दी गई है और उन को प्रभारित किया गया है।

* इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यय, छुट्टी नकदी करण दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय सम्मिलित हैं।

टिप्पण संख्या 2.22

(रकम रुपए में)

वित्तीय लागत	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित को संदत्त ब्याजः		
– बैंक	**39,82,232**	1,98,71,793
– अन्य	**4,45,88,132**	4,15,53,882
योग	**4,85,70,364**	6,14,25,675

टिप्पण सं. 2.23

(रकम रुपए में)

अन्य व्यय	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	84,34,043	1,08,98,123
दर और कर	59,01,778	38,41,368
डाक व्यय और दूरसंचार	1,34,97,727	1,73,88,224
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
कार्यालय	3,53,68,297	3,29,28,842
भवन	14,63,237	11,60,682
अन्य नियत आस्तियां	1,07,577	2,75,298
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	1,15,97,149	1,54,02,955
निविदा व्यय	14,75,897	18,94,626
विज्ञापन एवं प्रचार	67,36,146	93,97,251
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	3,11,38,705	1,97,86,893
संविदा पर परामर्श	50,51,458	2,28,33,111
बीमा	41,08,134	28,79,050
मनोरंजन	14,61,336	27,35,340
बैंक प्रभार	1,31,21,324	1,43,30,829
वाहन चलाना एवं अनुरक्षण	26,79,674	40,53,412
जनशक्ति विकास	1,38,182	6,29,208
आग से हानि	—	24,56,354
नियत आस्तियों की बिक्री पर हानि	1,09,501	11,412
प्रायोक्ता फीस	1,15,000	4,19,550
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (घरेलू)$	6,75,27,190	8,15,38,624
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (विदेश)	46,16,831	49,04,647
सीएसआर एवं भरणीयता*	48,000	16,74,900
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक@	16,65,163	18,32,339
कारबार संवर्धन	4,99,03,818	1,19,88,445
कार्यालय भाटक#	1,14,19,024	1,08,91,270
कम्प्यूटर व्यय	41,87,130	28,45,894
सदस्यता एवं अंशदान फीस	3,07,762	6,75,490
फाइलिंग एवं रजिस्ट्रीकरण फीस	37,555	3,51,688
संदेहस्पद ऋणों, उधारों एवं अग्रिमों के लिए	4,13,01,295	8,00,00,000
संदेहस्पद वसूली के लिए बट्टे खाते में डाली गई रकम	29,46,497	5,20,52,059
अनुषंगी कंपनी में विनिधान के लिए उपबंध	—	5,10,000
विदेशी मुद्रा में परिवर्तन (लाभ)/हानि	(1,11,33,710)	81,94,404
प्रकीर्ण व्यय	1,13,78,641	99,25,913
योग	**32,67,10,361**	**43,07,08,201**

$ यात्रा और अन्य अनुषंगी व्ययों में स्थल पर कठोर जीवनयापन व्यय के 80,62,540 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 99,73,325 रुपए) और निदेशकों के यात्रा व्यय 21,17,309/–रुपए (पूर्व वर्ष 25,41,656/–रूपए)

* कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने के सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर 1,81,000 रुपए (पूर्व वर्षों के बजट से अग्रणीत रकम) को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान संनिर्माण/आस्तियों के अर्जन से भिन्न प्रयोजनों पर वास्तविक रूप में खर्च की गई रकम 48,000 रूपए है

वर्ष के लिए रद्द करने योग्य पट्टों के अधीन पट्टा भाटक व्यय 1,14,19,024 रूपए (पूर्व वर्ष 1,08,91,270 रूपए) प्रभारित किया गया है

@लेखा परीक्षकों को संदाय के ब्यौरे:

(रकम रुपए में)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
लेखापरीक्षा फीस	**12,59,375**	14,19,108
कर लेखापरीक्षा	**2,93,088**	3,32,981
अन्य सेवाएं (प्रमाणन फीस)	**1,02,600**	17,250
अन्य लागत	**10,100**	63,000
योग	**16,65,163**	**18,32,339**

जिसमें जीएसटी सम्मलित नहीं है (पूर्व वर्ष के आंकडों में सेवा कर सम्मलित है)

टिप्पण सं. 2.24

(रकम रुपए में)

पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
आय		
प्रचालन आय	–	(8,92,62,864)
अन्य आय	–	14,03,508
घटाएं : व्यय		
प्रचालन व्यय	**1,66,92,000**	1,42,140
कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	–	–
अवक्षयण	–	–
अन्य	**22,95,494**	15,88,617
योग	**(1,89,87,494)**	**(8,95,90,113)**

टिप्पण सं. 2.25

(रकम रुपए में)

	आकस्मिक दायित्व	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
1	**विधिक और माध्यस्थम की बावत**		
क	अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए रकम तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके।*	**3,40,41,18,879**	2,82,72,18,879
ख	उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है।*	**18,33,39,791**	18,33,39,791
2	विवाद/अपीलों के अधीन पूरे किए गए निर्धारणों के संबंध में विक्रय कर/संकर्म संविदा कर/सेवा कर की मांग के संबंध में।	**47,85,53,255**	41,76, 35,124

* पूर्वोक्त के विरूद्ध कंपनी के प्रतिस्थानी दावे हैं

टिप्पण सं. 2.26

ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे अमूर्त आस्तियों के विकास के लिए निष्पादित शेष संविदाओं की आकलित रकम 64,05,196 रुपए (पूर्व वर्ष 98,33,923 रुपए), है, जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है, और वर्ष 2017–18 में इस निमित्त 21,80,159 रुपए की रकम का पूंजीकरण किया गया है।

टिप्पण सं. 2.27

विदेशी मुद्रा में व्यय :

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.18 को समाप्त वर्ष	31.03.17 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालन व्यय	**7,38,58,20,302**	5,19,20,37,224
2	व्यावसायिक एवं सलाह प्रभार	**1,56,89,866**	3,24,99,613
3	विदेशी मुद्रा में फेरफार नुकसान	**77,779**	80,26,085
4	नियत आस्तियों का क्रय	**2,00,991**	4,60,327
5	**प्रशासनिक एवं अन्य व्यय**	–	
क	यात्रा	**1,12,29,660**	1,24,31,158
ख	निविदा व्यय	**38,916**	–
ग	अन्य	**5,14,23,150**	6,23,24,255
	योग	**7,46,44,80,664**	5,30,77,78,662

विदेशी मुद्रा में अर्जनः

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.18 को समाप्त वर्ष	31.03.17 को समाप्त वर्ष
1	संकर्म प्राप्तियां	7,95,44,96,532	5,50,97,22,070
2	ब्याज से आय	6,74,734	1,54,25,660
3	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन से लाभ	1,07,21,332	
4	अन्य	40,15,006	2,48,349
	योग	**7,96,99,07,604**	**5,52,53,96,078**

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान ओमान से प्राप्त अधिक्य 43,01,98,234 रुपए जो 66,90,000 अमरीकी डालरों के बराबर है (पूर्ववर्ती वर्ष 4,66,05,473 रूपए जो 700,000 अमरीकी डालरों के बराबर है)।

टिप्पण 2.28

क) कंपनी ने बैंकों से बिना किसी प्रतिभूति के 7,13,75,06,067 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 6,90,40,20,131 रुपए) की गैर–निधि आधारित प्रत्यय सीमा ली है। इसके अंतर्गत ईपीआई–सीएंडसी–जेवी द्वारा मयांमार में परियोजना के निष्पादन के लिए 75.90 करोड रुपए सम्मलित हैं, इसके अंतर्गत अग्रणी भागीदार अर्थात् सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54 करोड रुपए और स्वयं के निमित्त में 30.36 करोड रुपए की रकम सम्मलित है।

ख) ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54 करोड रुपए में 10.06 करोड रुपए की रकम प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के स्थान पर प्राप्त किया गया है।

टिप्पण सं. 2.29

लेखांकन मानक 17 के अनुसार प्रकटन

कंपनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तदनुसार, खंड सूचना नीचे दिए अनुसार है:

प्रारंभिक खंड सूचना (भौगोलिक)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	चालू वर्ष				पूर्व वर्ष			
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग
कारोबार की किस्म	संनिर्माण				संनिर्माण			
प्रचालनों से राजस्व	8,11,96,01,975	7,95,44,96,532	–	16,07,40,98,507	10,79,40,82,409	5,50,97,22,070	–	16,30,38,04,479
अन्य–आय	13,45,89,467	46,89,740	1,33,99,981	15,26,79,188	26,80,61,285	1,56,74,009	5,46,33,924	33,83,69,218
कुल आय	**8,25,41,91,442**	**7,95,91,86,272**	**1,33,99,981**	**16,22,67,77,695**	**11,06,2143,694**	**5,52,53,96,079**	**5,46,33,924**	**16,64,21,73,697**
परिणाम								
अवक्षयण, ब्याज और कर से पूर्व आय	7,48,85,635	42,11,63,853	(41,48,79,697)	8,11,69,791	28,54,83,949	3,38,76,972	(20,24,03,802)	11,69,57,119
ब्याज	4,46,16,614	3,350	39,50,400	4,85,70,364	4,15,53,882	2,84,876	1,95,86,917	6,14,25,675
अवक्षयण	63,46,411	7,69,907	83,51,557	1,54,67,875	61,61,040	8,30,461	73,66,452	1,43,57,953
प्रचालन को जारी रखने से कर से पूर्व ब्याज	2,39,22,610	42,03,90,596	(42,71,81,653)	1,71,31,553	23,77,69,027	3,27,61,636	(22,93,57,172)	4,11,73,491
प्रचालन को जारी रखने से कर के पश्चात लाभ	2,39,22,610	35,99,79,638	(38,25,48,352)	13,53,896	23,77,69,027	19,51,6,958	(23,03,40,540)	2,69,45,445
मूर्त और अमूर्त आस्तियों में वर्धन	60,27,382	2,00,991	59,44,581	1,21,72,954	47,93,897	1,79,321	1,16,99,365	16,672,583
अन्य सूचना	**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार**				**31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार**			
कुल आस्तियां	11,60,32,84,923	5,43,25,60,618	2,27,91,49,334	19,31,49,94,875	11,94,79,66,336	5,77,21,24,813	1,24,63,32,505	18,96,64,23,654
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर (अग्रणीत रकम)	3,26,75,756	41,22,197	5,91,15,572	9,59,13,525	3,31,77,510	46,91,114	6,15,60,964	9,94,29,588
कुल दायित्व	11,02,31,28,763	5,49,86,49,817	48,65,32,922	17,00,83,11,502	10,48,51,06,128	5,74,80,09,011	42,79,79,038	16,66,10,94,177

टिप्पण सं. 2.30

लेखांकन मानक 7, 'संनिर्माण संविदाएं' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटन:

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
1	प्रचालनों से राजस्व	16,07,40,98,507	16,30,38,04,479
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	97,90,36,11,580	83,19,09,42,372
3	प्राप्त अग्रिम	5,77,25,91,404	6,06,15,62,259
4	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों से शोध्य, समग्र रकम – जिसे आस्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है	2,13,19,28,649	2,41,17,53,690
5	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों को शोध्य समग्र रकम – जिसे दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है (अग्रिम राजस्व से कार्य)	79,09,83,769	61,35,86,476
6	प्राप्य प्रतिधारण धन	1,84,77,37,062	2,00,17,54,652

प्रबंधन ने निर्धारण किया है और पाया है कि आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकन मानक–7 के अनुसार किसी परियोजना में भावी हानि के लेखे किसी नए उपबंध को सृजित करने की अपेक्षा नहीं है। यद्यपि पूर्व वर्षों में संभावित हानि के लिए के गए 4,98,68,122 रुपए के उपबंध को विलोम कर दिया गया है।

टिप्पण सं. 2.31

लेखांकन मानक 15 की अपेक्षाओं के अनुसरण में कर्मचारी फायदों का ब्यौरा

i) परिभाषित फायदा बाध्यता में परिवर्तन

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
छूट की दर	7.85% (7.36%)	7.85% (7.36%)	7.85% (7.36%)	7.85% (7.36%)	7.85% (7.36%)
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर/प्रीमियम मुद्रास्फीति/ यात्रा लागत	5.00%	5.00%	–	0.50%	3.00%
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	7.85% (7.36%)	–	–	–	–
सेवानिवृत्ति आयु*	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु सारणी*	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	सेवानिवृत्ति पूर्व आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट सेवानिवृत्ति पश्चः एलआईसी (1996–98) यूएलटी	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट
प्रति जोड़े की दर से औसत प्रतिदाय	–	–	–	51561 रुपए	–
	–	–	–	(55772 रुपए)	–
आयु*	कर्मचारी कारोबार (%)				
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
44 से ऊपर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

*पूर्व वर्ष के समान

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घावधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	12,83,38,870 (13,74,34,160)	13,47,23,447 (13,22,99,042)	44,87,540 (51,49,456)	18,46,51,434 (17,03,64,891)	7,84,605 (2,72,939)
चालू सेवा लागत	84,03,139 (95,35,956)	80,48,040 (78,19,249)	3,27,967 (3,42,385)	71,36,293 (84,67,205)	55,879 (49,674)
ब्याज लागत	95,17,860 (1,01,73,508)	95,03,991 (99,48,344)	3,24,496 (3,84,157)	1,34,85,962 (1,32,93,629)	54,994 (21,450)
बीमा (लाभ)/हानि	(12,14,116) ((52,10,630))	88,58,597 (1,73,26,262)	(15,48,254) (3,41,214)	(47,12,548) (1,80,29,962)	(5,71,385) (5,80,261)
अर्जन समायोजन	– –	– –	– –	– –	– –
संदत्त फायदा	(1,76,56,355) ((2,35,94,124))	(3,19,47,158) ((3,26,69,450))	(5,25,474) ((17,29,672))	(2,45,05,516) ((2,55,04,253))	(27,215) ((1,39,719))
पूर्व सेवा लागत	6,00,14,564				
वर्ष के अंत में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	18,74,03,962 (12,83,38,870)	12,91,86,917 (13,47,23,447)	30,66,275 (44,87,540)	17,60,55,625 (18,46,51,434)	2,96,878 (7,84,605)

ii) योजना आस्तियां के न्यायोचित मूल्य में परिवर्तन (उपदान)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	2017–18 (वित्तपोषित)	2016–17 (वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	12,40,12,636	12,98,03,738
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	84,77,577	93,34,328
बीमा अभिदाय	43,26,234	76,30,422
बीमा लाभ/(हानियां)	4,41,352	8,38,272
संदत्त फायदे	(1,76,56,355)	(2,35,94,124)
अर्जन समायोजन	–	–
अवधि के अंत में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	1 1,96,01,444	1 2,40,12,636

iii) तुलनपत्र में मान्यता दी गई

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	18,74,03,962 (12,83,38,870)	12,91,86,917 (13,47,23,447)	30,66,275 (44,87,540)	17,60,55,625 (18,46,51,434)	2,96,878 (7,84,605)
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	11,96,01,444 (12,40,12,636)	– –	– –	– –	– –
वित्तपोषित प्रास्थिति आस्ति / (दायित्व)	(6,78,02,518) ((43,26,234))	(12,91,86,917) ((13,47,23,447))	(30,66,275) ((44,87,540))	(17,60,55,625) ((18,46,51,434))	(2,96,878) ((7,84,605))
तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई शुद्ध (दायित्व) / आस्तियां	(6,78,02,518) ((43,26,234))	(12,91,86,917) ((13,47,23,447))	(30,66,275) ((44,87,540))	(17,60,55,625) ((18,46,51,434))	(2,96,878) ((7,84,605))

iv) लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दिए गए व्यय

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	84,03,139 *(95,35,956)*	80,48,040 *(78,19,249)*	3,27,967 *(3,42,385)*	71,36,293 *(84,67,205)*	55,879 *(49,674)*
ब्याज की लागत	95,17,860 *(1,01,73,508)*	95,03,991 *(99,48,344)*	3,24,496 *(3,84,157)*	1,34,85,962 *(1,32,93,629)*	54,994 *(21,450)*
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	(84,77,577) *((93,34,328))*	- -	- -	- -	- -
अवधि में मान्यता दिया गया शुद्ध बीमा (लाभ) / हानि	(16,55,468) *((60,48,902))*	88,58,597 *(1,73,26,262)*	(15,48,254) *(3,41,214)*	(47,12,548) *(1,80,29,962)*	(5,71,385) *(5,80,261)*
पूर्व सेवा लागत	*6,00,14,564* -	- -	- -	- -	- -
लाभ और हानि लेखे में मान्यता दिए गए कुल व्यय	6,78,02,518 *(43,26,234)*	2,64,10,628 *(3,50,93,855)*	(8,95,791) *(10,67,756)*	1,59,09,707 *(3,97,90,796)*	(4,60,512) *(6,51,385)*

पूर्ववर्ती वर्ष के अंकों को इटैलिक्स एवं कोष्ठकों में उपदर्शित किया गया है (*)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–उपदान

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टिया	31.03.14	31.03.15	31.03.16	31.03.17	31.03.18
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	14,53,80,147	13,98,97,910	13,74,34,160	12,83,38,870	18,74,03,962
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति	14,49,94,542	13,54,84,798	12,98,03,738	12,40,12,636	11,96,01,444
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	(3,85,605)	(44,13,112)	(76,30,422)	(43,26,234)	(6,78,02,518)
घ)	योजना दायित्वों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	(3,85,605)	(44,13,112)	(76,30,422)	(43,26,234)	(6,78,02,518)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा –दीर्घ सेवा पुरस्कार

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टिया	31.03.14	31.03.15	31.03.16	31.03.17	31.03.18
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	66,73,650	61,76,600	51,49,456	44,87,540	30,66,275
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	(66,73,650)	(61,76,600)	(51,49,456)	(44,87,540)	(30,66,275)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व) /आस्ति	(66,73,650)	(61,76,600)	(51,49,456)	(44,87,540)	(30,66,275)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–सेवानिवृत्त पश्च चिकित्सा फायदा

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टिया	31.03.14	31.03.15	31.03.16	31.03.17	31.03.18
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	12,29,72,341	12,87,94,211	1 7,03,64,891	1 8,46,51,434	17,60,55,625
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	(12,29,72,341)	(12,87,94,244)	(17,03,64,891)	(18,46,51,434)	(17,60,55,625)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व) /आस्ति	(12,29,72,341)	(12,87,94,211)	(17,03,64,891)	(18,46,51,434)	(17,60,55,625)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी नकदीकरण

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.14	31.03.15	31.03.16	31.03.17	31.03.18
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	12,49,11,989	12,80,71,143	1 3,22,99,042	1 3,47,23,447	12,91,86,917
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	(12,49,11,989)	(12,80,71,143)	(13,22,99,042)	(13,47,23,447)	(12,91,86,917)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति	(12,49,11,989)	(12,80,71,143)	(13,22,99,042)	(13,47,23,447)	(12,91,86,917)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी यात्रा रियायत

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.14	31.03.15	31.03.16	31.03.17	31.03.18
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	–		2,72,939	7,84,605	2,96,878
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य					
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति			(2,72,939)	(7,84,605)	(2,96,878)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति			(2,72,939)	(7,84,605)	(2,96,878)

कंपनी, लेखांकन मानक 15 के उपबंधों के अनुसार उपदान, दीर्घ अवधि प्रति पूरित अनुपस्थिति, पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदा, दीर्घ सेवा पुरस्कार और बीमाकंन के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात एक बार यात्रा भत्ता प्रदान करती है

टिप्पण सं.2.32

संबंधित पक्षकार प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 18, ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नामों के साथ प्रबंधन द्वारा पहचाने गए और प्रमाणित संव्यवहार की समग्र रकम और वर्ष के अंत में शेष निम्नानुसार दिया गया है

i) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री एन शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग को 15 जून 2017 से प्रारंभ में 3 माह की अवधि के लिए सौंपा गया है, जिसका समय समय पर विस्तार किया गया है और नवीनतम आदेशों के अनुसार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ईपीआईएल के अतिरिक्त प्रभार को 15 मार्च 2018 से 6 माह की अवधि या श्री एसपीएस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ईपीआईएल के विरुद्ध अनुशासन एक कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने या अग्रिम आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है। श्री एन शिवानंद, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) को निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार भारी उद्योग विभाग द्वारा 1 जुलाई 2018 से 3 माह की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति या अग्रिम आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सौंपा गया है।

ii) प्रमुख प्रबंध कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार किया गया था :

- श्री लेखराज, निदेशक (वित्त), 13 अप्रैल 2017 से
- श्री एसपीएस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (20 मार्च 2017 से निलंबित)
- श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं) (30 जून 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त)
- श्री सुशांत बालिगा, अंशकालिक, गैर शासकीय निदेशक
- डॉ. अनिता चौधरी, अंशकालिक, गैर शासकीय निदेशक
- श्रीमती सुधा वेंकटा वरदन, कंपनी सचिव

iii) ईपीआईएल अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को ईपीआईएल की अनुषंगी के रूप में 19 मई 2016 को निगमित किया गया।

प्रारंभ में श्री एसपीएस बक्शी (इस समय ईपीआई से निलंबन के अधीन), श्री वीनू गोपाल (ईपीआई से अधिवर्षिता के उपरांत सेवानिवृत्त और 30 जून 2018 से अंशकालिक निदेशक नहीं रहे) और श्री सुशांत बालिगा को अंशकालिक निदेशक के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। बोर्ड ने 25 जुलाई 2017 को आयोजित अपनी बैठक में श्री एन शिवानंद, जो ईपीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं को ईपीआईयूआईडीएल के निदेशक बोर्ड में अंशकालिक निदेशक नाम निर्दिष्ट किया है।

श्री कपिल तारा, कार्यकारी निदेशक (डबल्यूआरओ), ईपीआई (इस समय ईपीआई से निलंबन के अधीन है) को अंशकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (केएमपी) नामनिर्देशित किया गया था और श्रीमती सुधा वैंकटा वरदन सीएस (ईपीआई) को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी में अंशकालिक सीएस नामनिर्देशित किया गया है

अनुषंगी कंपनी के साथ व्यौहारों का ब्यौरा

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	प्रकृति
अति शेष (प्राप्य रकम) {क}	69,700	–	नामे
अनुषंगी के निमित्त व्ययों की प्रतिपूर्ति {ख}	84,231	69,700	नामे
अनुषंगी से प्राप्त रकम{ग}	1,06,060	–	जमा
इति शेष (वसूलनीय रकम) {घ} (घ = क + ख –ग)	47,871	69,700	नामे

iv) 2 अगस्त, 2017 को ईपीआई–सीएंडसी "संयुक्त उद्यम" (अनिगमित), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा–से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) म्यांमार के किन राज्य में 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर जिसमें सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 60% हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का 40% हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा।

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच कोई संव्यवहार नहीं किया गया। ईपीआई के कार्य के भाग के लिए जिसे "अन्य अग्रिम" के अधीन टिप्पण संख्या 2.16 में सम्मिलित किया गया है, विभिन्न पक्षकारों को 4,49,586 रुपए का अग्रिम दिया गया था।

v) कारबार के सामान्य प्रक्रम मैं संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए थे।

निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	2017–18	2016–17
वेतन*	**77,16,181**	54,51,159
भविष्य निधि में अंशदान	**4,55,722**	5,10,407
मकान किराया	**10,58,632**	10,62,000
चिकित्सा व्यय	**3,11,063**	3,56,988
बैठक फीस	**4,40,000**	5,25,000

क) * इसमें वित्त वर्ष 2014–15 और 2015–16 से संबंधित 5.96 लाख रुपए का पीआरपी भुगतान सम्मिलित है जिसको वर्ष 2017–18 में संदत्त किया गया था। इसमें निलंबन के अधीन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को संदत्त निर्वाह भत्ता भी सम्मिलित है।

ख) श्री लेखराज, निदेशक (वित्त) द्वारा एनटीपीसी (श्री लेखराज का एनटीपीसी से धारणाधिकार है) से लिए गए ऋण/अग्रिम रुपए 4,04,435 के दायित्व को ईपीआई को अंतरित कर दिया गया है जिसमें से 2,30,000 रुपए को वर्ष 2017–18 के दौरान उनके वेतन से वसूल लिया गया है,। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार वसूल किए जाने के लिए शेष राशि 1,74,435 रुपए है।

ग) श्री एन शिवानंद, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) कंपनी में नियोजित नहीं है और इसलिए वर्ष 2017–18 के दौरान उन्हें किसी वेतन/भत्ते का संदाय नहीं किया गया है।

टिप्पण सं. 2.33

संनिर्माण सामग्री के स्टॉक के मात्रात्मक ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

विशिष्टियां	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए)
सीमेंट	**376**	**18,62,625**	163	9,62,962
इस्पात	224	92,61,365	1,044	2,15,51,117
इस्पात पाइप	**26,390 (आरएमटी)**	**76,16,318**	54,023 (आरएमटी)	1,71,39,010

टिप्पण सं. 2.34

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के विनिश्चय के अनुसार इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड के सामरिक विनिवेश की वैसे ही केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के माध्यम से अर्जन द्वारा प्रक्रिया प्रगति पर है।

टिप्पण सं. 2.35

''उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां'' पर लेखांकन मानक–29 के अधीन प्रकटनः

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	अतिशेष	वर्ष के दौरान किया गया उपबंध	वर्ष के दौरान संदत्त/ समायोजित	बट्टे खाते में डाले गए उपबंध	इतिशेष
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)=(ii+iii+iv-v)
परियोजना आकस्मिकताएं*	29,86,04,263	4,13,01,295	–	41,81,001	33,57,24,557
कर्मचारी फायदा	32,89,73,260	10,87,66,550	6,13,31,597	–	37,64,08,213
वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी)	1,75,00,000	3,68,03,797	–	–	5,43,03,797
योग	**64,50,77,523**	**18,68,71,642**	**6,13,31,597**	**41,81,001**	**76,64,36,567**
पूर्ववर्ती वर्ष	67,68,92,942	17,84,30,026	19,78,45,956	1,23,99,489	64,50,77,523

* परियोजना आधार पर प्राप्य रकम के लिए किया गया उपबंध (संदेय रकम को छोडकर)

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अनुसार परिसमापक द्वारा ईपीआई के यूबी इंजीनियरिंग लिमिटेड (यूबीईएल) पर दावों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान 31 मार्च 2017 तक किए गए आठ करोड रुपए के उपबंध के अतिरिक्त 4 करोड रुपए का उपबंध किया गया (31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 12 करोड रुपए का कुल उपबंध) इसे प्रबंधन द्वारा विद्यावान स्थिति में युक्तियुक्त माना गया है और इसके लिए लेखा वहियों मैं उपबंध किया गया है जिसे पूर्वोक्त के अनुसार 16 करोड रुपए (निबल संदेय) के विरोध परियोजना आकस्मिकताओं के अधीन शामिल किया गया है।

टिप्पण सं. 2.36

प्रबंधन ने निर्धारण किया है और पाया कि नियत आस्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कोई उपबंध करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण सं. 2.37

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने के सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर 1,81,000 रुपए (पूर्व वर्षों के बजट से अग्रणीत रकम) को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान वास्तविक रूप में खर्च की गई रकम नीचे दिए अनुसार हैः

विशिष्टियां	नकद में	नकद में अभी संदत्त किया जाना है	योग
किसी आस्ति का संनिर्माण/अर्जन	–	–	–
पूर्वोक्ति (i) से भिन्न प्रयोजनों पर	48,000	–	48,000

टिप्पण सं. 2.38

प्रति शेयर आधारिक और कम किए गए अर्जन की संगणना कर के पश्चोात लाभ 13,53,896 रुपए (पूर्व वर्ष 2,69,45,445 रुपए) को 3,54,22,688 के 10/–रुपए प्रत्येक पूर्णतः संदत्त साम्या शेयरों को विभाजित करके की जाती है।

	2017–18	2016–17
प्रति शेयर आधारिक और कम किया गया अर्जन (रुपए)	**0.04**	0.76

टिप्पण सं. 2.39

19 मई 2016 को ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी को "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल)" के रूप 10 लाख रुपए की संदत्त पूंजी से निगमित किया गया था, जो ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर द्वारा 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा 10% के साथ भूमि पार्सलों आदि के विकास के लिए मिलकर बनी है।

अनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पहले निदेशकों से मिलकर बनने वाला अंतरिम बोर्ड का अनुमोदन है, को सरकार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसी बीच सरकार ने डीपीआई के सामरिक अविनिधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी कंपनी की विरचना का समर्थन नहीं किया, ईपीआई ने ईपीआईयूआईडीएल के समापन के लिए स्वैच्छिक समापन/परीसमापन के लिए ईपीआईयूआईडीएल के शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन रहते हुए मंजूरी दे दी और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि स्वैच्छिक परीसमापन के लिए 20 दिसंबर 2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की पहली वार्षिक साधारण बैठक में बीयूआईडीपीएल सहमत नहीं हुआ। ईपीआई के अपने शेयरों का अन्य दो शेयरधारकों को प्रस्ताव करने के पश्चातवर्ती प्रयास सफल नहीं हुए थे। ईपीआई के बोर्ड समापन/प्रस्थान के लिए अन्य विकल्पों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मिलने का विनिश्चय किया। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अनुषंगी कंपनी में 5,10,000/–रुपए के विनिधान के लिए 100 प्रतिशत उपबंध किया गया है।

टिप्पण सं. 2.40

ईपीआई के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध सीबीआई ने तीन मामले रजिस्टर किए हैं और प्राथमिकी रजिस्टर की हैं। जिनमें से दो मामले वर्ष 2017–18 और एक मामला वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान दर्ज किया गया है। यह मामले ईपीआई के कुछ कर्मचारियों द्वारा निविदा प्रदान करने के लिए अवैध लाभ के आरोप में हें। ईपीआई को प्राथमिकी में एक पक्षकार नहीं बनाया गया है। इससे उसके वित्तीय विवरणों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं है।

यद्यपि, आज की तारीख तक पूर्वोक्त मामले में जांच अभी जारी है।

टिप्पण सं. 2.41

राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड (एनडब्ल्यूएसडीबी), श्री लंका (ग्राहक) ने चीनी निर्माता/पूर्तिकार द्वारा ईपीआईएल को प्रदान की गई ववुनिया जल आपूर्ति स्कीम के लिए पूर्ति किए गए एचडीपीई पाइपों को उनकी खराब क्वालिटी के कारण अस्वीकार कर दिया और ईपीआईएल को अच्छी क्वालिटी के पाइपों से बदलने के लिए कहा। ईपीआईएल ने चीनी पूर्तिकार को भुगतान जारी कर दिया था, यद्यपि ईपीआईएल को करार के निबंधनों के अनुसार एनडब्ल्यूएसडीबी से भुगतान (96 प्रतिशत) मिल गया। 18.78 करोड रुपए की समतुल्य रकम का दावा विनिर्माता के विरुद्ध माध्यस्थम मैं 31 अक्टूबर 2016 को विरुद्ध किया गया है। माध्यस्थ ने 29 जनवरी 2018 को लगभग 17. 25 करोड रुपए का पंचाट ईपीआईएल को प्रदान किया और अब ईपीआईएल कोलंबो वाणिज्यिक उच्च न्यायालय में माध्यस्थम को डिक्री में परिवर्तित

करने के लिए और चीनी विनिर्माता (जियांगसू कुयानलोंग, न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड) के विरुद्ध उसे लागू करने के लिए अग्रसर हो गई है। और स्वीकार किए गए पाइपों को बदलने के कारण संभावित हानि के लिए 3.98 करोड़ (पाइपों के अवशिष्ट मूल्य पर विचार करते हुए) रुपए को वित्त वर्ष 2016–17 मैं गणना में लिया गया है और इस संबंध में किसी और हानि की संभावना नहीं है।

टिप्पण सं. 2.42

व्यापार प्राप्य, उधार एवं अग्रिम, ग्राहकों से अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्राप्य/संदेय प्रतिभूति जमा और व्यापार संदेय पुष्टि और मिलान के अधीन हैं। प्रबंधन की राय में इनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

टिप्पण सं. 2.43

प्रबंधन की राय में, कारबार के साधारण प्रक्रम में वसूली होने पर चालू आस्तियों का मूल्य तुलन पत्र में कथित से कम नहीं होगा।

टिप्पण सं. 2.44

पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनः वर्गीकरण, पुनःसमुहीकरण किया गया है और उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/समुहीकरण से पुष्टि करने के लिए उन्हें पुनःकास्ट किया गया है

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
(सी.ए बी. महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24 अगस्त, 2018

ह0/– (लेख राज) निदेशक (वित्त) डीआईएन07794894	ह0/– (एन. शिवानंद) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त. प्रभार) डीआईएन07852689
ह0/– (एन के शर्मा) कार्यकारी निदेशक (वित्त)	ह0/– (सुधा वी. वरदन) कंपनी सचिव

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्य,

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्सर (इंडिया) लिमिटेड **(''जिसे इसमें इसके पश्चात नियंत्रक कंपनी कहा गया है'')** और उसकी अनुषंगी (नियंत्रक और अनुषंगी कंपनी दोनों को इसमें इसके पश्चात "समूह कहा गया है") और संयुक्त रूप से नियंत्रित उसके अस्तित्व के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है, जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकारक सूचना से मिलकर बना है (जिसे इसमें इसके पश्चात समेकित वित्तीय विवरण कहा गया है)।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुति करने के संबंध में उत्तरदायी है जो समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित उसके अस्तित्व की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों जिसके अंतर्गत कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक हैं, के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कंपनियों का संबंधित निदेशक बोर्ड जिसे समूह में शामिल किया गया है और संयुक्त रूप से नियंत्रित अस्तित्व कंपनी की आस्तियों का सुरक्षापायों और कपट का तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण; समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; ऐसे निर्णय और आकलन करना जो युक्ति युक्त तथा प्रबुद्ध हों; तथा समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयारी से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सुसंगत हैं जो लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता का सुनिश्चिति करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का है। हमने अधिनियम के उपबंधों को, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और अन्य मामलों को जिन्हें अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन किए गए आदेश के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की अपेक्षा है को गणना में लिया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस तथ्य का युक्ति युक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में रकमों और प्रकटनों के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्ति करने के लिए

प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित होता है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणियों में तात्विक मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण करना भी है चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश। इन जोखिमों निर्धारणों को करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणियों को जो तैयार करने और उचित प्रस्तुति से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सके जो परिस्थितियों में समुचित हैं किन्तु इस प्रयोजन के लिए अपनी राय प्रकट करने के लिए नहीं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय रिपोर्टिंग पर है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता क्यां है। किसी लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता के साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और यथोचित आधार प्रस्तुत करता है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अन्य क्षेत्रों की वित्तीय विवरणों पर दी गई रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणियां अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी उस रीति में प्रदान करती हैं जैसाकि अपेक्षित है और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी की और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसके लाभ और रोकड़ प्रवाह की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करती है।

मामले का बल

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं

1. उत्तरी क्षेत्र में और प्रत्ययभूत व्यापार प्राप्य जिन्हें अच्छा समझा गया है में सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य ग्राहकों से 1830.17 लाख (संदर्भ टिप्पण सं. 2.11 को निर्दिष्ट करें) रुपए की बकाया रकम, बंद की गई परियोजनाओं के संबंध में जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया है शोध्य है, इसमें मुकदमेबाजी/माध्यस्थम/निगम दिवाला के अधीन 1507.89 लाख रुपए सम्मिलित है।

   इसके अतिरिक्त, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अनुसार परिसमापक द्वारा यूबी इंजीनियरिंग लिमिटेड पर ईपीआई के दावों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2018 तक 12 करोड रुपए का उपबंध किया गया है जिसके अंतर्गत 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 16 करोड रुपए के बकाया (संदेय शेष शुद्ध) (संदर्भ टिप्पण संख्या 2.35 को निर्दिष्ट करें) के लिए 4 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है।

   प्रबंधन की दृष्टि में शेष बकाया को अच्छा माना गया है और यह वसूलनीय हैं।

2. "संदेहस्पद ऋणों/सुधारों और अग्रिम"–उपबंध पर लेखांकन नीति संख्या 1.10 की ओर तथा संदेहस्पद ऋणों/सुधारों और अग्रिम"–का उपबंध पर प्रबंधन द्वारा मामले के पूर्व अनुभव/प्रगति/निर्धारण के आधार पर 10 वर्ष से अधिक के लिए बकाया शोध्यों की दशा में परियोजना के आधार पर शुद्ध वसूलनीय रकम के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, ग्राहक का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्रतिभूति जमा, व्यापार संदेय का शेष और अन्य पक्ष कार पुष्टि/मिलान की शर्त के अधीन है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कंपनी मुख्यतः सरकारी पक्षकारों के साथ व्यवहार कर रही है। हमारी राय में पुष्टि करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है (संदर्भ टिप्पण संख्या 2.42 को निर्दिष्ट करें)

4. टिप्पण संख्या 2.7 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, कंपनी ने आकलन के आधार पर वेतन पुनरीक्षण के लेखे (तीसरा पीआरसी) 3,68,03,797 रुपए (पूर्व वर्ष 1,75,00,000 रुपए) का उपबंध किया है और इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन आना शेष है।

5. भारतीय कर दायित्व पर संदत्त विदेशी कर दायित्व के लिए 5,19,41,323 रुपए की अग्रणीत अधिक्य रकम के संबंध में टिप्पण संख्या 2.10 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है वित्त वर्ष 2017–18 का निर्धारण अभी आरंभ होना है अतः जब और जैसे निर्धारण पूरा होता है, लेखाबहियों में आवश्यक समायोजन कर लिया जाएगा।

6. टिप्पण संख्या 2.40 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा तीन मामले रजिस्टर करने और कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा निविदा देने के लिए अवैध प्रलोभन लेने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का वर्णन करता है। इस संबंध में अभी जांच चालू है।

पूर्वोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय अर्हित नहीं है।

अन्य मामले

क) हमने निम्नलिखित अनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित अस्तित्व के निम्नलिखित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार नीचे दिए गए विवरण को उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कुल राजस्व और शुद्ध नकद प्रवाह जिस परिमाण तक वह समेकित वित्तीय विवरणों में उपदर्शित किए गए हैं, उप दर्शित करती है,

अस्तित्व का नाम	आस्तियां (रु0 में)	कुल राजस्व (रु0 में)	शुद्ध नकद प्रवाह (रु0 में)
अनुषंगी			
ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	6,15,601 (12,34,533)	 (–)	(–)3,84,284 (9,99,885)
संयुक्त रूप से नियंत्रित अस्तित्व			
ईपीआई–सीएंडसी संयुक्त उद्यम* (अनिगमित)			
योग	**6,15,601** **(12,34,533)**	 (–)	**(–)3,84,284** **(9,99,885)**

* संयुक्त रूप से नियंत्रित अस्तित्व 2 अगस्त 2017 को बनाया गया

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को कोष्ठक () मैं दिया गया है

इस वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की गई है और यह हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहां तक उसका संबंध इन अनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित समुत्थानों के संबंध में प्रकट प्रकट की गई रकमों और प्रकटन से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की (3) के निबंधनों में हमारी रिपोर्ट जहां तक उसका संबंध पूर्वक अनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित समुत्थान से है एकमात्र रूप से इन लेखा परीक्षा ना की गई वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना इस समूह के लिए तात्विक नहीं है।

ख) समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 1,66,409 रुपए (पूर्व वर्ष में 54,048 रुपए की हानि) सम्मिलित है जैसा कि अनुषंगी ईपीआई अरविंद इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। अनुषंगी कंपनी अपनी निगमन तारीख 19 मई 2016 से ही प्रचालन नहीं कर रही है और इसलिए लाभ और हानि के समेकित विवरण में शुद्ध हानि को "प्रचालन को जारी ना रखने से हानि" के रूप में उप दर्शित किया गया है। तथापि नियंत्रक कंपनी (ईपीआईएल) में अपने एक कल वित्तीय विवरणों में अनुषंगी में विनिधान के मूल्य में कमी के लिए पूर्ण उपबंध किया है। (संदर्भ टिप्पण संख्या 2.39 को निर्दिष्ट करें)

उपरोक्त विषयों के संबंध में प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों और अन्य सूचना पर हमारी विश्वसनीयता के संबंध में समेकित विवरणों पर हमारी राय उपांतरित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर तथा पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने पर, जैसा कि 'अन्य विषय पैरा' में नोट किया गया है, हम लागू होने के परिमाण तक रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में जहां तक लेखा बहियों की जांच से प्रतीत होता है, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं।

   (ग) हमारी राय में इस रिपोर्ट में व्यौहार किया गया समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण तथा समेकित नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   (घ) हमारी राय में पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   (ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि 463(अ) तारीख 5 जून 2015 के निबंधनों में निदेशकों की निर्हरता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं

   (च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता पर ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के लिए **उपाबंध "क"** पर हमारी पृथक्क रिपोर्ट को निर्दिष्ट करें।

   (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय और हमारी इस सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार "अन्य विषय" पैरा में ऊपर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव के सिवाय हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

      i. कंपनी ने 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का उसकी वित्तीय प्रस्थिति पर अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया है –वित्तीय विवरणों पर संदर्भ टिप्पण सं. 2.25 को निर्दिष्ट करें।

      ii. कंपनी ने लागू विधि या लेखांकन मानकों के अधीन यथा–अपेक्षित उपबंध दीर्घावधि संविदाओं जिसके अंतर्गत व्युत्पन संविदाएं हैं, पर पहले से ही पता लगाए जा सकने वाले तात्विक

नुकसान, यदि कोई हो, के लिए उपबंध किया है।

iii. ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसको विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करने की अपेक्षा थी।

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
(सी.ए भुवनेश महेशवरी,)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 अगस्त 2018

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम संख्या तारीख का स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध–क

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की धारा 3 के खंड (i)के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ओं पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्सन (इंडिया) लिमिटेड **(''नियंत्रक कंपनी'')** और उसकी अनुषंगी कंपनी अर्थात् **ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड** (नियंत्रक और अनुषंगी कंपनी दोनों को इसमें इसके पश्चात "समूह कहा गया है") और संयुक्त रूप से नियंत्रित उसके अस्तित्व **(ईपीआई–सीएंडसी "संयुक्त उद्यम")** के 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा और समूह तथा उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित अस्तित्व की उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा परीक्षा कर ली है।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का दायित्व

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत में कथित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए नियंत्रक कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनी जो भारत में निर्मित कंपनियां हैं का निदेशक बोर्ड आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने के लिए और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदाई है। इस उत्तरदायित्व में ऐसे पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुरक्षण सम्मिलित है जो कारबार का सुचारू और दक्ष संचालन करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसके अंतर्गत नियंत्रक कंपनी की नीतियों का पालन करना, उसकी आस्तियों के सुरक्षापाय करना, कपट और त्रुटियों का निवारण करना और उनका पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षा अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्वा

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का है। हमने अधिनियम के उपबंधों को, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और अन्य मामलों को जिन्हें अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन किए गए आदेश के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की अपेक्षा है को गणना में लिया है। हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस तथ्य का युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्ते करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में रकमों और प्रकटनों के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित होता है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणियों में तात्विक मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण करना भी है चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश। इन जोखिमों निर्धारणों को करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणियों को जो तैयार करने और उचित प्रस्तुति से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सके जो परिस्थितियों में समुचित हैं किन्तु इस प्रयोजन के लिए अपनी राय प्रकट करने के लिए नहीं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय रिपोर्टिंग पर है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता क्यां है। किसी लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता के साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्तक लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और यथोचित आधार प्रस्तुत करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कपूर्ण आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है और बाहरी प्रयोजनों के लिए विवरण साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वह नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो,–

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो युक्तियुक्त विवरण, शुद्धता, और न्यायोचित रूप से कंपनी के संव्यवहार और कार्यों को परिलक्षित करते हैं,

(2) इस बात का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को वैसे ही अभिलिखित किया जा रहा है जैसा साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किया जा रहा है ; और

(3) कंपनी की आस्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या निपटान को निवारित करने या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रणों पर अध्यारोही प्रभाव हो सकता है, त्रुटि या कपट के कारण तात्विक मिथ्या कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में या नीतियों या प्रक्रियाओं में अनुपालना के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो जाए।

मत

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड जिसकी स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए" कंपनी में सभी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। तथापि हमने नोट किया है कि–

क) शेष की पुष्टि अभिप्राप्त करने और पक्षकारों के साथ मिलान करने की प्रक्रिया में कतिपय सुधार करने की आवश्यकता है।

ख) आंतरिक लेखा परीक्षा में निविदाकरण प्रक्रिया को कवर करने में सुधार की आवश्यकता है। निविदा प्रदान करने के लिए अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने के संबंध में तीन मामले रजिस्टर किए गए हैं। विवरण के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बिंदु संख्या 6 तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के टिप्पण संख्या 2.40 को देखें।

ग) परियोजना/आरओ/सीडी/की लेखा बहियों तक पहुंच और उनके संपादन के अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित या डॉक्युमेंटेड नहीं है।

घ) बीजकों को लेखाबहियों में अभिलिखित करने की प्रक्रिया और चालू बिलों से अग्रिम, ऋण टिप्पण, क्रेडिट नोट को समायोजित करने में कतिपय सुधार की आवश्यकता है।

ङ) लेखा परीक्षा के पूरा होने से पहले वित्त वर्ष के लिए किसी भी समय पिछली तारीख में प्रविष्टियां डाली जा सकती हैं। सैप प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता है।

अन्य विषय

अधिनियम की धारा 143(3)(i)के अधीन पूर्व उक्त रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावशीलता के प्रचालन की प्रभावशीलता के संबंध में नियंत्रक कंपनी की सूचना सम्मिलित है। इसमें अनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित समुत्थान के विषय में ऐसी सूचना सम्मिलित नहीं है जिसकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है जिसका समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित समुत्थान के लिए प्रभाव तात्विक नहीं है।

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
(सी.ए भुवनेश महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 अगस्त 2018

समेकित तुलनपत्र 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
I.	**साम्या और दायित्व**					
1	शेयरधारकों की निधियां :					
	क) शेयर पूंजी	2.1	35,42,26,880		35,42,26,880	
	ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	1,95,27,36,036	2,30,69,62,916	1,95,15,58,549	2,30,57,85,429
2	गैर नियंत्रण ब्याज			2,78,187		4,38,071
3	गैर चालू दायित्व					
	क) अन्य दीर्घावधि दायित्व	2.3	4,07,40,44,815		4,69,77,27,097	
	ख) दीर्घावधि उपबंध	2.4	27,45,41,026	4,34,85,85,841	29,48,24,002	4,99,25,51,099
4	चालू दायित्व					
	क) व्यापार संदेय	2.5				
	i) एमएसएमई को देय		57,61,885		–	
	ii) अन्य को देय		4,94,51,86,136		4,66,23,65,459	
	ख) अन्य, चालू दायित्व	2.6	7,44,65,45,543		6,84,56,90,517	
	ग) लघु अवधि उपबंध	2.7	26,22,42,097	12,65,97,35,661	16,07,57,912	11,66,88,13,888
	योग			**19,31,55,62,605**		**18,96,75,88,487**
II.	**आस्तियां**					
1	गैर–चालू आस्तियां					
	क) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	2.8(i)	8,98,72,952		9,42,19,531	
	ख) अमूर्त आस्तियां	2.8 (ii)	60,40,573		52,10,057	
	ग) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	2.9	15,88,38,339		16,90,61,296	
	घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	2.10	2,55,06,82,520		3,00,98,92,076	
	ड.) अन्य गैर–चालू आस्तियां	2.11	2,53,85,19,259	5,34,39,53,643	2,45,17,24,465	5,73,01,07,425
2	चालू आस्तियां		–		–	
	क) माल सूचियां	2.12	1,87,40,308		3,96,53,089	
	ख) व्यापार प्राप्या	2.13	3,61,09,91,289		3,00,20,51,310	
	ग) नकद और बैंक शेष	2.14	3,92,25,43,774		2,97,35,77,960	
	घ) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	2.15	3,05,86,86,197		3,46,31,53,869	
	ड.) अन्य चालू आस्तियां	2.16	3,36,06,47,394	13,97,16,08,962	3,75,90,44,834	13,23,74,81,062
	योग			**19,31,55,62,605**		**18,96,75,88,487**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां लेखाओं पर टिप्पणियां	1 2.1 से 2.45				

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

यह हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
(सी.ए बी. महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24 अगस्त, 2018

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(एन. शिवानंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07852689

ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव

लाभ और हानि का समेकित विवरण 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	विवरण	टिप्पण संख्या	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व	2.17	16,07,40,98,507	16,30,38,04,479
II.	अन्य आय	2.18	15,26,79,188	33,83,69,218
III.	कुल आय (I+II)		16,22,67,77,695	16,64,21,73,697
IV.	व्यय :			
	प्रचालन व्यय	2.19	15,01,46,94,282	15,22,78,55,700
	कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदा	2.20	78,52,15,766	77,70,62,564
	वित्तीय लागतें	2.21	4,85,70,364	6,14,25,675
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	2.8 (i &ii)	1,54,67,875	1,43,57,953
	अन्य व्यय	2.22	32,67,20,361	43,01,98,201
	कुल व्यय		16,19,06,68,648	16,51,09,00,093
V.	अपवादी और असाधारण मदों से पूर्व लाभ और कर (III-IV)		3,61,09,047	13,12,73,604
VI.	अपवादी मदें		—	—
VII.	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (V-VI)		3,61,09,047	13,12,73,604
VIII.	असाधारण मदें		—	—
IX.	पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)	2.23	1,89,87,494	8,95,90,113
X	कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII-IX)		1,71,21,553	4,16,83,491
XI	कर व्यय			
	चालू कर	2.10	1,13,50,000	6,29,06,269
	मैट प्रत्यय हकदारी		(28,80,365)	—
	अस्थगित कर		1,02,22,957	(5,97,17,171)
	पहले के वर्षों के लिए कर		(29,14,935)	1,10,38,948
XII.	प्रचालनों को जारी रखने से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (X-XI)		13,43,896	2,74,55,445
XIII.	प्रचालनों को जारी न रखने से लाभ/(हानि)		(3,26,293)	(1,05,977)
XIV.	जारी न रखे गए प्रचालनों का कर व्यय		—	—
XV.	प्रचालनों को जारी न रखने से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (XII-XIV)		(3,26,293)	(1,05,977)
XVI.	अल्पसंख्यक ब्याज के भाग से पूर्व वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (XII-XV)		10,17,603	2,73,49,468
XVII.	अनुषंगी के लाभ/(हानि) में अल्पसंख्यक ब्याज का भाग		(1,59,884)	(51,929)
XVIII	अनुषंगी के लाभ/(हानि) में अल्पसंख्यक ब्याज भाग के पश्चात् वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (XVI-XVII)		11,77,487	2,74,01,397
XIX.	प्रति शेयर अर्जन (आधारी एवं तनुकृत)	2.38	0.03	0.77
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां लेखाओं पर टिप्पणियां	1 2.1 से 2.45		

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

यह हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एन. शिवानंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07852689

ह0/–
(सी.ए बी. महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व प्रचालनों को जारी रखने से शुद्ध लाभ	1,71,21,553	4,16,83,491
प्रचालनों को जारी न रखने से लाभ/(हानि) के लिए समायोजन	(3,26,293)	(1,05,977)
जारी न रखे प्रचालनों को समायोजित करने के पश्चात कर पूर्व शुद्ध लाभ	1,67,95,260	4,15,77,514
निम्नलिखित के लिए समयोजन		
अवक्षयण और अपाकरण	1,57,02,523	1,44,16,615
आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (शुद्ध)	1,09,501	24,67,767
नियत जमा पर ब्याज	(1,28,72,589)	(6,54,10,713)
विदेशी मुद्रा में विनिमय परिवर्तन का प्रभाव		
नकद एवं नकद समतुल्य		
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**1,97,34,695**	**(69,48,817)**
माल सूचियों में कमी (वृद्धि)	2,09,12,781	4,58,86,480
बिल न बनाए गए राजस्व में कमी (वृद्धि)	27,98,25,041	91,97,67,817
विभिन्न लेनदारों में (वृद्धि) कमी	(68,55,11,814)	(151,47,21,470)
धारणाधिकार के अधीन नियत जमा में कमी वृद्धि	3,96,84,440	(19,51,993)
ऋणों एवं अग्रिम में कमी (वृद्धि)	83,45,36,889	(1,78,85,85,000)
चालू देनदारियों एवं उपबंधों में (वृद्धि)/कमी	52,43,31,980	2,35,67,99,141
प्रचालनों से सृजित रोकड़	**1,03,35,14,011**	**1,02,46,158**
आय–कर	(1,57,77,657)	(6,50,02,344)
प्रचालनों कार्यकलापों से शुद्ध नकद	**1,01,77,36,354**	**(5,47,56,186)**
विनिधान कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
स्थिर आस्तियों का क्रय/संनिर्माण	(1,21,72,954)	(1,66,72,583)
आस्तियों के विक्रय से आगम	1,11,640	37,884
ब्याज आय	(1,70,24,787)	10,69,54,280
विनिधान कार्यकलापों से शुद्ध नकद	**(2,90,86,101)**	**9,03,19,581**
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
संदत्त लाभांश	–	(10,71,54,689)
संदत्त लाभांश कर	–	(2,23,11,061)
वित्तीय कार्यकलापों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद	–	**(12,94,65,750)**
विदेशी मुद्रा में विनिमय के मद्दे विनिमय परिवर्तन का प्रभाव		
नकद एवं नकद समतुयि		
नकद एवं नकद समतुल्य शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**98,86,50,253**	**(9,39,02,355)**
वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य	2,90,66,33,688	3,00,10,46,043
वर्ष के अंत में नकद एवं एवं नकद समतुल्य	3,89,52,83,941	2,90,66,33,688
नकद और नकद समतुल्य का मिलान		
हाथ में चैक (टिप्पण संख्या 2.14 को निर्दिष्ट करें)	2,00,309	31,967
परिवहन में में विप्रेषण	–	–
चालू खातों में बैंक के पास शेष (संदर्भ टिप्पण संख्या 2.14 को निर्दिष्ट करें)	99,06,73,547	51,00,14,199
अन्य बैंक में नियत शेष जमा (टिप्पण संख्या 2.14 को निर्दिष्ट करें)	2,90,44,10,085	2,39,65,87,522
नकद एवं नकद समतुल्य	**3,89,52,83,941**	**2,90,66,33,688**
जोड़ें जमा खातों में शेष (गिरवी रखा हुआ)	2,72,59,833	6,69,44,272
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	**3,92,25,43,774**	**2,97,35,77,960**

टिप्पणः

1. नकद एवं नकद समतुल्य, में नकद और बैंकों में शेष सम्मिलित है जिसके अंतर्गत धारानाधिकार/मार्जिन नियत जमा को छोड़कर नियत जमा और लिक्वड विनिधान है।

2. पूर्वक रोकड़ प्रवाह विवरणी को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक ए एस–3 " नकद प्रवाह विवरणी" के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।

3. नकद एवं नकद समतुल्य में नकद और अन्य बैंक शेष और बैंकों के पास जमा सम्मिलित है।

4. पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहीकरण किया गया है और जहां आवश्यक हो उन्हें पुनः दिया गया है।

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

यह हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एन. शिवानंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07852689

ह0/–
(सी.ए बी. महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24 अगस्त, 2018

एकल वित्तीय विवरणियों के टिप्पण (31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

I. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार

(क) वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन वास्तविक अर्जन के आधार पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं और उन्हें कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अंगीकार की गई लेखांकन नीतियां सिवाय निम्नलिखित के, पूर्व वर्ष के लिए अनुपालन की गई के अनुसार हैं:

(ख) सभी आस्तियों और दायित्वों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिकथित अनुसूची–III के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। प्रचालनों की प्रकृति और उस समय जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है। कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्तियां और दायित्वों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए 12 माह में रखा है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करना अपेक्षा करता है कि प्रबंधन आकलन और पूर्वधारणा करे कि जो आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करें और वित्तीय विवरण की तारीख को और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई है। तथापि यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है, वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हों से भिन्न हो सकते हैं, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3. राजस्व को मान्यता

(क) संविदा राजस्व को उस स्तर तक मान्यता दी गई है जहां तक आर्थिक फायदे कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। राजस्व को संकर्म की समग्र लागत और संपूर्ण करने की विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए समानुपात मार्जिन को जोड़कर मान्यता दी गई है। संपूर्ण करने के प्रतिशत का अवधारण संविदा की कुल प्राक्कलित लागत की तारीख तक उपगत समानुपाती लागत का अवधारण करके किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु माप नहीं किया गया/भागतः निष्पादित कार्य को इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के आधार पर गणना में लिया जाता है, ऐसी गणना से उदभूत प्रविष्टियों को उत्तरवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तदनुसार, वास्तविक प्राप्ति/जारी किए गए बीजकों/दावों को जारी करने के समय कानूनी बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

(ग) परियोजनाओं के समयपूर्व बंद करने/समाप्ति करने की दशा में राजस्व को उस संविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्यता दी जाती है।

(घ) सलाहकारी सेवाओं से राजस्व को समानुपातिक पूर्ण करना विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है। उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है मान्यता को संग्रहण करने के समय तक स्थागित कर दिया जाता है।

(ड.) उन संविदाओं की दशा में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

(च) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त संकर्म का उपबंध किया जाता है, माध्यस्थम पंचाटों से उदभूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(छ) विवाद/बातचीत और असंदेह/अप्राप्य नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में संविदाकारी बाध्यताओं से उदभूत नुकसानों को अंतिम निपटान तक गणना में नहीं लिया जाता है।

(ज) संविदा को लेखांकन प्रयोजनों के लिए अंतिम बिलिंग, चालू करने के प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने, पूर्व समापन और/या क्षमापन इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त माना जाता है।

(झ) बकाया रकम और लागू दर को गणना में लेते हुए ब्याज आय को समय समानुपात में मान्यता दी जाती है।

(झ) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहस्पद समझा जाता है, उदभूत होने के आधार पर मान्यतता दी जाती है।

4. मालसूची

(i) सामग्रियां

(क) संनिर्माण सामग्रियां, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखे विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में गणना में लिया जाता है।

(ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्यं संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल हैं और उनकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

(ii) चालू कार्य

चालू संनिर्माण कार्य का मूल्यांकन ऐसे समय तक लागत के आधार पर किया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणियों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाता है :

i) राजस्व मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की सुसंगत वित्त वर्ष के प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को विद्यमान मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर–धनीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

iii) अवक्षयण को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जाता है जिसपर अवक्षयण की संगणना की गई है।

iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

v) धनीय मदें (आस्तियां और दायित्व) तथा आकस्मिक दायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप शुद्ध विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का लागत पर वसूलनीय कर, व्यापार बट्टा रिवेट घटा संचित अवक्षयण और नुकसान की हानियां, यदि हो को घटाकर कथन किया जाता है। इस लागत में खरीद कीमत, उधार लेने की लागत और कोई ऐसी लागत सम्मिलित है जो सीधे आस्तियों को उनकी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए आशयित इस्तेमाल के लिए संबंधित है, विदेशी मुद्रा में शुद्ध परिवर्तन, संविदा और समायोजन जो विनिमय दर में फेरफार से उत्पन्न होते हैं वह आस्ती के लेखे डाले जाते हैं।

पश्चातवर्ती लागतों को आस्ति की वहन रकम में सम्मिलित किया जाता है या पृथक आस्ति के रूप में उस को मान्यता दी जाती है, जैसा भी समुचित हो, ऐसा केवल तब किया जाता है जब इस बात की संभावना हो की मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदे निकाय को प्रभाहित होंगे और लागत का विश्वसनीय रूप से अंकन किया जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण कि संगणना सीधी रेखा के आधार पर आस्ति के उपयोगी जीवन पर आधारित होती है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार दर्शाया जाता है और आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान 95% लागत को बट्टे खाते में डाला जाता है।

7. अवक्षयण :

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अवक्षयण की संगणना आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95% लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ख) आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर उदभूत अवक्षयण की निम्नलिखित दरों को अंगीकृत किया गया है।

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	अवक्षयण की दर
1	भवन (कारखाना भवन से भिन्न) आरसीसी फ्रेम ढांचा (एनईएसडी)	1.58%
2	अन्य अस्थायी संनिर्माण (जिसके अंतर्गत अस्थायी ढांचा आदि हैं (एनईएसडी)	31.67%
3	सिविल संनिर्माण में उपयुक्त संयंत्र मशीनरी	
3(क)(i)	कंक्रीटकरण, क्रशिंग, पाइलिंग उपस्कर और सड़क बनाने की मशीन	7.92%
3(क)(ii)(क)	100 टन से अधिक क्षमता की क्रेनें	4.75%
3(क)(iii) (ख)	100 टन से कम क्षमता की क्रेनें	6.33%
3(क)(iii)	मृदा परिचालन उपस्कर	10.56%
3(क)(iv)	अन्य जिसके अंतर्गत सामग्री हथालन/पाइपलाइन/बैल्डिंग उपस्कर (एनईएसडी)	7.92%
4	साधारण फर्नीचर और सज्जा (एनईएसडी)	9.50%

5	कार्यालय उपस्कर (एनईएसडी)	19%
6	कम्प्यूटर और डाटा प्रसंस्करण इकाइयां (एनईएसडी)	
6(क)	सर्वर और नेटवर्क	15.83%
6(ख)	'अंतिम उपयोगकर्ता इकाइयां जैसे डैस्कटॉप, लैपटॉप, साफ्टवेयर जिसके अंतर्गत उपयोक्ता अनुज्ञप्ति फीस, अन्य अमूर्त आस्तियां आदि हैं	31.67%
7. 7(क) 7(ख)	मोटरयान (एनईएसडी) मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड मोटर बस, मोटर लॉरी और भाटक पर उन्हें चलाने के कारबार से भिन्न मोटर कारें	 9.50% 11.88%

सिवाय उन आस्तियों के संबंध में जिनके लिए कोई अतिरिक्त शिफ्ट अवक्षयण (एनईएसडी) अनुज्ञात नहीं है जैसाकि उपदर्शित किया गया है, यदि किसी आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय दोहरी शिफ्ट के लिए किया जाता है तो अवक्षयण उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा और तिहरी शिफ्ट के लिए अवक्षयण की संगणना उस अवधि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

(ग) 5,000 रुपए या उससे कम लागत की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और मोबाइल फोन का क्रय वर्ष में पूर्णतः अवक्षयण किया जाता है।

(घ) पट्टाधृत भवन का अपाकरण पट्टे की अवधि के दौरान या विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान या उसकी संगणना कंपनी द्वारा अंगीकृत दरों पर की जाती है, इनमें से जो भी लघु हो। परपेच्युअल पट्टे के अधीन धृत भूमि का अपाकरण नहीं किया जा रहा है और उसे लागत के आधार पर अग्रनीत किया जाता है।

8. कर्मचारी फायदे

(i) लघु अवधि कर्मचारी फायदों को वर्ष के जिसमें संबंधित सेवा दी गई है के लाभ और हानि विवरण में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी फायदों को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरण में जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी है एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि फायदों के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

9. उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

उपबंधों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण तुलनपत्र की तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाता है और चालू सर्वोत्तम आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक फायदों को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की संभावना सुदूर न हो। आकस्मिक दायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है।

10. संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए उपबंध

भारत सरकार के विभागों और पीएसई ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या माध्यस्थम अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पाद ऋणों/उधारों और अग्रिमों से परियोजना के आधार पर शुद्ध प्राप्ति के लिए के लिए प्रबंधन के अनुभव/निर्धारण/पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक उपबंध किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो।

11. खंड रिपोर्टिंग

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कंपनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12. आस्तियों का क्षीण हो जाना

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की आस्तियां चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि आस्तियां क्षीण हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कंपनी आस्तियों की वसूलनीय रकम का आकलन करती है। यदि आस्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी आस्ति है से वसूली योग्य रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही रकम को वसूलीय रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनःनिर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तदनुसार, लाभ और हानि लेखे में उसे विलोमतः कर दिया जाता है।

13. कराधान

वर्ष में कर के लिए उपबंध में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख के उपबंधों के अनुसरण में संगणित संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन शामिल हैं और अस्थगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चातवर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

आस्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त। निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी अस्थगित कर आस्तियों के विरूद्ध उपलब्धि होगी जिसको वसूला जा सकेगा। अग्रनीत हानियों और अवशोषित अक्षयण के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भावी करादेय आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी अस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

कर विधियों के अनुसार संदत्ती न्यूनतम वैकल्पिकि कर (एमएटी), जो भावी आय–कर दायित्वू के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक फायदे देता है को एक आस्ति माना जाता है यदि इस बात का विश्वसनीय साक्ष्य हो कि

कंपनी भविष्य में अपना साधारण कर संदत्त करेगी। कंपनी इसका प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनरीक्षण करती है और उस सीमा तक एमएटी प्रत्यय पात्रता की अग्रनीत रकम को लिखती है जिस सीमा तक इस बात का और विश्वासदायक साक्ष्य नहीं है कि कंपनी उस प्रत्यय का उपयोग विनिर्दिष्ट अवधि में करने में सफल होगी।

14. पट्टा

प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को मान्यता व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर दी जाती है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों (अधिरोपणीय करों की कटौती करने के पश्चात) से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16. पूर्वावधि मदें और पूर्व संदत्त व्यय

पूर्वावधि से संबंधित व्यय/आय और पूर्व संदत्त व्यय जो प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए से अधिक नहीं हैं का चालू वर्ष के व्यय/आय के रूप में उपचार किया जाता है।

टिप्पण सं. 2.1

(रकम रुपए में)

शेयर पूंजी	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत		
10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 909404600 साम्या शेयर	**9,09,40,46,000**	9,09,40,46,000
(पूर्व वर्ष 10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)		
जारी अंशधृत और पूर्णतया संदत्त		
10/-रुपए के प्रत्येक 3,54,22,688 साम्या शेयर		
(पूर्व वर्ष 10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)	**35,42,26,880**	35,42,26,880
योग	**35,42,26,880**	35,42,26,880

टिप्पण 2.1 (क़)

बकाया शेयरों की संख्या का पुनः समायोजन	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
	संख्या	संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	**3,54,22,688**	3,54,22,688
वर्ष के अंत में	**3,54,22,688**	3,54,22,688

टिप्पण 2.1 (ख)

5% से अधिक प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धृत शेयरों की संख्या	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति
भारत का राष्ट्रपति	**3,54,15,677**	**99.98**	3,54,15,677	99.98

टिप्पण सं. 2.2

(रकम रुपए में)

आरक्षित एवं अधिशेष	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
क) पूंजी आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में और अंत में शेष	**2,10,020**	2,10,020
ख) साधारण आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**21,15,00,000**	21,15,00,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान वर्धन*	—	—
वर्ष के अंत में शेष	**21,15,00,000**	21,15,00,000
ग) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1,73,98,48,529**	1,71,24,47,132
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**11,77,487**	2,74,01,397
	—	—
घटाएं : संदत्त लाभांश*	—	—
घटाएं : लाभांश वितरण कर*	—	—
वर्ष के अंत में शेष	**1,74,10,26,016**	1,73,98,48,529
योग(क+ख+ग)	**1,95,27,36,036**	1,95,15,58,549

*कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (लेखांकन मानक) ने संशोधन नियम 2016 (सा. का.नि 364(अ) तारीख 30 मार्च 2016 को अधिसूचित करते हुए लेखांकन मानक (एएस) 4 आकस्मिक्ताएं और तुलन पत्र तारीख के पश्चात होने वाली घटनाएं को संशोधित किया है। संशोधित लेखांकन मानक एएस 4 उपबंध करता है कि यदि लाभांश की घोषणा तुलन पत्र की तारीख के पश्चात की जाती है तब ऐसे लाभांश को तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस तारीख को कोई बाध्यता विद्यमान नहीं थी।

यद्यपि, ईपीआई ने विनिधान और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) को अपर्याप्त वितरण योग्य लाभांश के कारण वित्त वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिए लाभांश का संदाय करने से छूट प्रदान करने का आवेदन किया है।

जैसा कि डीआईपीएम के साथ चर्चा की गई है उन्होंने वित्त वर्ष 2016–17 और वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लाभांश का संदाय करने से छूट प्रदान कर दी है और यह अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है।

टिप्पण सं. 2.3

(रकम रुपए में)

अन्य दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम *	–	–
– अन्य	**1,03,93,53,069**	1,04,25,71,767
अन्य दायित्व,		
– प्रतिभूति जमा प्रतिधारण एवं प्रतिधारण धन#	**2,16,46,49,278**	1,91,86,72,232
– ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	**83,91,54,599**	1,72,41,29,572
– ग्राहक को संदेय अन्य	**3,08,87,869**	1,23,53,526
योग	**4,07,40,44,815**	4,69,77,27,097

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के अधीन कवर किए गए निकायों से शोध्य रकम जैसाकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में दिया गया है, की इन निकायों से प्राप्त पुष्टियों के अनुसार और कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के परिमाण तक जांच कर ली गई है। वर्ष के दौरान इन पहचाने गए निकायों को 45 दिन से अधिक के लिए संदेय कोई रकम नहीं पाई गई है।

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54 करोड रुपए में 10.06 करोड रुपए की रकम सम्मलित है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के स्थान पर प्राप्त किया गया है।

टिप्पण सं. 2.4

(रकम रुपए में)

दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
कर्मचारी फायदा :		
–छुट्टी नकदीकरण	**10,79,13,131**	11,54,89,137
–दीर्घ सेवा पुरस्कार	**23,82,554**	40,02,326
–पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**16,39,97,811**	17,46,78,634
–पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**2,47,530**	6,53,905
योग	**27,45,41,026**	29,48,24,002

टिप्पण सं. 2.5

(रकम रुपए में)

व्यापार संदेय	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम*	**57,61,885**	-
– अन्य	**4,94,51,86,136**	4,66,23,65,459
योग	**4,95,09,48,021**	4,66,23,65,459

* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के अधीन कवर किए गए निकायों से शोध्य रकम जैसाकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में दिया गया है, की इन निकायों से प्राप्त पुष्टियों के अनुसार और कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के परिमाण तक जांच कर ली गई है। वर्ष के दौरान इन पहचाने गए निकायों को 45 दिन से अधिक के लिए संदेय कोई रकम नहीं पाई गई है।

टिप्पण सं. 2.6

(रकम रुपए में)

अन्य चालू दायित्व	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
ग्राहकों से अग्रिम	**4,93,34,36,805**	4,33,74,32,687
संदेय प्रतिभूति, प्रतिधारण और जमा	**1,28,24,61,874**	1,46,14,15,056
बकाया दायित्व$	**4,47,82,826**	13,63,87,675
अन्य को संदेय रकम	**9,19,82,646**	8,37,83,891
संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व	**79,09,83,769**	61,35,86,476
कर्मचारियों को संदेय*	**1,16,57,987**	3,45,92,495
कानूनी दायित्व	**29,12,39,636**	17,84,92,237
योग	**7,44,65,45,543**	6,84,56,90,517

*31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन की 44,64,159 रुपए (पूर्व वर्ष 2,99,83,663 रुपए) की रकम कतिपय कर्मचारियों को जारी करने के लिए लंबित है।

$ इसके अंतर्गत अनुषंगी कंपनी ईपीआई अर्बन इंफ्रा डवलेपर्स लिमिटेड से संबंधित शून्य रूपए (पूर्व वर्ष 2,70,810 रुपए) और ईपीआई सी एंड सी जे वी से संबंधित 10,000 (पूर्व वर्ष शून्य रूपए) सम्मिलित हैं।

टिप्पण सं. 2.7

(रकम रुपए में)

लघु अवधि उपबंध	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
संभावित हानि के लिए उपबंध (भारतीय लेखांकन मानक 7 के अनुसार))	**4,56,60,155**	9,58,63,976
आयकर के लिए उपबंध (विदेशी)	**6,04,10,958**	1,32,44,678
वेतन पुनरीक्षण के लिए उपबंध (3पीआरसी)#	**5,43,03,797**	1,75,00,000
कर्मचारी फायदा		
–छुट्टी नकदीकरण	**2,12,73,786**	1,92,34,310
–उपदान	**6,78,02,518**	43,26,234
–दीर्घ सेवा पुरस्कार	**6,83,721**	4,85,214
–पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**1,20,57,814**	99,72,800
–पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**49,348**	1,30,700
योग	**26,22,42,097**	16,07,57,912

#1 जनवरी 2017 से वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी) के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में वर्ष 2017–18 के दौरान लेखा बहियों में प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन रहते हुए 3,68,03,797 (पूर्व वर्ष 1,75,00,000) रुपए का उपबंध किया गया है। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार संचित उपबंध 5,43,03,797 रुपए (पूर्व वर्ष 1,75,00,000 रुपए 31 मार्च 2017) है

टिप्पण सं. 2.8 (i)

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयत्र और उपस्कर विवरण

(रकम रुपए में)

विवरण	समग्र खंड				अवक्षयण अपाकरण				शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के दौरान	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर										
फ्री होल्ड भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टा धृत भूमि	16,15,856	–	–	**16,15,856**	2,99,470	16,322	–	**3,15,792**	**13,00,064**	13,16,386
भवन फ्री होल्ड	46,87,325	–	–	**46,87,325**	25,76,808	1,09,118	–	**26,85,926**	**20,01,399**	21,10,517
पट्टा धृत भवन*	6,67,12,979	–	–	**6,67,12,979**	2,39,24,739	12,76,931	–	**2,52,01,670**	**4,15,11,309**	4,27,88,240
कम्प्यूटर और उपस्कर	4,65,65,927	32,31,422	11,96,497	**4,86,00,852**	3,89,16,887	32,12,854	11,19,785	**4,10,09,956**	**75,90,896**	76,49,040
कार्यालय और अन्य उपस्कर	2,39,46,198	18,96,022	7,82,495	**2,50,59,725**	1,68,64,034	29,96,742	7,46,947	**1,91,13,829**	**59,45,896**	70,82,164
संनिर्माण उपस्कर	6,41,37,221	–	14,96,577	**6,26,40,644**	4,44,95,807	18,58,776	14,21,748	**4,49,32,835**	**1,77,07,809**	1,96,41,414
फर्नीचर एवं सज्जा	2,50,21,481	28,13,179	6,14,965	**2,72,19,695**	1,48,90,585	19,52,170	5,94,596	**1,62,48,159**	**1,09,71,536**	1,01,30,896
वाहन	74,21,984	–	–	**74,21,984**	39,21,110	6,56,831	–	**45,77,941**	**28,44,043**	35,00,874
योग	**24,01,08,971**	**79,40,623**	**40,90,534**	**24,39,59,060**	**14,58,89,440**	**1,20,79,744**	**38,83,076**	**15,40,86,108**	**8,98,72,952**	**9,42,19,531**
पूर्व वर्ष	**23,01,65,832**	**1,53,55,551**	**54,12,412**	**24,01,08,971**	**13,69,79,361**	**1,18,19,061**	**29,08,982**	**14,58,89,440**	**9,42,19,531**	

*स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख में 3,74,41,925 रुपए (पूर्व वर्ष 3,74,41,925 रुपए) की लागत पर कंपनी के नाम से निष्पादन के लिए नियत आस्तियां लंबित हैं।

टिप्पण सं. 2.8(ii)

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां

(रकम रुपए में)

विवरण	समग्र खंड				अवक्षयण अपाकरण				शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के दौरान	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
अमूर्त आस्तियां										
सॉफ्टवेयर (अर्जित)	1,38,03,752	42,32,331	2,39,926	1,77,96,157	85,93,695	33,88,131	2,26,242	1,17,55,584	60,40,573	52,10,057
योग	1,38,03,752	42,32,331	2,39,926	1,77,96,157	85,93,695	33,88,131	2,26,242	1,17,55,584	60,40,573	52,10,057
पूर्व वर्ष	1,25,31,167	13,17,032	44,447	1,38,03,752	60,97,026	25,38,892	42,223	85,93,695	52,10,057	–

टिप्पण सं. 2.9

(रकम रुपए में)

आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)*	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
नियत आस्तियों पर अवक्षयण	**(83,36,100)**	(95,88,486)
संदेहस्पद ऋणों के लिए उपबंध	**11,20,78,286**	10,33,40,963
कर्मचारी फायदे के लिए उपबंध (एएस–15)	**3,98,46,958**	4,20,99,368
अन्य जो अनुज्ञात नहीं किया गया	**1,52,49,195**	3,32,09,451
योग	**15,88,38,339**	16,90,61,296

* डीटीए की संगणना करने के लिए उपायोजित कर दर 33.384% है (आय–कर 30%, अतिभार 7%, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% है।

टिप्पण सं. 2.10

(रकम रुपए में)

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिम :				
–बीजी के विरुद्ध लिया गया स्थलीकरण अग्रिम	**43,65,66,985**		1,24,31,73,537	
–सामग्री के विरुद्ध लिया गया	**–**		44,44,549	
–अन्य अग्रिम	**16,25,33,540**		20,38,33,502	
अन्य अग्रिम जिन्हें संदेहस्पद समझा गया	**5,78,80,446**		5,83,84,248	
	65,69,80,971		1,50,98,35,836	
घटाएं –संदेहस्पद और खराब अग्रिम के लिए उपबंध	**5,78,80,446**	**59,91,00,525**	5,83,84,248	1,45,14,51,588
कर्मचारीवृंद उधार एवं अग्रिम		**23,31,230**		31,37,853
प्रतिभूति एवं प्रतिधारण राशि	**1,45,86,25,096**		1,25,15,70,949	
संदेहस्पद समझा गया	**8,85,31,569**		8,85,31,569	
	1,54,71,56,665		1,34,01,02,518	
घटाएं–संदेहस्पद और खराब वसूली के लिए अनुज्ञात	**8,85,31,569**	**1,45,86,25,096**	8,85,31,569	1,25,15,70,949
वसूलनीय अग्रिम कर/टीडीएस	**55,76,75,160**		47,93,86,274	
घटाएं–आयकर के लिए उपबंध से	**26,97,98,903**	**28,78,76,257**	26,98,33,473	20,95,52,801
अग्रिम कर (विदेशी)#		**5,19,41,323**		
एमएटी प्रत्यय (लेखांकन वर्ष 2018–19)		**28,80,365**		
अप्रत्यक्ष कर (वसूलनीय, इनपुट कर प्रत्यय, अग्रिम)		**14,79,27,724**		9,41,78,885
योग		**2,55,06,82,520**		**3,00,98,92,076**

#आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वित्त वर्ष 2017–18 के लिए संदेय आयकर 84,69,635/–रुपए (उक्त अधिनियम के सामान्य प्रबंधन के अनुसार संदेय कार) या 1,13,46,872/–रुपए, 1,13,50,000/रुपए –न्यूनतम वैकल्पिक कर अर्थात धारा 115ञख।सामान्य का रूप बंधुओं के अधीन कर दायित्व के ऊपर न्यूनतम वैकल्पिक कर के अधीन अधिक कर दायित्व 28,80,365/–रुपए है जिसे वैकल्पिक कर न्यूनतम कर प्रत्यय के रूप में उप दर्शित किया गया है (लेखांकन वर्ष 2018–19)

इसके अतिरिक्त ओमान और श्रीलंका में संदत्त करों का प्रत्यय जो 6,04,10,958/–रुपए है को आयकर अधिनियम के सामान्य उपबंधों के अधीन संदेय आयकर तक अर्थात 84,69,635/–रुपए तक निर्बंधित कर दिया कर दिया जाएगा और अग्रिम कर (विदेश) के अधीन शेष को अर्थात 5,19,41,323/–रुपए उप दर्शित किया गया है। यद्यपि आयकर अधिकारियों के समक्ष उक्त वर्ष के लिए निर्धारण अभी आराम होना है अतः, लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन तदनुसार, जब निर्धारण पूरा होता है किया जाएगा।

टिप्पण 2.11

(रकम रुपए में)

अन्य गैर–चालू आस्तियां	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार प्राप्य				
अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत	**63,44,11,595**		59,87,67,976	
संदेहस्पद समझा गया	**6,99,39,383**		6,86,38,088	
	70,43,50,978		66,74,06,064	
घटाएं ; खराब एवं संदेहस्पद वसूलियां के लिए मोक	**6,99,39,383**	**63,44,11,595**	6,86,38,088	59,87,67,976
अन्य आस्तियां				
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय	**1,90,41,07,664**		1,85,29,56,489	
संदेहस्पद समझा गया	**11,93,73,159**		830,50,357	
	2,02,34,80,823		1,93,60,06,846	
घटाएं ; खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	**11,93,73,159**	**1,90,41,07,664**	8,30,50,357	1,85,29,56,489
योग		**2,53,85,19,259**		2,45,17,24,465

टिप्पण सं. 2.12

(रकम रुपए में)

मालसूचियां	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
सामग्रियां :(लागत से निम्न या एनआरवी)		
–इस्पात	**92,61,365**	2,15,51,117
–सीमेंट	**18,62,625**	9,62,962
–पाइप तथा अन्य	**76,16,318**	1,71,39,010
योग	**1,87,40,308**	3,96,53,089

टिप्पण सं. 2.13

(रकम रुपए में)

व्यापार वसूलनीय	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
(अच्छा समझा गया अप्रत्यतभूत जो निम्नलिखित के लिए बकाया है:–		
–छह माह से कम	3,51,75,00,639	2,83,91,31,647
–छह माह से अधिक	9,34,90,650	16,29,19,663
संदेहस्पद समझा गया	–	–
	3,61,09,91,289	3,00,20,51,310
घटाएं ; खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	–	–
योग	3,61,09,91,289	3,00,20,51,310

टिप्पण सं. 2.14

(रकम रुपए में)

नकद और बैंक शेष	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
नकद और नकद के समतुल्य :				
हाथ में नकद		**2,00,309**		31,967
बैंक में शेष				
–चालू खाते में$	**99,06,73,547**		51,00,14,199	
–नियम जमा (3 माह की परिपक्वता तक)**	**2,52,07,24,210**	**3,51,13,97,757**	2,02,64,19,948	2,53,64,34,147
अन्य बैंक शेष :				
नियत जमा# (मार्जिन धन/धरोहर राशि के लिए गिरवी रखा गया)		**2,72,59,833**		6,69,44,272
नियत जमा** (3 माह से अधिक परिपक्वता के साथ किंतु 12 माह से कम)		**38,36,85,875**		37,01,67,574
योग		**3,92,25,43,774**		2,97,35,77,960

*चालू खाते में ग्राहक के निमित 49,98,89,671 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 34,37,40,648 रुपए) जमा के रूप में रखा गया है।

**चालू खाते में ग्राहक के निमित 2,75,29,18,432 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 194,23,94,564 रुपए) जमा के रूप में रखा गया है।

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 2,72,59,833 रुपए (पूर्व वर्ष 6,69,44,272 रुपए) की नियत आस्तियों को ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा के लेखे गिरवी रखा है जिसमें से ग्राहक को प्रस्तुत 58,29,633 रुपए विवादाधीन है, यह मामला न्यायालय में है।

$ 6,15,601 रुपए (पूर्व वर्ष 9,99,885 रुपए) ईपीआई अर्बन इंफा डेवलपर्स लिमिटेड नामक अनुषंगी कंपनी से संबंधित है।

टिप्पण सं. 2.15

(रकम रुपए में)

लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत अच्छा समझा गया सिवाय अन्यथा कथन के)				
कार्य के लिए अग्रिम :				
–बीजी के विरुद्ध कार्य के लिए प्राप्त किया गया अग्रिम	**1,61,87,28,799**		1,90,40,95,623	
–सामग्री के विरुद्ध प्राप्त किया गया	**13,32,90,238**		12,44,26,959	
–अन्य अग्रिम	**6,98,32,289**	**1,82,18,51,326**	5,31,36,907	2,08,16,59,489
अप्रत्यक्ष कर (वसूलनीय अप्रत्यक्ष कर प्रत्यय, अग्रिम)		**46,54,97,580**		26,21,26,376
कर्मचारीवृंद ऋण एवं अग्रिम		**36,51,806**		32,69,173
प्राप्य प्रतिभूति प्रतिधारण एवं धरोहर धन		**76,76,85,485**		1,11,60,98,831
योग		**3,05,86,86,197**		3,46,31,53,869

* संदर्भ टिप्पण सं. 2.32(v)(ख) को निर्दिष्ट करें।

टिप्पण सं. 2.16

(रकम रुपए में)

अन्य चालू आस्तियां	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
उद्भूत ब्याज किंतु बैंक जमा में शोध्य नहीं	**3,93,16,143**	94,18,768
पूर्व संदत्त व्यय	**8,72,67,847**	7,32,13,816
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय	**1,10,21,34,755**	1,26,44,23,912
अनुषंगी कंपनी से वसूलनीय		
राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है।	**2,13,19,28,649**	2,41,17,53,690
प्रारंभिक व्यय*	-	2,34,648
योग	**3,36,06,47,394**	3,75,90,44,834

* अनुषंगी कंपनी ईपीआई अर्बन इंफ्रा डवलपर्स लिमिटेड से संबंधित शून्य रुपए (पूर्व वर्ष 2,34,648 रुपए) सम्मिलित

टिप्पण सं. 2.17

(रकम रुपए में)

प्रचालनों से राजस्व	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
किए गए कार्य का मूल्य	**16,07,14,39,585**	16,25,89,66,185
अन्य प्रचालन आय (पूर्वावधि)	**26,58,922**	4,48,38,294
योग	**16,07,40,98,507**	16,30,38,04,479

टिप्पण सं. 2.18

(रकम रुपए में)

अन्य आय	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
निम्नलिखित से अर्जित ब्याज आयः				
बैंक में जमा	**1,28,72,589**		6,54,10,714	
कर्मचारीवृंद अग्रिम	**2,26,098**		2,82,688	
अन्य (उप–ठेकेदारों/ग्राहक/आयकर प्रतिदाय)	**6,12,87,080**	**7,43,85,767**	18,62,84,738	25,19,78,140
अन्य गैर–प्रचालन आय				
खर्च न किया गया दायित्व/बट्टे खाते में डाला गया शेष	**84,73,850**		6,63,05,184	
प्रकीर्ण आय	**1,99,51,449**		2,00,85,894	
अग्रिम एएस 7 के अनुसार संभावित हानि के लिए उपबंध को विलोम करना	**4,98,68,122**	**7,82,93,421**	–	8,63,91,078
योग		**15,26,79,188**		33,83,69,218

टिप्पण सं. 2.19

(रकम रुपए में)

प्रचालन व्यय	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
सिविल, मैकेनिकल और वैद्युत कार्य	14,89,50,69,195	14,88,32,47,368
डिजाइन और सलाहकारी प्रभार	5,84,23,775	14,04,44,790
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	5,86,83,273	7,84,46,674
लेखांकन मानक 7 के अनुसार भावी नुकसान के लिए उपबंध	–	9,58,63,976
संदत्त दावे	20,56,189	2,71,73,521
राजस्व	4,61,850	26,79,371
योग	15,01,46,94,282	15,22,78,55,700

टिप्पण सं. 2.20

(रकम रुपए में)

कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
वेतन और भत्ते#	59,48,62,128	60,49,18,444
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान$	10,85,60,788	4,75,71,130
कर्मचारी कल्याण व्यय*	8,17,92,850	12,45,72,990
योग	78,52,15,766	77,70,62,564

वेतन एवं भत्तों में 3,68,03,797 रुपए (पूर्व वर्ष 1,75,00,000 रूपए) का उपवन सम्मिलित है जो वेतन पुनरीक्षण के कारण सृजित किया गया है (तीसरा पीआरसी)

$ इसमें भविष्य निधि न्यास के कारण 45,915 रुपए (पूर्व वर्ष 14,30,860 रुपए) के ब्याज की कमी के कारण और पूर्व अवधि से संबंधित अन्य शोध्य 36,849 रूपए सम्मिलित हैं जिनके लिए प्रतिपूर्ति कर दी गई है और उन को प्रभारित किया गया है।

*इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यय, छुट्टी नकदी करण दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय सम्मिलित हैं।

टिप्पण संख्या 2.21

(रकम रुपए में)

वित्तीय लागत	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित को संदत्त ब्याजः		
– बैंक	**39,82,232**	1,98,71,793
– अन्य	**4,45,88,132**	4,15,53,882
योग	**4,85,70,364**	6,14,25,675

टिप्पण सं. 2.22

(रकम रुपए में)

अन्य व्यय	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	84,34,043	1,08,98,123
दर और कर	59,01,778	38,41,368
डाक व्यय और दूरसंचार	1,34,97,727	1,73,88,224
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
कार्यालय	3,53,68,297	3,29,28,842
भवन	14,63,237	11,60,682
अन्य नियत आस्तियां	1,07,577	2,75,298
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	1,15,97,149	1,54,02,955
निविदा व्यय	14,75,897	18,94,626
विज्ञापन एवं प्रचार	67,36,146	93,97,251
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	3,11,38,705	1,97,86,893
संविदा पर परामर्श	50,51,458	2,28,33,111
बीमा	41,08,134	28,79,050
मनोरंजन	14,61,336	27,35,340
बैंक प्रभार	1,31,21,324	1,43,30,829
वाहन चलाना एवं अनुरक्षण	26,79,674	40,53,412
जनशक्ति विकास	1,38,182	6,29,208
आग से हानि	—	24,56,354
नियत आस्तियों की बिक्री पर हानि	1,09,501	11,412
प्रायोक्ता फीस	1,15,000	4,19,550
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (घरेलू)$	6,75,27,190	8,15,38,624
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (विदेश)	46,16,831	49,04,647
सीएसआर एवं भरणीयता*	48,000	16,74,900
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक@	16,75,163	18,32,339
कारबार संवर्धन	4,99,03,818	1,19,88,445
कार्यालय भाटक#	1,14,19,024	1,08,91,270
कम्प्यूटर व्यय	41,87,130	28,45,894
सदस्यता एवं अंशदान फीस	3,07,762	6,75,490
फाइलिंग एवं रजिस्ट्रीकरण फीस	37,555	3,51,688
संदेहस्पद ऋणों, उधारों एवं अग्रिमों के लिए	4,13,01,295	8,00,00,000
संदेहस्पद वसूली के लिए बट्टे खाते में डाली गई रकम	29,46,497	5,20,52,059
विदेशी मुद्रा में परिवर्तन (लाभ)/हानि	(1,11,33,710)	8,1,94,404
प्रकीर्ण व्यय	1,13,78,641	99,25,913
योग	**32,67,20,361**	**43,07,08,201**

$ यात्रा और अन्य अनुषंगी व्ययों में स्थल पर कठोर जीवनयापन व्यय के 80,62,540 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 99,73,325 रुपए) और निदेशकों के यात्रा व्यय 21,17,309/–रुपए (पूर्व वर्ष 25,41,656/–रूपए)

* कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने के सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर 1,81,000 रुपए (पूर्व वर्षों के बजट से अग्रणीत रकम) को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान संनिर्माण/आस्तियों के अर्जन से भिन्न प्रयोजनों पर वास्तविक रूप में खर्च की गई रकम 48,000 रूपए है

वर्ष के लिए रद्द करने योग्य पट्टों के अधीन पट्टा भाटक व्यय 1,14,19,024 रूपए (पूर्व वर्ष 1,08,91,270 रूपए) प्रभारित किया गया है

@लेखा परीक्षकों को संदाय के ब्यौरे:

(रकम रुपए में)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक#	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
लेखापरीक्षा फीस*	**12,69,375**	14,19,108
कर लेखापरीक्षा	**2,93,088**	3,32,981
अन्य सेवाएं (प्रमाणन फीस)	**1,02,600**	17,250
अन्य लागत	**10,100**	63,000
योग	**16,75,163**	**18,32,339**

जिसमें जीएसटी सम्मलित नहीं है (पूर्व वर्ष के आंकडों में सेवा कर सम्मलित है)
* ईपीआई – सीएंडसी जेवी से संबंधित रुपए 10,000 (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) सम्मलित है

टिप्पण सं. 2.23

(रकम रुपए में)

पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
आय		
प्रचालन आय	–	(8,92,62,864)
अन्य आय	–	14,03,508
घटाएं : व्यय		
प्रचालन व्यय	**1,66,92,000**	1,42,140
कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	–	–
अवक्षयण	–	–
अन्य	**22,95,494**	15,88,617
योग	**(1,89,87,494)**	**(8,95,90,113)**

टिप्पण सं. 2.24

(क) लेखा तैयार करने के आधार

i) समूह के समेकित वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन और भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू विधियों की सुसंगत प्रस्तुति अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं।

ii) कंपनी और अनुषंगी के वित्तीय विवरण को समेकित वित्तीय विवरण पर लेखांकन मानक–21 के अनुसार अंतर समूह–शेष/संव्यवहार को हटाकर आस्तियों की समान मदों, दायित्वों आय और व्यय को जोड़कर लाइनर लाइन आधार पर संयोजित किया जाता है।

iii) समेकित अनुषंगी की निबल आस्तियों के अल्पसंख्यक शेयर के भाग की पहचान की जाती है और उसे समेकित तुलन पत्र में कंपनी के शेयरधारकों के दायित्व और साम्या से पृथक प्रस्तुत किया जाता है।

समेकित अनुषंगी के अल्पसंख्यक हित के शेयर के शुद्ध लाभ/(हानि) की पहचान की जाती है और उसे कंपनी के शेयरधारकों की शुद्ध आय का पता लगाने के लिए समूह की आय के विरुद्ध उसे शाम आयोजित किया जाता है।

iv) समेकित वित्तीय विवरण में कंपनी के संयुक्त उद्यम में हित को शामिल किया जाता है जिसको लेखांकन के समानुपाती समेकन विधि का उपयोग करते हुए गणना में लिया गया है तथा उसकी वहां रिपोर्ट की जाती है जहां संयुक्त रूप से नियंत्रित अस्तित्व पर लेखांकन मानक–27–संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार कंपनी की प्रत्येक आस्ति, दायित्व, आय और व्यय पर एक पृथक लाइन के रूप में विचार किया जाता है।

v) समेकित अनुषंगी की शुद्ध आस्ति अल्पसंख्यक हित में अल्पसंख्यक शेयरधारकों की साम्या की रकम से मिलकर बनती है।

(ख) समेकित वित्तीय, विवरण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) और उसकी अनुषंगी कंपनी, जो भारत में निर्मित की गई है तथा उसके निगम मत नहीं किए गए संयुक्त उद्यम (समूह), के हैं।

अनुषंगी और संयुक्त उद्यम पर वित्तीय विवरण में विचार किया गया है, नीचे दिए अनुसार हैं:–

क्रम संख्या	**अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम का नाम***	**संबंध**	**मालिकाना हित की प्रतिशतता**		**लाभ और हानि लेखेके समेकित विवरण में सम्मिलित अनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित अस्तित्व का लाभ/(हानि) (रकम रुपए में)**	
			31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	अनुषंगी	51%	51%	(1,66,409)	(54,048)
	ईपीआई सीएंडसी जेवी (अनिगमित)	संयुक्त उद्यम	#	–	(10,000)	–

* अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षण नहीं किए गए वित्तीय विवरण पर समूह के समेकित वित्तीय विवरण में विचार किया गया है।

संयुक्त उद्यम में कोई विनिधान नहीं किया गया है तथापि संयुक्त उद्यम के साथ हाथ में दी गई परियोजना के संबंध में लाभ/हानि को विभाजित करने का अनुपात 40% (ईपीआई–सीएंडसी जेवी) है।

टिप्पण सं. 2.25

(रकम रुपए में)

	आकस्मिक दायित्व	31.03.18 की स्थिति के अनुसार	31.03.17 की स्थिति के अनुसार
1	**विधिक और माध्यस्थम की बावत**		
क	अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए रकम तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके।*	**3,40,41,18,879**	2,82,72,18,879
ख	उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है।*	**18,33,39,791**	18,33,39,791
2	विवाद/अपीलों के अधीन पूरे किए गए निर्धारणों के संबंध में विक्रय कर/संकर्म संविदा कर/सेवा कर की मांग के संबंध में।	**47,85,53,255**	41,76, 35,124

* पूर्वोक्त के विरूद्ध कंपनी के प्रतिस्थानी दावे हैं

टिप्पण सं. 2.26

ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे अमूर्त आस्तियों के विकास के लिए निष्पादित शेष संविदाओं की आकलित रकम 64,05,196 रुपए (पूर्व वर्ष 98,33,923 रुपए), है, जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है, और वर्ष 2017–18 में इस निमित्त 21,80,159 रुपए की रकम का पूंजीकरण किया गया है।

टिप्पण सं. 2.27

विदेशी मुद्रा में व्यय :

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.18 को समाप्त वर्ष	31.03.17 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालन व्यय	**7,38,58,20,302**	5,19,20,37,224
2	व्यावसायिक एवं सलाह प्रभार	**1,56,89,866**	3,24,99,613
3	विदेशी मुद्रा में फेरफार नुकसान	**77,779**	80,26,085
4	नियत आस्तियों का क्रय	**2,00,991**	4,60,327
5	**प्रशासनिक एवं अन्य व्यय**		
क	यात्रा	**1,12,29,660**	1,24,31,158
ख	निविदा व्यय	**38,916**	–
ग	अन्य	**5,14,23,150**	6,23,24,255
	योग	**7,46,44,80,664**	5,30,77,78,662

विदेशी मुद्रा में अर्जनः

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.18 को समाप्त वर्ष	31.03.17 को समाप्त वर्ष
1	संकर्म प्राप्तियां	7,95,44,96,532	5,50,97,22,070
2	ब्याज से आय	6,74,734	1,54,25,660
3	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन से लाभ	1,07,21,332	–
4	अन्य	40,15,006	2,48,349
	योग	**7,96,99,07,604**	**5,52,53,96,078**

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान ओमान से प्राप्त अधिक्य 43,01,98,234 रुपए जो 66,90,000 अमरीकी डालरों के बराबर है (पूर्ववर्ती वर्ष 4,66,05,473 रूपए जो 700,000 अमरीकी डालरों के बराबर है)।

टिप्पण 2.28

क) कंपनी ने बैंकों से बिना किसी प्रतिभूति के 7,13,75,06,067 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 6,90,40,20,131 रुपए) की गैर–निधि आधारित प्रत्य य सीमा ली है। इसके अंतर्गत ईपीआई–सीएंडसी–जेवी द्वारा मयांमार में परियोजना के निष्पादन के लिए 75.90 करोड रुपए सम्मलित हैं, इसके अंतर्गत अग्रणी भागीदार अर्थात् सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54 करोड रुपए और संवयं के निमित्त में 30.36 करोड रुपए की रकम सम्मलित है।

ख) ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54 करोड रुपए में 10.06 करोड रुपए की रकम प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के स्थान पर प्राप्त किया गया है।

टिप्पण सं. 2.29

लेखांकन मानक 17 के अनुसार प्रकटन

कंपनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तदनुसार, खंड सूचना नीचे दिए अनुसार है:

प्रारंभिक खंड सूचना (भौगोलिक)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	चालू वर्ष				पूर्व वर्ष			
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग
कारोबार की किस्म	संनिर्माण				संनिर्माण			
प्रचालनों से राजस्व	8,11,96,01,975	7,95,44,96,532	–	16,07,40,98,507	10,79,40,82,409	5,50,97,22,070	–	16303,804,479
अन्य–आय	13,45,89,467	46,89,740	1,33,99,981	15,26,79,188	26,80,61,285	1,56,74,009	54633,924	338,369,218
कुल आय	**8,25,41,91,442**	**7,95,91,86,272**	**1,33,99,981**	**16,22,67,77,695**	**11062143,694**	**5,52,53,96,079**	**54633,924**	**16,642,173,697**
परिणाम								
अवक्षयण, ब्याज और कर से पूर्व आय	7,48,85,635	42,11,63,853	(41,48,89,696)	8,11,59,792	28,54,83,949	3,38,76,972	(20,18,93,802)	11,74,67,119
ब्याज	4,46,16,614	3,350	39,50,400	4,85,70,364	4,15,53,882	2,84,876	1,95,86,917	6,14,25,675
अवक्षयण	63,46,411	7,69,907	83,51,557	1,54,67,875	61,61,040	8,30,461	73,66,452	1,43,57,953
प्रचालन को जारी रखने से कर से पूर्व ब्याज	2,39,22,610	42,03,90,596	(42,71,91,653)	1,71,21,553	23,77,69,027	3,27,61,636	(22,88,47,172)	4,16,83,491
प्रचालन को जारी न रखने से कर के पश्चात लाभ	2,39,22,610	35,99,79,638	(38,25,58,352)	13,43,896	23,77,69,027	19516,958	(22,98,30,540)	2,74,55,445
प्रचालन को जारी न रखने से कर के पूर्व लाभ	–	–	(1,66,409)	(1,66,409)	–	–	(54,048)	(54,048)
प्रचालन को जारी न रखने से कर के पश्चात लाभ	–	–	(1,66,409)	(1,66,409)	–	–	(54,048)	(54,048)
मूर्त और अमूर्त आस्तियों में वर्धन	60,27,382	2,00,991	59,44,581	1,21,72,954	47,93,897	1,79,321	1,16,99,365	16,672,583
अन्य सूचना	**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार**				**31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार**			
कुल आस्तियां	11,60,32,84,923	5,43,25,60,618	2,27,97,17,064	19,31,55,62,605	11,94,79,66,336	5,77,21,24,813	1,24,74,97,338	18,96,75,88,487
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर (अग्रणीत रकम)	3,26,75,756	41,22,197	5,91,15,572	9,59,13,525	3,31,77,510	46,91,114	6,15,60,964	9,94,29,588
कुल दायित्व	11,02,31,28,763	5,49,86,49,817	48,65,42,922	17,00,83,21,502	10,48,51,06,128	5,74,80,09,011	42,82,49,848	16,66,13,64,987

टिप्पण सं. 2.30

लेखांकन मानक 7, 'संनिर्माण संविदाएं' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटन:

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार
1	प्रचालनों से राजस्व	16,07,40,98,507	16,30,38,04,479
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	97,90,36,11,580	83,19,09,42,372
3	प्राप्त अग्रिम	57,72,591,404	6,061,562,259
4	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों से शोध्य, समग्र रकम – जिसे आस्तिर के रूप में प्रस्तुत किया गया है	2,13,19,28,649	2,41,17,53,690
5	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों को शोध्य समग्र रकम – जिसे दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है	79,09,83,769	61,35,86,476
6	प्राप्य प्रतिधारण धन	1,84,77,37,062	2,00,17,54,652

प्रबंधन ने निर्धारण किया है और पाया है कि आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकन मानक–7 के अनुसार किसी परियोजना में भावी हानि के लेखे किसी नए उपबंध को सृजित करने की अपेक्षा नहीं है। यद्यपि पूर्व वर्षों में संभावित हानि के लिए के गए 4,98,68,122 करोड रुपए के उपबंध को विलोम कर दिया गया है।

टिप्पण सं. 2.31

लेखांकन मानक 15 की अपेक्षाओं के अनुसरण में कर्मचारी फायदों का ब्यौरा :

i) परिभाषित फायदा बाध्यता में परिवर्तन

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
छूट की दर	7.85% (7.36%)	7.85% (7.36%)	7.85% (7.36%)	7.85% (7.36%)	7.85% (7.36%)
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर/प्रीमियम मुद्रास्फीति/ यात्रा लागत	5.00%	5.00%	–	0.50%	3.00%
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	7.85% (7.36%)	–	–	–	–
सेवानिवृत्ति आयु*	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु सारणी*	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	सेवानिवृत्ति पूर्व आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट सेवानिवृत्ति पश्चः एलआईसी (1996–98) यूएलटी	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट
प्रति जोड़े की दर से औसत प्रतिदाय	–	–	–	51561 रुपए	–
	–	–	–	(55772 रुपए)	–
आयु*	कर्मचारी कारोबार (%)				
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
44 से ऊपर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

*पूर्व वर्ष के समान

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	12,83,38,870 (13,74,34,160)	13,47,23,447 (13,22,99,042)	44,87,540 (51,49,456)	18,46,51,434 (17,03,64,891)	7,84,605 (2,72,939)
चालू सेवा लागत	84,03,139 (95,35,956)	80,48,040 (78,19,249)	3,27,967 (3,42,385)	71,36,293 (84,67,205)	55,879 (49,674)
ब्याज लागत	95,17,860 (1,01,73,508)	95,03,991 (99,48,344)	3,24,496 (3,84,157)	1,34,85,962 (1,32,93,629)	54,994 (21,450)
बीमा (लाभ)/हानि	(12,14,116) ((52,10,630))	88,58,597 (1,73,26,262)	(15,48,254) (3,41,214)	(47,12,548) (1,80,29,962)	(5,71,385) (5,80,261)
अर्जन समायोजन	– –	– –	– –	– –	– –
संदत्त फायदा	(1,76,56,355) ((2,35,94,124))	(3,19,47,158) ((3,26,69,450))	(5,25,474) ((17,29,672))	(2,45,05,516) ((2,55,04,253))	(27,215) ((1,39,719))
पूर्व सेवा लागत वर्ष के अंत में प्रक्षेपित	6,00,14,564				
फायदा बाध्यता	18,74,03,962 (12,83,38,870)	12,91,86,917 (13,47,23,447)	30,66,275 (44,87,540)	17,60,55,625 (18,46,51,434)	2,96,878 (7,84,605)

ii) योजना आस्तियां के न्यायोचित मूल्म में परिवर्तन (उपदान)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	2017–18 (वित्तपोषित)	2016–17 (वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	12,40,12,636	12,98,03,738
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	84,77,577	93,34,328
बीमा अभिदाय	43,26,234	76,30,422
बीमा लाभ/(हानियां)	4,41,352	8,38,272
संदत्त फायदे	(1,76,56,355)	(2,35,94,124)
अर्जन समायोजन	–	–
अवधि के अंत में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	1 1,96,01,444	1 2,40,12,636

iii) तुलनपत्र में मान्यता दी गई

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	18,74,03,962 (12,83,38,870)	12,91,86,917 (13,47,23,447)	30,66,275 (44,87,540)	17,60,55,625 (18,46,51,434)	2,96,878 (7,84,605)
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	11,96,01,444 (12,40,12,636)	– –	– –	– –	– –
वित्तपोषित प्रास्थिति आस्ति / (दायित्व)	(6,78,02,518) ((43,26,234))	(12,91,86,917) ((13,47,23,447))	(30,66,275) ((44,87,540))	(17,60,55,625) ((18,46,51,434))	(2,96,878) ((7,84,605))
तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई शुद्ध (दायित्व) / आस्तियां	(6,78,02,518) ((43,26,234))	(12,91,86,917) ((13,47,23,447))	(30,66,275) ((44,87,540))	(17,60,55,625) ((18,46,51,434))	(2,96,878) ((7,84,605))

iv) लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दिए गए व्यय

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	84,03,139 *(95,35,956)*	80,48,040 *(78,19,249)*	3,27,967 *(3,42,385)*	71,36,293 *(84,67,205)*	55,879 *(49,674)*
ब्याज की लागत	95,17,860 *(1,01,73,508)*	95,03,991 *(99,48,344)*	3,24,496 *(3,84,157)*	1,34,85,962 *(1,32,93,629)*	54,994 *(21,450)*
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	(84,77,577) *((93,34,328))*	- -	- -	- -	- -
अवधि में मान्यता दिया गया शुद्ध बीमा (लाभ) / हानि	(16,55,468) *((60,48,902))*	88,58,597 *(1,73,26,262)*	(15,48,254) *(3,41,214)*	(47,12,548) *(1,80,29,962)*	(5,71,385) *(5,80,261)*
पूर्व सेवा लागत	*6,00,14,564* -	- -	- -	- -	- -
लाभ और हानि लेखे में मान्यता दिए गए कुल व्यय	6,78,02,518 *(43,26,234)*	2,64,10,628 *(3,50,93,855)*	(8,95,791) *(10,67,756)*	1,59,09,707 *(3,97,90,796)*	(4,60,512) *(6,51,385)*

पूर्ववर्ती वर्ष के अंकों को इटैलिक्स एवं कोष्ठकों में उपदर्शित किया गया है (*)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–उपदान

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.14	31.03.15	31.03.16	31.03.17	31.03.18
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	14,53,80,147	13,98,97,910	13,74,34,160	12,83,38,870	18,74,03,962
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति	14,49,94,542	13,54,84,798	12,98,03,738	12,40,12,636	11,96,01,444
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	(3,85,605)	(44,13,112)	(76,30,422)	(43,26,234)	(6,78,02,518)
घ)	योजना दायित्वों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	(3,85,605)	(44,13,112)	(76,30,422)	(43,26,234)	(6,78,02,518)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा –दीर्घ सेवा पुरस्कार

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.14	31.03.15	31.03.16	31.03.17	31.03.18
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	66,73,650	61,76,600	51,49,456	44,87,540	30,66,275
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	(66,73,650)	(61,76,600)	(51,49,456)	(44,87,540)	(30,66,275)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व) /आस्ति	(66,73,650)	(61,76,600)	(51,49,456)	(44,87,540)	(30,66,275)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–सेवानिवृत्त पश्च चिकित्सा फायदा

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.14	31.03.15	31.03.16	31.03.17	31.03.18
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	12,29,72,341	12,87,94,211	1 7,03,64,891	1 8,46,51,434	17,60,55,625
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	(12,29,72,341)	(12,87,94,244)	(17,03,64,891)	(18,46,51,434)	(17,60,55,625)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व) /आस्ति	(12,29,72,341)	(12,87,94,211)	(17,03,64,891)	(18,46,51,434)	(17,60,55,625)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी नकदीकरण

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.14	31.03.15	31.03.16	31.03.17	31.03.18
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	12,49,11,989	12,80,71,143	1 3,22,99,042	1 3,47,23,447	12,91,86,917
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	(12,49,11,989)	(12,80,71,143)	(13,22,99,042)	(13,47,23,447)	(12,91,86,917)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/निवल	(12,49,11,989)	(12,80,71,143)	(13,22,99,042)	(13,47,23,447)	(12,91,86,917)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी यात्रा रियायत

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.14	31.03.15	31.03.16	31.03.17	31.03.18
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	–		2,72,939	7,84,605	2,96,878
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–		–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति			(2,72,939)	(7,84,605)	(2,96,878)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/निवल			(2,72,939)	(7,84,605)	(2,96,878)

कंपनी, लेखांकन मानक 15 के उपबंधों के अनुसार उपदान, दीर्घ अवधि प्रति पूरित अनुपस्थिति, पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदा, दीर्घ सेवा पुरस्कार और बीमाकंन के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात एक बार यात्रा भत्ता प्रदान करती है

टिप्पण सं.2.32

संबंधित पक्षकार प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 18, ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नामों के साथ प्रबंधन द्वारा पहचाने गए और प्रमाणित संव्यवहार की समग्र रकम और वर्ष के अंत में शेष निम्नानुसार दिया गया है

i) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री एन शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग को 15 जून 2017 से प्रारंभ में 3 माह की अवधि के लिए सौंपा गया है, जिसका समय समय पर विस्तार किया गया है और नवीनतम आदेशों के अनुसार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ईपीआईएल के अतिरिक्त प्रभार को 15 मार्च 2018 से 6 माह की अवधि या श्री एसपीएस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ईपीआईएल के विरुद्ध अनुशासन एक कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने या अग्रिम आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है। श्री एन शिवानंद, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) को निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार भारी उद्योग विभाग द्वारा 1 जुलाई 2018 से 3 माह की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति या अग्रिम आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सौंपा गया है।

ii) प्रमुख प्रबंध कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार किया गया था :

- श्री लेखराज, निदेशक (वित्त), 13 अप्रैल 2017 से
- श्री एसपीएस बक्शी, अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक (20 मार्च 2017 से निलंबित)
- श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं) (30 जून 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त)
- श्री सुशांत बालिगा, अंशकालिक, गैर शासकीय निदेशक
- डॉ. अनिता चौधरी, अंशकालिक, गैर शासकीय निदेशक
- श्रीमती सुधा वेंकटा वरदन, कंपनी सचिव

iii) ईपीआईएल अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को ईपीआईएल की अनुषंगी के रूप में 19 मई 2016 को निगमित किया गया।

प्रारंभ में श्री एसपीएस बक्शी (इस समय ईपीआई से निलंबन के अधीन), श्री वीनू गोपाल (ईपीआई से अधिवर्षिता के उपरांत सेवानिवृत्त और 30 जून 2018 से अंशकालिक निदेशक नहीं रहे) और श्री सुशांत बालिगा को अंशकालिक निदेशक के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। बोर्ड ने 25 जुलाई 2017 को आयोजित अपनी बैठक में श्री एन शिवानंद, जो ईपीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं को ईपीआईयूआईडीएल के निदेशक बोर्ड में अंशकालिक निदेशक नाम निर्दिष्ट किया है।

श्री कपिल तारा, कार्यकारी निदेशक (डबल्यूआरओ), ईपीआई (इस समय ईपीआई से निलंबन के अधीन है) को अंशकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (केएमपी) नामनिर्देशित किया गया था और श्रीमती सुधा वैंकटा वरदन सीएस (ईपीआई) को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी में अंशकालिक सीएस नामनिर्देशित किया गया है

अनुषंगी कंपनी के साथ व्यौहारों का ब्यौरा

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार	प्रकृति
अति शेष (प्राप्य रकम) {क}	69,700	–	नामे
अनुषंगी के निमित्त व्ययों की प्रतिपूर्ति {ख}	84,231	69,700	नामे
अनुषंगी से प्राप्त रकम{ग}	1,06,060	–	जमा
इति शेष (वसूलनीय रकम) {घ} (घ = क + ख –ग)	47,871	69,700	नामे

iv) 2 अगस्त, 2017 को ईपीआई–सीएंडसी "संयुक्त उद्यम" (अनिगमित), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा–से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) म्यांमार के किन राज्य में 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर जिसमें सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 60% हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का 40% हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा।

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच कोई संव्यवहार नहीं किया गया। ईपीआई के कार्य के भाग के लिए जिसे "अन्य अग्रिम" के अधीन टिप्पण संख्या 2.15 में सम्मिलित किया गया है, विभिन्न पक्षकारों को 4,49,586 रुपए का अग्रिम दिया गया था।

v) कारबार के सामान्य प्रक्रम मैं संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए थे।

निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	2017–18	2016–17
वेतन*	**77,16,181**	54,51,159
भविष्य निधि में अंशदान	**4,55,722**	5,10,407
मकान किराया	**10,58,632**	10,62,000
चिकित्सा व्यय	**3,11,063**	3,56,988
बैठक फीस	**4,57,700**	5,42,700

क) * इसमें वित्त वर्ष 2014–15 और 2015–16 से संबंधित 5.96 लाख रुपए का पीआरपी भुगतान सम्मिलित है जिसको वर्ष 2017–18 में संदत्त किया गया था। इसमें निलंबन के अधीन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को संदत्त निर्वाह भत्ता भी सम्मिलित है।

ख) श्री लेखराज, निदेशक (वित्त) द्वारा एनटीपीसी (श्री लेखराज का एनटीपीसी से धारणाधिकार है) से लिए गए ऋण/अग्रिम के दायित्व को ईपीआई को अंतरित कर दिया गया है जिसमें से 2,30,000 रुपए को वर्ष 2017–18 के दौरान उनके वेतन से वसूल लिया गया है,। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार वसूल किए जाने के लिए शेष राशि 1,74,435 रुपए है।

ग) श्री एन शिवानंद, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) कंपनी में नियोजित नहीं है और इसलिए वर्ष 2017–18 के दौरान उन्हें किसी वेतन/भत्ते का संदाय नहीं किया गया है।

vi) अनुषंगी कंपनी के संबंध में संबंधित पक्षकार

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशकः–

- श्री कपिल तारा, कार्यकारी निदेशक (डबल्यू आरओ), ईपीआई (मार्च 2017 से ईपीआई से निलंबित), अंशकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ईपीआईयूआईडीएल
- श्री सुधीर, श्रृंगेरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, उपाध्यक्ष, डीसीपीएल, अंशकालिक मुख्य वित्त अधिकारी (13 जुलाई 2016 से त्यागपत्र दे दिया है और या पद अभी रिक्त है)
- श्रीमती सुधा वैंकट वर्धन, कंपनी सचिव, अंशकालिक कंपनी सचिव, ईपीआईयूआईडीएल
- श्री एसपीएस बक्सी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, निर्देशक ईपीआई और अंशकालिक अध्यक्ष, ईपीआईयूआईडीएल, (ईपीआई से 20 मार्च 2017 से निलंबित)
- श्री एन. शिवानंद अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) ईपीआई अंशकालीन निदेशक, ईपीआईयूआईडीएल (25 जुलाई 2017 से)
- श्री वेणुगोपाल, निदेशक (परियोजना) ईपीआई अंशकालीन निदेशक, ईपीआईयूआईडीएल

  (ईपीआई से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं इसलिए 30 जून 2018 से ईपीआईयूआईडीएल के निदेशक नहीं रहे)
- श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक, ईपीआई अंशकालीन निदेशक, ईपीआईयूआईडीएल

- श्री नंदकिशोर मोती लाल शाह, अंशकालिक निदेशक, बीयू आईडीपीएल का प्रतिनिधित्व
- श्री बामन केकिदिनशाह बामन जी मेहता, अंशकालिक निदेशक, डीसीपीएल का प्रतिनिधित्व

कारवार के साधारण क्रम में संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किया गया

क्रम संख्या	नाम	रकम रुपए में
1.	श्री सुशांत बालिगा (बैठक मूल्य)	17,700

टिप्पण सं. 2.33

संनिर्माण सामग्री के स्टॉक के मात्रात्मक ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

विशिष्टियां	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए)
सीमेंट	**376**	**18,62,625**	163	9,62,962
इस्पात	224	92,61,365	1,044	2,15,51,117
इस्पात पाइप	**26,390 (आरएमटी)**	**76,16,318**	54,023 (आरएमटी)	1,71,39,010

टिप्पण सं. 2.34

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के विनिश्चय के अनुसार इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड के सामरिक विनिवेश की वैसे ही केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के माध्यम से अर्जन द्वारा प्रक्रिया प्रगति पर है।

टिप्पण सं. 2.35

''उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां'' पर लेखांकन मानक–29 के अधीन प्रकटनः

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	अतिशेष	वर्ष के दौरान किया गया उपबंध	वर्ष के दौरान संदत्त/ समायोजित	बट्टे खाते में डाले गए उपबंध	इतिशेष
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)=(ii+iii-iv-v)
परियोजना आकस्मिकताएं*	29,86,04,263	4,13,01,295	–	41,81,001	33,57,24,557
कर्मचारी फायदा	32,89,73,260	10,87,66,550	6,13,31,597	–	37,64,08,213
वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी)	1,75,00,000	3,68,03,797	–	–	5,43,03,797
योग	64,50,77,523	18,68,71,642	6,13,31,597	41,81,001	76,64,36,567
पूर्ववर्ती वर्ष	67,68,92,942	17,84,30,026	19,78,45,956	1,23,99,489	64,50,77,523

* परियोजना आधार पर प्राप्य रकम के लिए किया गया उपबंध (संदेय रकम को छोडकर)

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अनुसार परिसमापक द्वारा ईपीआई के यूबी इंजीनियरिंग लिमिटेड (यूबीईएल) पर दावों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान 31 मार्च 2017 तक किए गए आठ करोड रुपए के उपबंध के अतिरिक्त 4 करोड रुपए का उपबंध किया गया (31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 12 करोड रुपए का कुल उपबंध) इसे प्रबंधन द्वारा विद्यावान स्थिति में युक्तियुक्त माना गया है और इसके लिए लेखा वहियों मैं उपबंध किया गया है जिसे पूर्वोक्त के अनुसार 16 करोड रुपए (निबल संदेय) के विरोध परियोजना आकास्मिकताओं के अधीन शामिल किया गया है।

टिप्पण सं. 2.36

प्रबंधन ने निर्धारण किया है और पाया कि नियत आस्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कोई उपबंध करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण सं. 2.37

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने के सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर 1,81,000 रुपए (पूर्व वर्षों के बजट से अग्रणीत रकम) को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान वास्तविक रूप में खर्च की गई रकम नीचे दिए अनुसार है:

विशिष्टियां	नकद में	नकद में अभी संदत्त किया जाना है	योग
किसी आस्ति का संनिर्माण/अर्जन	–	–	–
पूर्वोक्ति (i) से भिन्न प्रयोजनों पर	48,000	–	48,000

टिप्पण सं. 2.38

प्रति शेयर आधारिक और कम किए गए अर्जन की संगणना कर के पश्चोात लाभ 11,77,487 रुपए (पूर्व वर्ष 2,74,01,396 रुपए) को 3,54,22,688 के 10/–रुपए प्रत्येक पूर्णतः संदत्त साम्या शेयरों को विभाजित करके की जाती है।

	2017–18	2016–17
प्रति शेयर आधारिक और कम किया गया अर्जन (रुपए)	**0.03**	0.77

टिप्पण सं. 2.39

19 मई 2016 को ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी को "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल)" के रूप 10 लाख रुपए की संदत्त पूंजी से निगमित किया गया था, जो ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर द्वारा 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा 10% के साथ भूमि पार्सलों आदि के विकास के लिए मिलकर बनी है।

अनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पहले निदेशकों से मिलकर बनने वाला अंतरिम बोर्ड का अनुमोदन है, को सरकार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसी बीच सरकार ने डीपीआई के सामरिक अविनिधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी कंपनी की विरचना का समर्थन नहीं किया, ईपीआई ने ईपीआईयूआईडीएल के समापन के लिए स्वैच्छिक समापन/परीसमापन के लिए ईपीआईयूआईडीएल के शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन रहते हुए मंजूरी दे दी और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि स्वैच्छिक परीसमापन के लिए 20 दिसंबर 2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की पहली वार्षिक साधारण बैठक में बीयूआईडीपीएल सहमत नहीं हुआ। ईपीआई के अपने शेयरों का अन्य दो शेयरधारकों को प्रस्ताव करने के पश्चातवर्ती प्रयास सफल नहीं हुए थे। ईपीआई के बोर्ड समापन/प्रस्थान के लिए अन्य विकल्पों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मिलने का विनिश्चय किया। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अनुषंगी कंपनी में 5,10,000/–रुपए के विनिधान के लिए 100 प्रतिशत उपबंध किया गया है।

(रकम रुपए में)

क्रम संख्या	विशिष्टियां	31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के अनुसार	31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के अनुसार
1.	प्रचालनों से राजस्व	–	–
2.	अन्य व्यय	3,26,293	1,05,977
3.	लाभ /(हानि)	(3,26,293)	(1,05,977)
4.	अल्पसंख्यक हित का बाग (49%)	(1,59,884)	(51,929)
5.	समूह का भाग (51%)	(1,66,409)	(54,048)

टिप्पण सं. 2.40

ईपीआई के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध सीबीआई ने तीन मामले रजिस्टर किए हैं और प्राथमिकी रजिस्टर की हैं। जिनमें से दो मामले वर्ष 2017–18 और एक मामला वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान दर्ज किया गया है। यह मामले ईपीआई के कुछ कर्मचारियों द्वारा निविदा प्रदान करने के लिए अवैध लाभ के आरोप में हैं। ईपीआई को प्राथमिकी में एक पक्षकार नहीं बनाया गया है।

इससे उसके वित्तीय विवरणों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं है।

टिप्पण सं. 2.41

राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड (एनडब्ल्यूएसडीबी), श्री लंका (ग्राहक) ने चीनी निर्माता/पूर्तिकार द्वारा ईपीआईएल को प्रदान की गई बबुनिया जल आपूर्ति स्कीम के लिए पूर्ति किए गए एचडीपीई पाइपों को उनकी खराब क्वालिटी के कारण अस्वीकार कर दिया और ईपीआईएल को अच्छी क्वालिटी के पाइपों से बदलने के लिए कहा। ईपीआईएल ने चीनी पूर्तिकार को भुगतान जारी कर दिया था, यद्यपि ईपीआईएल को करार के निबंधनों के अनुसार एनडब्ल्यूएसडीबी से भुगतान (96 प्रतिशत) मिल गया। 18.78 करोड रुपए की समतुल्य रकम का दावा विनिर्माता के विरुद्ध माध्यस्थम मैं 31 अक्टूबर 2016 को विरुद्ध किया गया है। माध्यस्थ ने 29 जनवरी 2018 को लगभग 17. 25 करोड रुपए का पंचाट ईपीआईएल को प्रदान किया और अब ईपीआईएल कोलंबो वाणिज्यिक उच्च न्यायालय में माध्यस्थम को डिक्री में परिवर्तित करने के लिए और चीनी विनिर्माता (जियांगसू कुयानलोंग, न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड) के विरुद्ध उसे लागू करने के लिए अग्रसर हो गई है। और स्वीकार किए गए पाइपों को बदलने के कारण संभावित हानि के लिए 3.98 करोड़ (पाइपों के अवशिष्ट मूल्य पर विचार करते हुए) रुपए को वित्त वर्ष 2016–17 मैं गणना में लिया गया है और इस संबंध में किसी और हानि की संभावना नहीं है।

टिप्पण सं. 2.42

व्यापार प्राप्य, उधार एवं अग्रिम, ग्राहकों से अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्राप्य/संदेय प्रतिभूति जमा और व्यापार संदेय पुष्टि और मिलान के अधीन हैं। प्रबंधन की राय में इनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

टिप्पण सं. 2.43

प्रबंधन की राय में, कारबार के साधारण प्रक्रम में वसूली होने पर चालू आस्तियों का मूल्य तुलन पत्र में कथित से कम नहीं होगा।

टिप्पण सं. 2.44

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अधीन उपक्रम जिन्हें अनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित के रूप में समेकित किया गया है, की अतिरिक्त सूचना

उपक्रम का नाम	शुद्ध आस्ति (कुल आस्ति–कुल दायित्व)		लाभ या हानि का भाग	
	समेकित शुद्ध आस्ति के प्रतिशत के रूप में	रकम	समेकित लाभ या हानि के प्रतिशत के रूप में	रकम
मूलः				
1. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्त (इंडिया) लिमिटेड	99.98%	230,66,35,502	114.98%	13,53,896
अनुषंगीः				
ईपीआई अरबन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	0.01%	3,13,957	(27.71%)	(3,26,293)
अनुषंगी में अल्पसंख्यक हित	0.01%	3,01,644	13.58%	1,59,884
संयुक्त उद्यमः				
ईपीआई–सीएंडसी संयुक्त उद्यम" (अनिगमित)		(10,000)	(.85%)	(10,000)
योग		**230,72,41,103**		**11,77,487**

टिप्पण संख्या 2.45

पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनः वर्गीकरण, पुनःसमुहीकरण किया गया है और उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/समुहीकरण से पुष्टि करने के लिए उन्हें पुनःकास्ट किया गया है

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

यह हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
(सी.ए बी. महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24 अगस्त, 2018

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एन. शिवानंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07852689

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव

प्ररूप एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम पांच के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

अनुषंगी या सहबद्ध कंपनियों या संयुक्त उद्यमों की वित्तीय विवरणों के मुख्य लक्षणों को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण

भाग क अनुषंगियां

(प्रत्येक अनुषंगी के संबंध में सूचना रुपए के साथ रकमों में प्रस्तुत की जानी है)

1.	अनुषंगी का नाम	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड
2.	वह तारीख जिससे अनुषंगी का अर्जन/ निगमन किया गया है	19 मई 2016
3.	संबंधित अनुषंगी की रिपोर्ट करने की अवधि, यदि नियंत्रित कंपनी के रिपोर्ट की जाने वाली अवधी से भिन्न है	नियंत्री कंपनी के समान (1.04.2016–31.03.2018)
4.	विदेशी अनुषंगी की दशा में सुसंगत वित्त वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्ट की जाने वाली मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी*	10,00,000
6.	आरक्षिति और अधिक्य	–4,32,270
7.	कुल आस्तियां	6,15,601
8.	कुल दायित्व	47,871
9.	विनिधान	–
10.	टर्नओवर	–
11.	कराधान से पूर्व लाभ	–3,26,293
12.	कर के लिए उपबंध	–
13.	कर के पश्चात लाभ	–3,26,293
14.	शेयर धृति का परिमाण (प्रतिशत में)	51%

टिप्पण :

उन अनुषंगियों का नाम जिन्होंने अभी प्रचालन आरंभ करना है	कुछ नहीं
उन अनुषंगियों का नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या विक्रय कर दिया गया है	कुछ नहीं

* शेयर पूंजी में जारी और भुगतान पूंजी शामिल है।

उद्यम

एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

	एसोसिएट या संयुक्त उद्यम का नाम	ईपीआई सीएंडसी जेवी
1.	**नवीनतम लेखापरीक्षक तुलन पत्र की तारीख#**	31.3.2018
2.	**वह तारीख जिसको एसोसिएट या संयुक्त उद्यम को सहमत किया गया था या आयोजित किया गया था**	02.8.2017
3.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारण किए गए एसोसिएट या संयुक्त उद्यम के शेयर**	शून्य
	संख्या.	शून्य
	एसोसिएट या संयुक्त उद्यम विनिधान की रकम	शून्य
	नियंत्रण का परिमाण (प्रतिशत में)	*
4.	**इस बात का विवरण कि कैसे उसका महत्वपूर्ण प्रभाव है**	लागू नहीं
5.	**एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम को समेकित ना करने के कारण**	लागू नहीं
6.	**नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के (ईपीआई–सीएंडसी जेवी) अनुसार शेयर धारण के मद्दे शुद्ध मूल्य**	–25,000.00
7.	**वर्ष के लिए लाभ या हानि**	
	i. समेकन में विचार किया गया	–10,000.00
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	शून्य

अप्राधिकृत वित्तीय विवरणों पर समेकन के लिए विचार किया गया है।

* संयुक्त उद्यम में कोई विनिधान नहीं किया गया है तथापि लाभ/हानि विभाजित करने का अनुपात संयुक्त उद्यम (ईपीआई–सीएंडसी जेबी) के साथ हाथ में ली गई परियोजनाओं के लिए 40% है।

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

यह हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 06591एन

ह0/–
(सी.ए बी. महेशवरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 088155

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24 अगस्त, 2018

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एन. शिवानंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07852689

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा143(6) (ख) के अधीन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और कंपनियों के प्रत्युत्तर

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन विहित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक द्वारा नियुक्त कानूनी लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कथन किया गया है कि ऐसा उन्होंने 24 अगस्त 2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निमित्त अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के अधीन 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से कानूनी लेखा परीक्षकों के कार्यशील कागज पत्रों तक बिना किसी पहुंचकर की गई है और मुख्यतः यह कानूनी लेखा परीक्षकों से और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तक तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे दृष्टिकोण के अनुसार जो वित्तीय विवरणों को और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने मैं समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं।

क. वित्तीय प्रस्थिति पर रिपोर्ट

आस्तियां

गैर चालू आस्तियां 534.39 करोड़ रुपए

पूर्वोक्त में मैसर्स यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड से 2005 में की गई संविदा के आधार पर कंपनी द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले. 11.16 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। मैसर्स यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 10 के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ कर दी है, दिवाला प्रक्रिया के लंबन पर विचार करते हुए कंपनी ने वर्ष 2017–18 तक 12 करोड रुपए का उपबंध किया है। तथापि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई द्वारा नियुक्त परिसमापक ने जनवरी 2018 में कंपनी के दावे को अस्वीकार कर दिया, शुद्ध व्यापार प्राप्य अर्थात 16 करोड रुपए, (मैसर्स यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड से प्राप्त किए जाने वाले 23.16 करोड रुपए घटा उप ठेकेदार को बैक टू बैक आधार पर दिए जाने वाले 7.16 करोड रुपए) के लिए उपबंध किया जाना चाहिए था। इसलिए 4 करोड रुपए की सीमा तक का कम उपबंध किया गया है। इसका परिणाम वर्ष के लिए 4 करोड रुपए की गैर चालू आस्तियों और लाभ का अधिक कथन किए जाने के रूप में हुआ।

ख. प्रकटन पर टिप्पणः

टिप्पण में इस सीमा तक कमी है कि मैसर्स विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कांट्रेक्टर) से वसूल किए जाने वाले 43.06 करोड रुपए के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का कोई प्राक्कटन इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2017–18 के दौरान कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया गया था और कंपनी पर 81. 96 करोड रुपए का माध्यस्थम दावा फाइल किया गया है। कंपनी ने भी 146.71 करोड रुपए का प्रतिदावा फाइल किया है। यद्यपि ग्राहक (बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन) के साथ बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट था। इस रकम को ग्राहक से वसूल नहीं किया गया था और इसे कॉन्ट्रैक्टरसे वसूल की जाने वाली रकम के रूप में उपदर्शित किया गया। क्योंकि दावा और अप्रत्ययभूत है इस तथ्य को वित्तीय विवरण के टिप्पण में पर्याप्त रूप से प्रकटित किया जाना चाहिए था।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की
ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(नंदना मुंशी)
महानिदेशक,
प्रधान वाणिज्य लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षा बोर्ड–1,
नई दिल्ली के पदेन सदस्य का कार्यालय

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 28 सितंबर, 2018

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अधीन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और कंपनियों के प्रत्युत्तर

क्रम संख्या	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रत्युत्तर
क.	**समेकित वित्तीय प्रस्थिति पर टिप्पणियां** **गैर चालू आस्तियां 534.39 करोड रुपए** पूर्वोक्त में मैसर्स यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड से 2005 में की गई संविदा के आधार पर कंपनी द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले. 11.16 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। मैसर्स यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 10 के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ कर दी है, दिवाला प्रक्रिया के लंबन पर विचार करते हुए कंपनी ने वर्ष 2017–18 तक 12 करोड रुपए का उपबंध किया है। तथापि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई द्वारा नियुक्त परिसमापक ने जनवरी 2018 में कंपनी के दावे को अस्वीकार कर दिया, शुद्ध व्यापार प्राप्य अर्थात 16 करोड, (मैसर्स यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड से प्राप्त किए जाने वाले 23.16 करोड रुपए घटा उप ठेकेदार को बैक टू बैक आधार पर दिए जाने वाले 7.16 करोड रुपए) के लिए उपबंध किया जाना चाहिए था। इसलिए 4 करोड रुपए की सीमा तक का कम उपबंध किया गया है। इसका परिणाम वर्ष के लिए 4 करोड रुपए की गैर चालू आस्तियों और लाभ का अधिक कथन किए जाने के रूप में हुआ।	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकारण (एनसीएलटी), के मुंबई न्याय पीठ के आदेश दिनांक 02.05.2018 के दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 40 के अधीन परिसमापक के फाइल किए गए दावे पर दावाकर्ता के पास ऐसे आदेश से व्यथित होने की दशा में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई न्याय पीठ के पास जाने की स्वतंत्रता के साथ आदेश देने का निर्देश दिया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2017–18 तक शुद्ध प्राप्य के 75% के समतुल्य 12 करोड रुपए का पहले ही उपबंध कर लिया है। मामले के परिणाम के आधार पर कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2018–19 में उपबंध की समीक्षा की जाएगी।
ख.	**प्रकटन पर टिप्पण:** टिप्पण में इस सीमा तक कमी है कि मैसर्स विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कांट्रेक्टर) से वसूल किए जाने वाले 43.06 करोड रुपए के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का कोई प्राक्कटन इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2017–18 के दौरान कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया गया था और कंपनी पर 81.96 करोड रुपए का माध्यस्थम दावा फाइल किया गया है। कंपनी ने भी 146.71 करोड़ रूपए का प्रतिदावा फाइल किया है। यद्यपि ग्राहक (बिहार पुलिस बिल्डिग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन) के साथ बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट था। इस रकम को ग्राहक से वसूल नहीं किया गया था और इसे ग्राहक से वसूल की जाने वाली रकम के रूप में उपदर्शित किया गया। क्योंकि दावा और अप्रत्ययभूत है इस तथ्य को वित्तीय विवरण के टिप्पण में पर्याप्त रूप से प्रकटित किया जाना चाहिए था।	नोट किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अधीन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और कंपनियों के प्रत्युत्तर

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन विहित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक द्वारा नियुक्त कानूनी लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कथन किया गया है कि ऐसा उन्होंने 24 अगस्त 2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निमित्त अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की है। किंतु उनकी अनुषंगी ईपीआई अरबन इन्फ्रा डेवलपर लिमिटेड और ईपीआई–सी एंड सी, एक अनिगमित संयुक्त उद्यम के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की थी। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से कानूनी लेखा परीक्षकों के कार्यशील कागज पत्रों तक बिना किसी पहुंचकर की गई है और मुख्यतः यह कानूनी लेखा परीक्षकों से और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तक तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे दृष्टिकोण के अनुसार जो वित्तीय विवरणों को और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने मैं समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं।

क. वित्तीय प्रस्थिति पर रिपोर्ट

आस्तियां

गैर चालू आस्तियां 534.39 करोड़ रुपए

पूर्वोक्त में मैसर्स यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड से 2005 में की गई संविदा के आधार पर कंपनी द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले 11.16 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। मैसर्स यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 10 के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ कर दी है, दिवाला प्रक्रिया के लंबन पर विचार करते हुए कंपनी ने वर्ष 2017–18 तक 12 करोड रुपए का उपबंध किया है। तथापि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई द्वारा नियुक्त परिसमापक ने जनवरी 2018 में कंपनी के दावे को अस्वीकार कर दिया। शुद्ध व्यापार प्राप्य अर्थात 16 करोड रुपए, (मैसर्स यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड से प्राप्त किए जाने वाले 23.16 करोड रुपए घटा उप ठेकेदार को बैक टू बैक आधार पर दिए जाने वाले 7.16 करोड रुपए) के लिए उपबंध किया जाना चाहिए था। इसलिए 4 करोड रुपए की सीमा तक का कम उपबंध किया गया है। इसका परिणाम वर्ष के लिए 4 करोड रुपए की गैर चालू आस्तियों और लाभ का अधिक कथन किए जाने के रूप में हुआ।

ख. प्रकटन पर टिप्पणः

टिप्पण में इस सीमा तक कमी है कि मैसर्स विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कांट्रेक्टर) से वसूल किए जाने वाले 43.06 करोड रुपए के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का कोई प्राक्कटन इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2017–18 के दौरान कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया गया था और कंपनी पर 81.96 करोड रुपए का माध्यस्थम दावा फाइल किया गया है। कंपनी ने भी 146.71 करोड रुपए का प्रतिदावा फाइल किया है। यद्यपि ग्राहक (बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन) के साथ बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट था। इस रकम को ग्राहक से वसूल नहीं किया गया था और इसे ग्राहक से वसूल की जाने वाली रकम के रूप में उपदर्शित किया गया। क्योंकि दावा और अप्रत्ययभूत है इस तथ्य को वित्तीय विवरण के टिप्पण में पर्याप्त रूप से प्रकटित किया जाना चाहिए था।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की
ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(नंदना मुंशी)
महानिदेशक,
प्रधान वाणिज्य लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षा बोर्ड–1,
नई दिल्ली के पदेन सदस्य का कार्यालय

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 28 सितंबर, 2018

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अधीन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और कंपनियों के प्रत्युत्तर

क्रम संख्या	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रत्युत्तर
क.	**समेकित वित्तीय प्रस्थिति पर टिप्पणियां** **गैर चालू आस्तियां 534.39 करोड रुपए** पूर्वोक्त में मैसर्स यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड से 2005 में की गई संविदा के आधार पर कंपनी द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले. 11.16 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। मैसर्स यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 10 के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ कर दी है, दिवाला प्रक्रिया के लंबन पर विचार करते हुए कंपनी ने वर्ष 2017–18 तक 12 करोड रुपए का उपबंध किया है। तथापि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई द्वारा नियुक्त परिसमापक ने जनवरी 2018 में कंपनी के दावे को अस्वीकार कर दिया, शुद्ध व्यापार प्राप्य अर्थात 16 करोड, (मैसर्स यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड से प्राप्त किए जाने वाले 23.16 करोड रुपए घटा उप ठेकेदार को बैक टू बैक आधार पर दिए जाने वाले 7.16 करोड रुपए) के लिए उपबंध किया जाना चाहिए था। इसलिए 4 करोड रुपए की सीमा तक का कम उपबंध किया गया है। इसका परिणाम वर्ष के लिए 4 करोड रुपए की गैर चालू आस्तियों और लाभ का अधिक कथन किए जाने के रूप में हुआ।	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकारण (एनसीएलटी), के मुंबई न्याय पीठ के आदेश दिनांक 02.05.2018 के दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 40 के अधीन परिसमापक के फाइल किए गए दावे पर दावाकर्ता के पास ऐसे आदेश से व्यथित होने की दशा में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई न्याय पीठ के पास जाने की स्वतंत्रता के साथ आदेश देने का निर्देश दिया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2017–18 तक शुद्ध प्राप्य के 75% के समतुल्य 12 करोड रुपए का पहले ही उपबंध कर लिया है। मामले के परिणाम के आधार पर कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2018–19 में उपबंध की समीक्षा की जाएगी।
ख.	**प्रकटन पर टिप्पणः** टिप्पण में इस सीमा तक कमी है कि मैसर्स विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कांट्रेक्टर) से वसूल किए जाने वाले 43.06 करोड रुपए के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का कोई प्राक्कटन इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2017–18 के दौरान कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया गया था और कंपनी पर 81.96 करोड रुपए का माध्यस्थम दावा फाइल किया गया है। कंपनी ने भी 146.71 करोड़ रूपए का प्रतिदावा फाइल किया है। यद्यपि ग्राहक (बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन) के साथ बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट था। इस रकम को ग्राहक से वसूल नहीं किया गया था और इसे ग्राहक से वसूल की जाने वाली रकम के रूप में उपदर्शित किया गया। क्योंकि दावा और अप्रत्ययभूत है इस तथ्य को वित्तीय विवरण के टिप्पण में पर्याप्त रूप से प्रकटित किया जाना चाहिए था।	नोट किया गया।

टिप्पणी

आधारभूत संरचना के विकास एवं टर्नकी परियोजना के निष्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
फोन नं. : +91–11–24361666, फैक्स : +91–11–24363426
ई–मेल : epico@engineeringprojects.com
वेबसाइट : www.engineeringprojects.com

Designed & Printed by : Indu Cards & Graphics, Chawri Bazar, Delhi-06 M. 9811419531